खण्ड-216, अंक-7
बुधवार, 16 भाद्रपद, शक संवत् 1882
(7 सितम्बर, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 216 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ७ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजनसिंह, निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेरीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरीदीन वर्मा, श्री

पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बैचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भोखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (सैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अबमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय,, श्री
राजनारायणसिंह श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री

रामेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामप्रचार तिवारी, श्री
रामप्रभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार बंद्य, श्री
रामकृष्ण अंसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री

लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसुन्दर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री

भोपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान अहमद खाँ, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ७ सितम्बर, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ विश्वविद्यालय के ग्यारह विद्यार्थियों की नजरबन्दी

**१—श्री राममूर्ति (जिला बरेली) तथा श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या यह सही है कि जिस कानून के अन्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय में हाल में हुये छात्र आन्दोलन के सम्बन्ध में कुछ छात्र पकड़े गये हैं उसके अनुसार उन्हें कानूनी सलाह मिलनी चाहिये थी, जो सरकार की तरफ से इन्कार कर दी गयी है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जिस कानून के अन्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र गिरफ्तार किए गए हैं उसमें न तो कानूनी सलाह देने के लिये कोई व्यवस्था है और न इस प्रकार की सलाह देने के लिये सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र मिला है।

**२—श्री राममूर्ति तथा श्री भीखालाल—क्या यह भी सही है कि उन्हें अभी तक डिटेन्शन (Detention) का कारण भी नहीं बताया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, यह सही नहीं है।

श्री भीखालाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो छात्र गिरफ्तार किये गये हैं उनको बंदी करने के कारण गिरफ्तार होने के कितने दिन बाद बताये गये और वह क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गिरफ्तारी के पांच दिन के भीतर ही बता दिये गये थे। कारण आप कहें तो बतला दूं क्योंकि डिप्युटल को सारा मामला रेफर कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—जी हां, बता दीजिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसमें कारण यह बताये गये हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के शान्तिपूर्ण संचालन में बाधा डाली, हंगर स्ट्राइक किया, उपद्रव मचाने की चेष्टा की, लोगों को उभाड़ा कि वह कानून के विरुद्ध कार्यवाही करें, अध्यापकों के विरुद्ध अनुचित शब्दों का प्रयोग किया और उत्तेजनापूर्ण भाषण दिये। इसके अलावा वाइस-चांसलर को धमकी दी और सारे नगर में तथा प्रदेश में हड़ताल करने के लिये नोटिस निकाला। इन्हीं आधार पर उनको डिटेंशन में रखा गया।

श्री भोखालाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनको इस प्रकार की शिकायत मिली है कि उन छात्रों के अभिभावकों के मिलने पर रोक लगा दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और न इस तरह की कोई रोक है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---(जिला आगरा)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ट्रिब्युनल में कोई सुनवाई हुई या नहीं और कोई तारीख मुकर्रर हुई है या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अभी तो केसेज रेफर किये हैं और वह तारीख डालेंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या मंत्री जी यह देखते हुये कि यूनिवर्सिटी शान्तिपूर्ण ढंग से चल रही है और किसी उपद्रव की आशंका नहीं है और वह अपने ही बच्चे हैं, उनसे गल्ती हुई, उनको माफ किया जाय और उन्हें छोड़ने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, एक बार और ऐसा ही प्रश्न हुआ था उस समय निवेदन कर दिया गया था कि ऐसा कोई प्रश्न सरकार के सामने नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि इन लोगों ने उत्तेजनापूर्ण भाषण दिये, हंगर स्ट्राइक किया और हड़ताल कराने की कोशिश की, तो इन सबसे विश्वविद्यालय में या बाहर जो शान्ति और व्यवस्था है उस पर भी असर पड़ा था या उन्होंने ऐसे काम किये इसलिये उनको पब्लिक डिटेंशन ऐक्ट में रखा गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सरकार यह समझती है कि अगर इसमें यह कार्यवाही न की गयी होती तो बाहर कहीं गहरा असर पड़ गया होता, जैसा कि कई बार हो चुका है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि जिस छात्र ने भूख हड़ताल की, जब विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कुछ विवरण छात्रों के बारे में दिया तो उस छात्र के सम्बन्ध में लिखते हुए यह सिफारिश की कि उस छात्र को छोड़ दिया जाय क्योंकि उसने किसी दूसरी चीज में हिस्सा नहीं लिया?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं, ऐसी कोई सिफारिश मेरे सामने नहीं आयी।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि यह विद्यार्थी बन्दी एक जेल में न रख कर प्रदेश की भिन्न-भिन्न जेलों में भेज दिये गये हैं जिससे न आपस में परामर्श कर सकते हैं, न कोई कानूनी सलाह ले सकते हैं, न अभिभावकों से आसानी से मिल सकते हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---भिन्न-भिन्न जेलों में जरूर भेजे गये हैं। उन्हें अभिभावकों से मिलने के लिये जेल के कायदे कानून के अनुसार अधिकार है। अगर कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हों, और उसके लिये कानून में व्यवस्था है तो उसका भी उपयोग करने का अधिकार है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन विद्यार्थी हैं जिनके डिटेंशन के कारण माननीय मंत्री जी ने अभी बताये?

श्री कमलापति त्रिपाठी--एक बार उनको सूचना दी जा चुकी है। फिर से नाम पढ़ दूं अगर आज्ञा हो ?

श्री अध्यक्ष--बहुत लम्बी लिस्ट तो है नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--११ हैं। श्री सुरेन्द्र विक्रमसिंह, श्री पी० एन० अवस्थी, श्री गोमतीप्रसाद, श्री यज्ञदत्त त्रिपाठी, श्री आर० ए० दीक्षित, श्री इब्ने हसन, श्री बी० सी० मिश्रा, श्री एस० एन० सांगड़ी, श्री हैदर अब्बास, श्री श्यामलाल वाजपेई, श्री एस० पी० सिंह।

श्री भीखालाल--क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह छात्र बंदी जो प्रदेश की भिन्न जेलों में भेजे गये हैं, उनको लखनऊ में न रख कर अलग-अलग भेजने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कारण यही है कि वह भेजे गये। यह तो व्यवस्था की बात है। कोई भेजना जुर्म नहीं है, भेज दिये गये हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--यूनियन ने कोई प्रस्ताव हाल में ऐसा पास किया है, तो क्या माननीय मंत्री जी छात्रों की यूनियन के अधिकारियों से बात करके इस मामले को शान्तिपूर्ण ढंग से समझौता कराने की व्यवस्था करेंगे कि इसमें से कोई हल निकल जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, न तो मेरे सामने कोई प्रस्ताव है, न सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझसे कोई अभिभावक मिले। अगर कोई बात करना चाहते हों तो बात कर सकते हैं। अभी व्यवस्था की जा रही है।

श्री भीखालाल--माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि व्यवस्था की बात है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन छात्र बंदियों ने लखनऊ जेल में कोई ऐसा कांड किया था जिससे वहां की व्यवस्था में गड़बड़ी पड़ी जिससे दूसरे जेलों में भेज दिये गये ?

श्री अध्यक्ष--ऐडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से ट्रांस्फर किया गया है। यह मतलब है उनका।

श्री प्रतापसिंह--क्या शिक्षा मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि जो छात्र बन्द कर दिये गये हैं उनकी प्रथम मांग यह थी कि उनको विश्वविद्यालय में ऐडमिशन मिलना चाहिये, और ऐडमिशन का जमाना गुजर चुका है और यूनिवर्सिटी खुल चुकी है, उन विद्यार्थियों को जेल से रिहा करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--इसके लिये जवाब दिया जा चुका है।

हरिजन नेता, सरदार प्रीतमसिंह, की हत्या

**३--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर), श्री गौरी-शंकर राय, (जिला बलिया), आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ), श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) तथा श्री वीरसेन (जिला मेरठ)--क्या यह सही है कि २८-८-६० को सन्ध्या समय मेरठ कमिश्नरी के प्रसिद्ध हरिजन नेता, सरदार प्रीतम सिंह प्रभाकर, की किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने फांसी लगा कर हत्या कर दी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सरदार प्रीतम सिंह की हत्या २८ अगस्त को नहीं बल्कि २७ अगस्त, १९६० को की गई। हत्या करने वालों के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित थे।

**४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री गौरीशंकर राय, आचार्य दीपंकर, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री वीरसेन—क्या यह भी सही है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस और जिला अधिकारियों को सूचना दी थी कि कुछ लोग उनका कत्ल करने की कोशिश में हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

**५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, कुंवर श्रीपालसिंह, श्री गौरीशंकर राय, आचार्य दीपंकर, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री वीरसेन—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आज २-९-१९६० तक पुलिस ने हत्यारों का पता नहीं लगाया और किसी को गिरफ्तार नहीं किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं । प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाये गये ६ अभियुक्तों में से ४ अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतान की कृपा करेंगे कि २७ अगस्त को जो हत्या हुई वह प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर या उनके पास जो कुछ सूचना हो उसके आधार पर किन परिस्थितियों में हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रथम रिपोर्ट २८ तारीख को सुबह साढ़े आठ बज लिखाई गई और लिखाने वाले हैं मृतक के पुत्र, श्री गुरुदत्त सिंह। उन्होंने यह लिखाया कि उनके पिता ग्राम के पास नहर की पटरी पर २७-८-१९६० को सन्ध्या समय करीब साढ़े आठ बजे कत्ल कर दिये गये। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ६ व्यक्तियों के नाम लिखाये और यह लिखाया कि इनसे पिता जी की रंजिश चली आ रही थी और इन लोगों ने उनकी हत्या की है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट जो हुई उससे यही सिद्ध हुआ कि उनकी फांसी लगाकर हत्या की गई है या और किसी तरह से हत्या करके बाद में लटका दिया गया था, इसका कुछ पता लगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, यह सारी सूचना वायरलेस से मंगाई गई है। इसलिये पोस्ट मार्टम की कापी तो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो सूचना आई है उसमें यह लिखा है—

'In the Post-Mortem report only head injury referred to as cause of the death is mentioned as 'tissues and soft parts on right side scalp contained and some semi-clotted blood present under the scalp over right tample region, left temple region and at middle of frontal region. Death due to head injuries causing shock."

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि ४ साल पहले से ही स्वर्गीय सरदार प्रीतम सिंह ने इस बात की सूचना अधिकारियों को दे दी थी कि उनकी हत्या का षड़यंत्र हो रहा है और इसके संबंध में क्या सरकार को मालूम है कि २२-९-१९५६ को उन्होंने एस० एस० पी० मेरठ को लिखा और फिर २९-९-१९५९ को डी०एस०पी० को लिखा कि उनकी हत्या की साजिश हो रही है और इसके बाद भी बराबर वह लिखते रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिन खतों का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं उनकी सूचना तो मेरे पास नहीं है। मैं देख लूं तो बता सकूंगा। लेकिन यह सूचना मेरे पास है कि उनकी एक दरख्वास्त २०-१०-१९५७ को मिली थी जिसमें दो तीन आदमियों के नाम थे कि उनसे हमारी रंजिश है और इन्होंने जो हमारी झोपड़ी है उसमें आग लगाकर के उसे फूंक दिया है। उसकी जांच हुई और जांच होने पर आग लगने की बात तो साबित नहीं हुई। पर यह अन्दाज जरूर लगा कि आपस में इन लोगों की रंजिश चली आ रही है और इस तरह की कोई बात मारपीट की भी हो सकती है। तो दफा १०७ सी० आर० पी० सी० की प्रोसीडिंग्स की गयीं उन

लोगों के खिलाफ जिनके विषय में शिकायतें थीं। किन्तु एस० डी० एम० की अदालत से वह मुकदमा खारिज हो गया।

आचार्य दीपंकर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वर्गीय सरदार प्रीतमसिंह की हत्या का पोस्टमार्टम हत्या के तीन दिन बाद क्यों किया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तीन दिन बाद पोस्टमार्टम होने की तो कोई सूचना इस समय है नहीं। किन्तु जब पोस्टमार्टम हुआ तो उससे यह मालूम हुआ। एफ० आई० आर० के लिखाने के तुरन्त बाद ही पुलिस ने यह मामला अपने हाथ में लिया और तेजी के साथ उसकी जांच की।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि २४-१२-१९५७ को माननीय गृह मंत्री जी को इस आशय का एक पत्र मिला कि कुछ व्यक्तियों ने हरिजनों को जिन्दा जलाने का प्रयत्न किया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे पास तमाम पत्र आदि आते रहते हैं। यह सन् १९५७ की बात पूछी गयी है, इस समय में क्या जवाब दूं इसका कि आया या नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब स्वर्गीय सरदार प्रीतमसिंह ने कई दरखास्तें जिले के अधिकारियों को दीं, तो ऐसी हालत में जिले के अधिकारियों ने उसकी जानमाल की रक्षा के लिये क्या-क्या प्रयत्न किये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे पास तो यह सूचना है कि एक दरख्वास्त उन्होंने यह दी थी कि फलां-फलां आदमियों ने हमारी झोपड़ी को जला डाला; और उनको अपनी जान-माल का खतरा है, इस तरह की कोई दरख्वास्त नहीं आयी। इस तरह की किसी दरख्वास्त की सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो लोग गिरफ्तार हुये हैं उनका किसी राजनैतिक पार्टी से भी संबंध है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—राजनैतिक पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है। यह प्रश्न इससे नहीं उठता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह ४ व्यक्ति किस तारीख को गिरफ्तार हुये, २ सितम्बर को या इसके बाद?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तारीख के लिये, माननीय, सूचना चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ६ में से ४ आदमी गिरफ्तार हुये, इनमें २ के गिरफ्तार न होने का क्या कारण है? क्या वे फरार हैं, या छोड़ दिया गया उनको?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, वे फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इन छः व्यक्तियों के खिलाफ जो रिपोर्ट लिखाई गई थी, उनमें वे व्यक्ति भी शामिल थे जिनके खिलाफ स्वर्गीय सरदार प्रीतम सिंह ने दरख्वास्त दी थी और जिनके खिलाफ दफा १०७ का मुकदमा चलाया गया था?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उन छः के खिलाफ १०७ नहीं चलाई गयी, उसमें वे शामिल हैं जिन पर १०७ चलाई गयी थी ।

श्री वीरसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह क्या सही है कि जिस दिन वह मरा था, उस दिन उसको धोखे से गांव में बुलाया गया और २०-२५ आदमियों ने नाके-बन्दी करके उसको मार डाला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अभी इसकी तफतीश हो रही है, उसकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है ।

तारांकित प्रश्न

बीमा निगम कर्मचारी संघ, इलाहाबाद, का कथित पत्र

*१—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या वह कोई ऐसा विचार कर रही है कि उत्तर प्रदेश में लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन के कर्मचारियों को शाप ऐंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट के अधीन न रक्खे ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—लाइफ इन्श्योरेंश कारपोरेशन आफ इंडिया ने यू० पी० दूकान तथा व्यवसायिक संस्था अधिनियम, १९४७ की धाराओं से जो छूट मांगी है वह सरकार के विचाराधीन है, प्रश्न अभी नहीं उठता ।

*२—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार के पास इलाहाबाद के बीमा निगम के कर्मचारियों की यूनियन के द्वारा ऐसा कोई पत्र आया है कि वे लोग शाप ऐंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट के नियम के बाहर निकाले जाने का विरोध करते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*३-४—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—[१५ सितम्बर, १९६० के लिये स्थानान्तरित किये गये ।]

*५—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[१३ सितम्बर, १९६० के लिये स्थानान्तरित किया गया ।]

बड़ौत में सहकारी गन्ना मिल स्थापित करने की मांग

*६—आचार्य दीपंकर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे बड़ौत, जिला मेरठ, में सहकारी गन्ना मिल की स्थापना करने की मांग जनता की ओर से प्राप्त हुई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—जी हां ।

*७—आचार्य दीपंकर—यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस संबंध में वह क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस संबंध में लाइसेंस देने के लिये प्रार्थना-पत्र केंद्रीय सरकार के पास भेजने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

आचार्य दीपंकर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कार्यवाही जो की जा रही है वह क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—लाइसेंस के लिये दरख्वास्त देना और एक कोग्राप-रेटिव को फामँ देने की कोशिश करना।

मझोला में सहकारी चीनी मिल खोलने का आयोजन

*८—**श्री प्रतापसिंह**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मझोला शुगर मिल योजना को प्रारम्भ करने की जांच के लिये जिलाधीश, पीलीभीत, की अध्यक्षता में कोई कमेटी बैठी थी? यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट पर सरकार ने विचार कर लिया है? उक्त मिल का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायगा?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां। कमेटी की रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है। मझोला में सहकारी चीनी मिल लगाने के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्र को केंद्रीय सरकार के पास लाइसेंस देने की सिफारिश के साथ भेज दिया गया है। इसका काम लाइसेंस मिलने पर तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रारम्भ होगा।

*९—**श्री प्रतापसिंह**—क्या यह सही है कि इस मिल के लिये वहां के गन्ना काश्तकारों ने १३ लाख रुपया जमा किया है जिसमें ५ लाख नान रिजर्व एरिया के काश्तकारों ने जमा किया है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह मिल कुल कितनी लागत की बनेगी और उसमें कितना रुपया पब्लिक की ओर से लगेगा और कितना सरकार की ओर से खर्च होगा?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—बड़ी मशीनों के दाम रोजाना बदलते हैं। मैं आज की तारीख में कह नहीं सकता, लेकिन हजार टन की फैक्ट्री लगाने में मामूली तौर पर १२० लाख के करीब लगता है जैसी कि हम यहां लगाना चाहते हैं। निश्चित रकम नहीं बता सकते। जहां तक यह सवाल है कि कितना किसको देना होगा, तो कोआपरेटर्स को, सरकार को, इंडियन फिनांस कारपोरेशन को और सरकार की बैंक गारंटी को, चारों को अपना-अपना हिस्सा देना पड़ता है, लेकिन किसी को हमने बांधा नहीं है कि कितना कौन देगा।

श्री प्रतापसिंह—क्या उद्योग मंत्री जी किसानों की उत्सुकता को देखते हुए और यह देखते हुये कि उन्होंने १३ लाख रुपया ऐडवांस में जमा कर रखा है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में जितने कोआपरेटिव मिल्स लग रहे हैं उनमें इसको प्राथमिकता देने की कृपा करेगी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सात-आठ लाख रुपये की कमी उस उत्सुकता में है। वह कमी तभी पूरी होगी जब प्रताप सिंह जी मदद दिलायेंगे। जहां तक प्राथमिकता का सवाल है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले ही साल में जितने कोआपरेटिव मिलों की इजाजत मिलेगी उसमें उनको पहले ही साल में कायम कर देना चाहते हैं।

पर्वतीय प्रदेश में चपरासियों को कोयला न मिलने की शिकायत

*१०—**श्री प्रतापसिंह**—क्या मुख्य मंत्री जी को पता है कि पर्वतीय प्रदेश में काम करने वाले चपरासियों को जाड़ों में कोयला नहीं दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी बात नहीं है। पर्वतीय प्रदेश में काम करने वाले चपरासियों को जाड़ों में चार अथवा चार से कम चपरासियों के बीच ढाई सेर प्रति अंगीठी प्रति दिन के हिसाब से कोयला दिया जाता है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि उन्होंने पर्वतीय प्रदेश के जाड़े में ठिठुरने वाले चपरासियों के लिये जी०ओ० निकाला है लेकिन उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अब यह खुले तरीके पर जांच कैसे होगी कि फलां मौके पर, फलां जगह इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ, तो हम जांच कैसे करावें ?

श्री प्रतापसिंह—इस बात को सूचना मानते हुये कि पर्वतीय प्रदेश में जितने भी कार्यालय हैं वहां कोयले की व्यवस्था नहीं है, इस बात की मुख्य मंत्री जी जांच करायेंगे कि जो व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है वह लागू की जा रही है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—चूंकि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसका हर दफ्तर से संबंध है, जांच तो हम कर सकते हैं लेकिन मुझे आशंका है कि कम से कम ६–७ महीने इसमें जरूर लग जायेंगे और शायद अगला जाड़ा जरूर आ जायगा।

टेक्निकल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, सरोजिनीनगर, लखनऊ, में छटनी

*११—**श्री पब्बरराम** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या लखनऊ में टेक्निकल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, सरोजिनीनगर, में जो पोस्ट-वार रिकन्स्ट्रक्शन का कारखाना है, उसमें काम करने वाले १२५ कर्मचारियों में से ५० कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां। छटनी आर्थिक कठिनाई के कारण की गयी।

श्री पब्बरराम—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आर्थिक कठिनाई किस कारण से है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, यह कारखाना जो टेक्निकल कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है, यह फाइनेंस होता है एक फंड से जिसका नाम है "पोस्ट-वार सर्विसेज रिकंस्ट्रक्शन फंड ट्रस्ट"। कुछ लोगों को काम सिखाया जाता है और सीखे हुओं को काम दिया जाता है। हर एक जो माल बनाते हैं उसकी बिक्री और साधनों की सीमा आवश्यकता से कम हो गयी इसलिये उसको नहीं चला पा रहे हैं।

श्री पब्बरराम—क्या माननीय मंत्री जी उक्त कर्मचारियों को दोबारा काम पर लेने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि वे छटनी कर दिये गये हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी कृपया इसकी व्यवस्था करेंगे कि जो छटनी किये गये कर्मचारी हैं उनको कुछ मुआवजा दे दिया जाय ताकि उनकी कुछ व्यवस्था हो सके ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सब पैसा ले गये। माननीय सदस्य बेकार परेशान हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलों से यह मांग आई है कि जिस जिले से जितने सिपाही लड़ाई में गये वहां पर पोस्ट-वार सर्विसेज रिकंस्ट्रक्शन फंड ट्रस्ट से रुपया उस अनुपात से नहीं दिया गया, तो क्या सरकार इस कमी को पूरी करने के लिये जिलों में रुपया बांटने का विचार रखती है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, यह बड़े विस्तार का सवाल है। यह सवाल पोस्ट-वार सर्विसेज रिकंस्ट्रक्शन फंड के एक हिस्से का है। इसका सवाल उस फंड से संबंध नहीं रखता है, इसलिये मैं इस वक्त उसका उत्तर नहीं दे सकता हूं।

बाराबंकी जिले की चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य का बकाया

*१२—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी जिले में कौन-कौन सी चीनी मिलें हैं और अलग-अलग प्रत्येक में किन-किन गन्ना सोसाइटियों का गन्ना आता है तथा हर सोसाइटी का किस मिल पर कितना-कितना रुपया बकाया है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—बाराबंकी जिले में जो चीनी मिलें हैं और इन चीनी मिलों को जिन गन्ना सोसाइटियों का गन्ना सप्लाई होता है, तथा १५ अगस्त १९६० को प्रत्येक सोसाइटी का जिस मिल पर जितना रुपया बकाया था उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५८५ पर)

श्री नत्थाराम रावत—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मिलों से गन्ने के दाम का रुपया कितने समय बाद किसानों को मिल जाता है और उनको समय पर मिलने के लिये क्या व्यवस्था की गई है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कितने दिनों बाद मिलना चाहिये, इसके लिये रूल्स बने हुये हैं और ऐक्ट में बातें दी हुई हैं। उतने दिनों के अन्दर यह नहीं मिला है, यह सही है, लेकिन हमने रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिये हैं और उनसे पैसा दिलाने की कोशिश की जा रही है और करते रहेंगे।

श्री नत्थाराम रावत—क्या सरकार को ज्ञात है कि किसानों को समय पर गन्ने के दाम न मिलने के कारण दिक्कत है और लगान न दे सकने के कारण उनकी कुर्की तक हो रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—दिक्कत होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जिसको पैसा नहीं मिलता है तो दिक्कत होती है। उनको पैसा मिलना चाहिये।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी के बकायादार मिलों पर कुछ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हुये हैं और उनसे कितना गन्ने का दाम वसूल हुआ है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, मैं ठीक तारीख नहीं कह सकता लेकिन इस सीजन के बन्द होने के दो महीने के अन्दर शायद रिकवरी सर्टिफिकेट ईशु हो गये।

श्री उग्रसेन—कितना रुपया वसूल हुआ, इसका उत्तर नहीं मिला।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—बाराबंकी मिल तब से ८० हजार रुपया बांट चुका है, बुढ़वल पर बहुत थोड़ा पैसा बाकी है। वह दे रहे हैं और जिस तरह से दे रहे हैं उससे हमें सन्तोष है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह क्या प्रयत्न कर रहे हैं कि किसानों की बकाया जल्द निबट जाय और मिल वाले उसे अदा कर दें?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू कर दिये गये हैं। गन्ना आयुक्त डी० एम०, बाराबंकी, सोसाइटी के सभापति और मिल के प्रतिनिधि सब ने मिलकर बात-चीत की और रास्ता निकालने की कोशिश की। थोड़ा बहुत रास्ता निकला है लेकिन अभी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--बाराबंकी में दो ही फैक्टरी हैं, तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि कितना रुपया इनके ऊपर बाकी था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जो तालिका दी गई है उसमें बाराबंकी पर १५ अगस्त, १९६० तक गन्ने का दाम ७.१६ लाख पया बाकी था, कमीशन का ८ हजार, ब्याज का २२ हजार, कुल तादाद ७.४६ लाख। बुढ़वल का ·२७ लाख बाकी है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो लाखों की बात कही है यह किसानों के लिये बहुत ज्यादा है चाहे सरकार के लिये ज्यादा न हो, तो कोई ऐसा कदम सरकार उठायेगी कि यह रुपया जल्दी से वसूल हो जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जैसा मैंने निवेदन किया कि बुढ़वल में सिर्फ २७ हजार पया है, लाखों का सवाल नहीं है और बाराबंकी में ७ लाख ४६ हजार पया है। बाराबंकी में कुल देय धनराशि ३३ लाख रुपये से ऊपर थी जिसमें सात लाख पया ही रह गया है और उसको भी हम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी बेचने से जो पया मिलता है वह हम उनके पास नहीं जाने देते, सिर्फ रिपेयर्स वगैरह के लिये थोड़ा पैसा दे देते हैं, बाकी किसान के पास जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी राजस्व विभाग को इस प्रकार का आदेश देने की कृपा करेंगे कि जिन किसानों की गन्ने की कीमत बाकी है उनकी माल-गुजारी मिल के पैसे से अदा की जाय, उन किसानों से मालगुजारी न वसूल की जाय ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मान्यवर, यह बड़ा हाइपाथेटिकल सवाल है। बेचारे किसान बड़े सज्जन हैं। उन पर कोई पैसा बाकी है या नहीं, यह हम कैसे कह सकते हैं ?

श्री उग्रसेन--इस बात को देखते हुये कि रिकवरी सर्टिफिकेट्स जारी करने के बाद भी मिल मालिकान उसमें देरी लगाते हैं, क्या सरकार नियमों आदि में कोई परिवर्तन करके ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी जिससे गन्ना किसानों को तुरन्त दाम मिल जाय या उसमें बहुत देरी न हो ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--सूबे भर के गन्ना किसानों को पूरा दाम दिलाने में केवल दो परसेंट पैसा ही बाकी है, बाकी ९८ फी सदी दिलवा चुके हैं। इसके लिये रिकवरी सर्टिफिकेट्स इश्यू कर दिये गये हैं और यह व्यवस्था है कि मिल में जो पया आये वह मिल वाले न ले जा सकें।

*१३--श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)--[१४ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी में इंडस्ट्रियल इस्टेट स्थापना का आश्वासन

*१४--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के छः नगरों में इन्डस्ट्रीयल इस्टेट्स की स्थापना को स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां।

*१५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मुख्य मंत्री झांसी में भी उक्त इस्टेट की स्थापना करने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी हां।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी उन नगरों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनमें उक्त इस्टेट्स की स्थापना की जाने वाली है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—बस्ती, एटा, बिजनौर, देवरिया और झांसी।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त इस्टेटों की कब तक स्थापना हो जायगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, सप्लीमेंटरी बजट से हम कुछ पया मांग रहें हैं, करीब डेढ़ लाख रुपये के। पैसा मिल जाय तो काम शुरू हो जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—इस बात को देखते हुये कि कोटद्वार में भी इन्डस्ट्रियल इस्टेट बनी है, इस तरह से गढ़वाल में दो होंगी, क्या सरकार उत्तराखंड के जिलों में भी इन्डस्ट्रियल इस्टेट्स की स्थापना पर विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—वहां शायद यह चल नहीं सकती।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—माननीय सदस्य की सूचना के लिये बता दूं कि कोटद्वार में कोई इस्टेट नहीं बनी है, श्रीनगर में एक बनाई गई है। कुमायूं कमिश्नरी के सभी जिलों में एक एक इस्टेट दी गई है, एक अल्मोड़े में, एक नैनीताल में, एक गढ़वाल में, अब सिर्फ टेहरी-गढ़वाल बचा है जिसको तीसरी योजना में देने का विचार है। अब जहां तक यह सवाल है कि क्या-क्या करेंगे, अगर माननीय सदस्य कुछ उद्योग लगाने वालों को तैयार करें तो फिर उसकी कोशिश की जाय।

ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी, अलीगंज, के प्रेसीडेंट के चुनाव के सम्बन्ध में शिकायत

*१६—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या मुख्य मंत्री को कोई शिकायती अर्जी या तार अलीगंज, जिला एटा के ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी के स्थायी प्रेसीडेंट का अवैधानिक ढंग से चुनाव हो जाने के सम्बन्ध में अगस्त, १९६० में प्राप्त हुआ है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—जी हां।

श्री भूपकिशोर—इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुल्तान आलम खां—शिकायती तार आया था उसको जिले में भेज दिया गया है जांच के लिये और वहां से रिपोर्ट आ जाने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री प्रतापसिंह—क्या नियोजन मंत्री सदन की जानकारी के लिये उस तार को पढ़ने की कृपा करेंगे, वह शायद एक या दो लाइन का ही होगा ?

श्री सुल्तान आलम खां—अलीगंज, जिला एटा, में ब्लाक डेवलेपमेंट कमेटी का जो चुनाव हुआ है उसमें एक ऐसे सदस्य ने भी भाग लिया जो मेम्बर नहीं था, उसकी शिकायत आयी है जिसकी जांच वहां जिले से कराई जा रही है। वहां से जांच की रिपोर्ट आने पर इस सिलसिले में उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह तार उसके पास कब पहुंचा है ?

श्री सुल्तान आलम खां—४ अगस्त को यहां पहुंचा और ६ अगस्त को एडा को जांच के लिये रवाना कर दिया गया।

बाराबंकी जिले की चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य का बकाया

*१७—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी शकर मिल पर किसानों के गन्ने की कीमत का रुपया किन-किन वर्षों का, कितना-कितना बाकी है और उसकी अदायगी की क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१५ अगस्त, १९६० को इस मिल पर केवल १९५९-६० सीजन का गन्ना किसानों का दाम लगभग ७.१६ लाख रुपया बकाया था और इसकी वसूली के लिये गन्ना आयुक्त ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १७ (४) के अधीन रिकवरी सार्टीफिकेट जारी कर दिया है।

श्री भीखालाल—रिकवरी सर्टीफिकेट जारी होने के बाद इस बकाया से कितना रुपया किसानों को अदा किया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—८०,००० रुपया।

श्री भीखालाल—ऐसे यह ७.१६ लाख रुपया कब तक अदा हो जायगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—ठीक तारीख तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन चेष्टा है कि जल्दी हो जाय।

*१८-२०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[१४ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

खड्डा चीनी मिल का अथाराइज्ड कण्ट्रोलर

*२१—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने शुगर मिल खड्डा, जिला देवरिया, का अगले सीजन १९६०-६१ के लिये, किस व्यक्ति को अथाराइज्ड कन्ट्रोलर नियुक्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है और कब ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—केन्द्रीय सरकार के साथ इस सम्बन्ध में जो पत्र-व्यवहार हुआ है, वह गोपनीय है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—यह पत्र सरकार की ओर से कब भेजा गया और उसके लिये कितने लोगों ने दरख्वास्तें दी थीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कई व्यक्तियों ने हमारे पास कोई अर्जी नहीं दी, लेकिन जिस व्यक्ति ने दी है इससे अधिक मैं उसके लिये नहीं बता सकता हूं।

श्री गेंदासिंह—उस व्यक्ति का नाम गोपनीय है या कब भेजा गया, वह गोपनीय है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—दोनों बातें गोपनीय हैं।

श्री गेंदासिंह—वह मर्द है या औरत, यह तो बता सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष—आप स्वयं अन्दाजा लगा लें तो अच्छा है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—सीजन का डेढ़ महीना बाकी है और वहां की सफाई की, उस मिल की व्यवस्था के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सरकार की जानकारी में बड़ा मिल बहुत अच्छी तरह चलेगी, सफाई हो रही है।

श्री गेंदासिंह—किसी आजमाये हुये व्यक्ति को तो फिर नहीं आजमा रहे हैं? इतना तो बताने की कृपा करेंगे?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—गेंदासिंह जी को तो रोज ही आजमाते हैं!

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—ग्रथोराइज्ड कंट्रोलर का नाम लोगों को कब तक मालूम हो जायगा और सिफारिश कब तक तय हो जायगी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—ज्यों ही केन्द्रीय सरकार फैसला दे दे।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मन्त्री जी केन्द्रीय सरकार को रिमाइन्डर देने की कृपा करेंगे कि जल्दी नियुक्ति कर दें क्योंकि सीजन नजदीक है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—नवम्बर, १९६० तक आदमी मौजूद है, इसलिये रिमाइन्डर भेजने का प्रश्न नहीं आता है।

यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स के मामलों में जांच की प्रार्थना

*२२—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स में हाल की दुर्घटनाओं जैसे आगजनी, चोरी, गबन, जालसाजी तथा हजरतगंज शो रूम में हुये अपव्यय आदि के सम्बन्ध में कोई निष्पक्ष इन्क्वायरी कमेटी नियुक्त करने की कृपा करेगी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—अभी हजरतगंज से नानपारा हाउस में सामान ले जाने पर हजारों रुपया का, और हैदराबाद में दसियों हजार रुपयों का नुकसान जो माल का, पानी से भींगने से हुआ, उससे बचने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—माननीय सदस्य की बात में अतिशयोक्ति है। हजारों और लाखों रुपयों की हानि की बात गलत है। लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान नागपुर में और हजरतगंज में जरूर हुआ। इसकी यहां कई बार चर्चा हो चुकने के कारण मैं अधिक नहीं कहूंगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—जिन नुकसानात का मैंने जिक्र किया वे अभी हुये हैं, उनका जिक्र यहां नहीं हुआ है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—नागपुर या नानपारा हाउस की और हजरतगंज की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—मैंने हैदराबाद के शो रूम के बारे में कहा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं, मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—नागपुर के शो रूम के बारे में, जो कई दिन बन्द रहा, बहुत से लोगों पर चोरी, गबन और जालसाजी के आरोप लगाये जा रहे हैं, उसके लिये सरकार किसी अधिकारी से जांच कराने की कृपा करेगी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह काम मुझे दिया था लेकिन अभाग्यवश डेढ़ महीने से मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है। मैं दो-चार दिन ही में उसकी रिपोर्ट देने वाला हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—करीब एक महीना पहले हजरतगंज के शो-रूम को काफी नुकसान हुआ, अधिक वर्षा के कारण.....

श्री अध्यक्ष—इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, जांच समिति नियुक्त करने का जवाब आया, "जी नहीं"। तो क्यों नहीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसा अभी बतलाया गया, यह काम मैंने डिप्टी मिनिस्टर, श्री बहुगुणा जी, के सुपुर्द कर रखा है और जब वह इस काम को देख रहे हैं तो समिति की जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता कि उनसे बढ़ कर कोई दूसरा निष्पक्ष जांच करने वाला होगा।

*२३-२५—श्री बादामसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—[१ सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

कूप निर्माणार्थ वितरित अनुदान को वापस लेने की शिकायत

*२६—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार को ज्ञात है कि १९५३-५४ में कुयें बनाने वालों को जो ३०० रु० फी कुयें तक का अनुदान अथवा छट दी गई थी, परगना जहूराबाद, जिला गाजीपुर, तथा बस्ती एवं गोरखपुर के किसानों से वापस मांगी जा रही है?

श्री सुल्तान आलम खां—जी नहीं, छट काश्तकारों से वापस नहीं मांगी जा रही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जब कुयें बनाये गये और तकावी दी गई तो वह दो विभागों से दी गई और उनमें से एक वाइन्ड-अप हुआ, तो वह कौन-सा था?

श्री अध्यक्ष—इससे क्या मतलब हुआ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—एक डिपार्टमेन्ट के तो कम्प्लीशन सर्टीफीकेट बना दिये गये और दूसरे डिपार्टमट में सर्टीफिकेट न होने से रुपया रह गया। क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि दूसरे डिपोर्टमेन्ट के बन्द हो जाने से लोगों को रुपया नहीं मिल सका?

श्री सुल्तान आलम खां—इसमें, अध्यक्ष महोदय, कुछ भ्रम है। वह यह कि तकावी एक ही जिले से बांटी जाती है लेकिन वह दो डिपार्टमेंट से दी जाती थी, एक ग्रो मोर कैम्पेन की तरफ से और दूसरी ब्लाक फंड से। सन् ५५ के पहले यह तरीका था कि जो तकावी दी जाती थी, उसमें कुछ सब्सीडी हो जाती थी और जो ग्रो मोर फूड की तरफ से दी जाती थी वह सारी सब्सीडी दी जाती थी। अब गाजीपुर में जो तकावी तकसीम की गई प्लानिंग की तरफ से और उसमें बाज-बाज लोगों को गलत सब्सडी दे दी गई। जब मामला डिटैक्ट हुआ तो उसको रोक दिया गया। अब वह तमाम मामला विचाराधीन है और उस पर जांच हो रही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी अपनी जांच में ऐसे केसेज को भी शामिल करेंगे कि जिनमें बहुत से कुयें बन गये थे लेकिन डिपार्टमेंट के वाइन्ड-अप हो जाने की वजह से कम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं बन सका और इस वजह से उन लोगों को सब्सीडी नहीं दी जा सकी?

श्री सुल्तान आलम खां—तकावी जो दी जाती थी उसमें कुछ शर्तें थीं। उसमें एक शर्त यह थी कि अगर एक साल में कुवां बन जायगा तो सब्सीडी दी जायगी और खास कारणों से अगर कलेक्टर इजाजत दे दे तो दो साल में बनने पर भी सब्सीडी दी जाती थी। अगर इस मियाद में न बने तो कोई सब्सीडी नहीं दी जाती थी।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी उन कुओं का पता लगायेंगे जो दो साल के अन्दर ही पूर्ण हो गये थे लेकिन चूंकि डिपार्टमेन्ट वाइन्ड-अप हो गया था इसलिये उनका कम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं बन सका और इस वजह से वे लोग वंचित रह गये ? ऐसी सूरत में क्या सरकार उनको सब्सीडी दिलवाने की कृपा करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—जितने कुयें वक्त पर बन गये उनको सब्सीडी दे दी गई। कुछ कुयें ऐसे हैं जिनको सब्सीडी नहीं मिलनी चाहिये थी, उनको मिल गई है। उसकी जांच-पड़ताल हो रही है, उसके बाद उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—उत्तर में बताया गया है कि दो प्रकार से कुएं बने, एक तो कुओं को तकावी दी गई और दूसरे अनुदान दिया गया। मैं समझता हूं ३०० रुपया अनुदान की शक्ल में दिया गया था। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि यह जो रुपया दिया गया था वह अनुदान का था लेकिन आफिस की गलती से उसको अनुदान न मान कर तकावी में दिया जाता रहा।

श्री सुल्तान आलम खां—मैं तो इसको बहुत साफ तरीके से कह चुका हूं कि जितना रुपया तकावी का दिया जाता है उसका वक्त के अन्दर इस्तेमाल कर लेने से सब्सीडी दी जाती है। लेकिन अगर वक्त के अन्दर कुवां तैयार नहीं होता, उसके लिये कोई सब्सीडी नहीं दी जाती। पहले यह रियायत ग्रो मोर फूड केम्पेन की तरफ से दी जाती थी लेकिन अब ग्रो मोर फूड और ब्लाक दोनों की तरफ से रियायत दी गयी।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि गोरखपुर के किसानों पर जो बकाया बताया गया है, वह कितने किसानों पर है ?

श्री सुल्तान आलम खां—गोरखपुर में २७९ काश्तकारों ने तकावी का रुपया हासिल किया था जिनमें से २२८ काश्तकारों ने वक्त पर कुएं तैयार कर लिये थे और २२५ को ४०० रुपया फी कुआं के हिसाब से सब्सीडी दी गयी।

श्री केशव पांडेय—मैंने पूछा था कि कितने काश्तकारों पर रुपया बाकी है ?

श्री सुल्तान आलम खां—माननीय सदस्य खुद हिसाब लगा सकते हैं। मैंने तादाद बतला दी कि कितनों ने तकावी ली और कितनों ने कुएं बनवाये। इसको घटा कर जो तादाद आयेगी वह डिफाल्टर्स की है।

नैनीताल व पीलीभीत जिलों को उद्योगों के लिये अनुदान

*२७—श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि १९५९ में विभिन्न उद्योगों के लिये दिये गये कर्जे में कितना रुपया जिला नैनीताल व जिला पीलीभीत को दिया गया और कितने लोगों को दिया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सन् १९५९ में विभिन्न उद्योगों हेतु जिला नैनीताल व जिला पीलीभीत में कुल १,७४,९५५ रु० ऋण ६५ इकाइयों को दिया गया।

*२८—श्री प्रताप सिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने इस बात की जांच कराई कि उपर्युक्त धनराशि उद्योगों में लगी या नहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उपरोक्त धनराशि में से अधिकांश तो उद्योगों में लगाई जा चुकी है, शेष में से कुछ आंशिक रूप में प्रयुक्त की जा चुकी है, और जो अभी तक किसी भी प्रकार से नहीं लगाई जा सकी उसको तुरन्त प्रयुक्त करने अन्यथा वापस करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी ६५ इकाइयों में से केवल दो इकाइयों का नाम बतलाने की कृपा करेंगे जहां कि उद्योग सुचारुरूप से चल रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैंने एक-एक की लिस्ट नहीं मंगायी थी। एक इकाई का नाम आया है जिन्होंने कि वहां रुपया लगाया है। अगर उस तरह का प्रश्न माननीय सदस्य करेंगे तो मैं उन्हें बतला दूंगा।

ललितपुर सब-डिवीजन के विकास हेतु योजनायें

*२९—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या यह सही है कि ललितपुर सब-डिवीजन, झांसी को सरकार ने पिछड़ा इलाका घोषित कर दिया है ? यदि हां, तो कब और उसके विकास के हेतु जो योजना बनायी है क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—कोई ऐसी घोषणा तो नहीं की, पर सरकार ने जो विशेष योजना बनाई थी उसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५८६-५८७ पर।)

श्री गज्जूराम—जैसा कि सरकार ने प्रदेश के पिछले इलाके के साथ ललितपुर सब-डिवीजन को भी विशेष योजना बनायी है, तो उसे पिछड़े इलाके के अन्दर न घोषित करने के क्या कारण हैं, इसे सरकार बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री सुल्तान आलम खां—उसे घोषित करने या न करने से कोई असर नहीं पड़ता। उसको पिछड़ा हुआ इलाका मान कर ही उसके लिये योजना बनायी गयी है और जितने बैकवर्ड एरियाज हैं उन सब के लिये योजना है और उसी सूरत में काम हो रहा है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पिछड़े हुए एरिया की उन्नति के लिये ४ करोड़ रुपया भारत सरकार से प्राप्त हुआ है वह मार्च, १९६१ तक खर्च होना चाहिये, तो जुलाई, १९६० तक उसमें से कितना खर्च हो चुका है ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसके लिये आंकड़े तो इस वक्त मेरे पास नहीं हैं, लेकिन एक चीज में माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बयान कर दूं कि सन् १९५८ में बैकवर्ड एरिया के लिये १८ करोड़ रुपये की स्कीम दी गयी थी, लेकिन उसमें से ४ करोड़ रुपया ऋण के लिये मिला—पिछले साल २ करोड़ और इस साल २ करोड़। इस तरह से उसकी रूपरेखा बदल गयी और उसी हिसाब से योजनाएं बनायी गयीं। जो योजना बन गयी थी वह तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में चलेगी ही और जो पूरी नहीं हो सकेगी वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी चलेगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—सरकार की जो योजना है उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—किस योजना की बातें ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—ललितपुर, झांसी की।

श्री अध्यक्ष—यह तो बहुत काफी बड़ा है, इसके पढ़ने में देर लगेगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—ललितपुर सब-डिवीजन झांसी के बारे में ही मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—लेकिन वह भी बहुत डिटेल में है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—उसकी मुख्य-मुख्य बातें ही बतला दी जांय।

श्री सुल्तान आलम खां—जो योजनायें हैं, उनमें आबपाशी की योजना है, सड़कें बनाने की योजना है, कुटीर उद्योग-धंधे लगाने की योजना है, यानी हर तरीके से ओवर-आल डेवलपमेंट की कोशिश की गयी है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ४ करोड़ रुपया मिला है उसे सन् १९६१ के मार्च तक खर्च हो जाना चाहिये, तो उसमें से इस जुलाई तक कितना खर्च हो चुका ?

श्री सुल्तान आलम खां—जैसा कि पहले मैंने जवाब दिया कि ये आंकड़े इस वक्त मौजूद नहीं हैं कि जुलाई तक कितना खर्च हो चुका है, लेकिन पिछले साल और इस साल के लिये यह रुपया मंजूर हुआ है । इनमें बहुत-सी ऐसी योजनायें हैं जो इस वक्त पूरी नहीं हो सकेंगी और वे तीसरे प्लान तक जायेंगी ।

हैण्डीक्राफ्ट्स शो रूम, मेरठ का सामान घट जाना

*३०—**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स शो-रूम, मेरठ के टूट जाने पर सरकार को ऐसी कितने मूल्य के सामान की कमी मालूम हुई जिसकी वसूली १५ जुलाई, १९६० तक नहीं हुई है ? क्या सरकार उक्त सूची की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१,७०५ रु० ६ आ० ९ पा० के मूल्य की वस्तुओं की कमी मालूम हुई, जिसकी वसूली १५ जुलाई, १९६० तक नहीं हो पाई है ।

कमी की सूची निम्न प्रकार है :—

	रु०	आ०	पा०
आर्ट की वस्तुएँ	२९१	४	९
टेक्सटाइल्स	८४८	११	३
टेक्सटाइल्स पीस गुड्स	५१९	२	३
सेल ऐण्ड रिटर्न की वस्तुयें	४६	४	६
योग ..	१,७०५	६	९

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या सरकार को पता है कि इस शो-रूम के शार्टेज एवं अनियमितताओं के अन्य कारणों पर प्रकाश डालते हुए श्री आर० सी० मिश्रा, स्टाफ एक्जामिनर ने स्पेशल मैनेजर, गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स को उसी समय कोई रिपोर्ट दी थी ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया, इस सम्बन्ध में कुछ लोगों को चार्जशीट वगैरह दी गई, कुछ जांच की जा रही है। सारी बातों पर जवाब लेने और देने में समय लगता है। जब तक सारी बात स्पष्ट न हो जाय तब तक इस सम्बन्ध में कुछ कहना मुश्किल है ।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या सरकार को पता है कि इस शार्टेज से सम्बन्धित कितने ऐसे क्रेडिट मेमो असिस्टेंट मैनेजर, शो रूम द्वारा इश्यू किये गये थे जिनमें सामान पाने वालों का पता नहीं है और सरकार ने इस जालसाजी के सम्बन्ध में असिस्टेंट मैनेजर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, जो शार्टेजेज हमारे हुए हैं उनके सम्बन्ध में हमने वसूली के आदेश दिये हैं और उनके लिये भी कार्यवाही करनी पड़ी । शेष बातों के सम्बन्ध में जैसा मैंने निवेदन किया, वह काम्प्लीकेटेड प्रोसेस है, किसी को लोकेट करना । उसमें जांच हो रही है और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के शो–रूम के बारे में विभिन्न स्थानों से इस तरह की शिकायतें आती हैं कि कहीं गबन होता है, कहीं आगजनी होती है और कहीं चोरी होती है ? यह क्यों होता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं आज कोई राय निश्चित देना नहीं चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं कि इतने फारफ्लंग आर्गेनाइजेशन में कोई ब्रांच कलकत्ते में है, कोई नागपुर में है, उत्तर प्रदेश में कई जगह है–उनमें कुछ नार्मल लास हैं और कुछ नार्मल एक्सीडेंट्स हैं। लेकिन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे जो काम सौंपा था उसकी पूरी जांच उनके सामने पेश कर रहा हूं।

सहारनपुर जिले में पुराने गजटेड आफिसर

*३१—**श्रीमती शकुन्तलादेवी** (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर में कितने ऐसे गजटेड आफिसर हैं, जिनको तीन साल उस जिले में रहते हो गये हैं तथा उनके पद क्या–क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनके पदनाम संलग्न सूची में दिये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५८८ पर)

श्रीमती शकुन्तलादेवी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इन अधिकारियों को ३ साल से अधिक रोकने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अलग-अलग कारण हैं। कुछ लोग तो, जैसा कि माननीय सदस्या ने सूची में देखा होगा, ऐसे हैं जिनका संबंध है हार्टीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से। वह कहीं बदले ही नहीं जा सकते, क्योंकि इस प्रदेश में इस किस्म की केवल एक ही संस्था है, वह तो वहीं रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० हैं या सिंचाई विभाग में हैं या शिक्षा विभाग में हैं, उनमें ३ वर्ष का नियम नहीं है, इसलिये ये लोग वहां पर हैं। एक साहब हैं राजस्व विभाग के, उनको बदला जाना चाहिये। वहां पर चकबन्दी का काम देवबंद में करीब-करीब खत्म हो रहा है, जैसे ही खत्म हो जायेगा वह स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे। एक साहब हैं, अन्त में, जिनका नाम है, डिस्ट्रिक्ट लाइव स्टाक आफिसर। १३ अगस्त को उनकी ३ वर्ष की मियाद खत्म हुई है। थोड़े ही दिन के बाद उनका स्थानान्तरण कर दिया जायगा। एक साहब और हैं जो कि हरिद्वार में हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनके स्थानान्तरण का आर्डर हो चुका था, लेकिन हरिद्वार म्युनिसिपल बोर्ड ने खासतौर से प्रार्थना की थी कि यात्रियों का मौसम आने वाला है और इनका काम बहुत अच्छा है, इन्हें रहने दिया जाय। इसलिये म्युनिसिपल बोर्ड के अनुरोध पर उनको भी रहने दिया गया है, थोड़े दिनों के लिये।

श्री शिवप्रसाद नागर—जिन अधिकारियों को बताया है कि इनके बारे में ३ साल का सवाल नहीं उठता, तो जो ३ साल वाला जी० ओ० निकाला गया है उसके पैरा ५ में है कि सिर्फ इर्रीगेशन और बड़े प्रोजेक्ट में जो आदमी हैं उनके अलावा सभी स्थानान्तरित होंगे, इसकी ओर मंत्री जी का ध्यान गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं यह जानता हूं कि बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० के लिये तीन वर्ष का नियम नहीं है और सिंचाई व शिक्षा विभाग के लिये भी तीन वर्ष का नियम कुछ अधिकारियों को लागू नहीं है।

आजमगढ़ जिले में ग्राम सेवकों को स्थायी न करना

*३२—**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ में कितने ग्राम सेवक अस्थायी रूप से पंचायत मंत्रियों के पद पर काम कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केवल चार।

नोट :—तारांकित प्रश्न ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*३३—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन ग्राम सेवकों को अब तक ग्रामसेवक के पद पर स्थायी रूप से क्यों नहीं नियुक्त किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन चार पंचायत मंत्रियों में से दो 'ग' श्रेणी में ग्राम सेवक परीक्षा में उत्तीर्ण हुये हैं, जिनको ग्राम सेवक पद पर नियुक्ति नहीं हो सकेगी । शेष दो की नियुक्ति स्थानाभाव के कारण नहीं हो सकी है ।

झांसी डिवीजन में औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना योजना

*३४—श्री गज्जूराम—क्या यह सही है कि प्रदेशीय सरकार झांसी डिवीजन के औद्योगिक केन्द्र बनाये जाने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो जिले के किन-किन स्थानों के सम्बन्ध में क्या-क्या योजना है, कब से उसके आरम्भ होने की सम्भावना है तथा उस पर कितना धन व्यय होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

मान्यता प्राप्त राज्य कर्मचारी संस्थायें

*३५—आचार्य दीपंकर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की किन-किन संस्थाओं को वह मान्यता दे चुकी है और उनके वर्तमान अध्यक्ष एवं मंत्री कौन-कौन हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न से सम्बन्धित सूचना† सूची के रूप में सदन की मेज पर रख दी गई है ।

*३६—आचार्य दीपंकर—सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या १९५९-६० में उसने किन्हीं यूनियनों की मान्यता वापस भी ले ली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९५९-६० में किसी यूनियन की मान्यता वापस नहीं ली गई ।

*३७—आचार्य दीपंकर—यदि हां, तो क्या सरकार उनके नाम और कारण बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता ।

महानगरपालिका, इलाहाबाद को दिया गया सीवर सम्बन्धी ऋण

*३८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद महानगरपालिका को जो ऋण पालिका में सीवर बनाने के लिये दिया गया था उस ऋण का असल तथा ब्याज के लगभग दो लाख रुपये जो प्रत्येक वर्ष महापालिका को सरकार को देना पड़ता है उसको अपने १९६०-६१ के बजट में महापालिका ने शामिल नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—महापालिका ने ऋण के असल तथा ब्याज के भुगतान के हेतु लगभग २ लाख रुपये का प्राविधान निर्धारित मद में नहीं किया है, परन्तु इस धनराशि को १९६०-६१ के बजट के अंतिम अवशेष में रखा है । जहां तक शासन को मालूम, है ऐसा इस कारण हुआ है कि महापालिका की राय में sewers के निर्माण की प्रगति संतोषजनक नहीं है ।

† सूची छापी नहीं गई ।

*३९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो सीवर २६ लाख रुपये खर्च कर एल० एस० जी० डी० द्वारा इलाहाबाद नगर में बनाया गया है वह पूर्णरूप से कार्य नहीं कर रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—लगभग ८६,००० फीट के sewers जिनका कि निर्माण हो चुका है, विद्युत् शक्ति उपलब्ध हो जाने से अब (जून १,१९६०) से प्रयोग में आने लगे हैं।

सहारनपुर जिले में कूप तथा नलकूप निर्माणार्थ दिया गया ऋण

*४०—श्रीमती शकुन्तलादेवी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर में सिंचाई के कुयें बनाने तथा नलकूप लगाने के लिये १९५७ से अब तक कितना रुपया कितने व्यक्तियों ने कर्ज के रूप में लिया तथा अब तक कितने कुयें और नलकूप बने ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५८९ पर)

*४१—श्रीमती शकुन्तलादेवी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक उसको उपर्युक्त कितना कर्जा वसूल हो सका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१,३०,०७० .९७ रुपया।

गाजीपुर जिले में सिंचाई कूपों के लिये दी गई तकावी

*४२—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में १९५३ से अब तक सिंचाई के कितने कुओं के लिये तकावी सरकार द्वारा किसानों को दी गई और उनमें से कितने कुओं में चौथाई रकम की छूट दी गई और कितनों में नहीं, और छूट न देने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५९० पर)

कृषि डिप्लोमा प्राप्त सहायक विकास अधिकारी

*४३—श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय उत्तर प्रदेश में कितने सहायक विकास अधिकारी, जो कृषि डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण हैं और जिनका चुनाव सरकार द्वारा सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के लिये कर लिया गया है, स्थायी रूप से उक्त पद कर काम कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई नहीं।

उद्योगों के लिये जिलेवार अनुदान

*४४—श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० में और १९६०-६१ में जून, १९६० तक सरकार ने प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में कितना रुपया कर्जा, तकावी तथा अनुदान के रूप में उद्योग कायम करने के लिये दिया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना† सदन की मेज पर रख दी गई है।

उपरोक्त सूचना में "प्रसार योजना" के अन्तर्गत प्रदेश में १९५९-६० में वितरित ५,४७,४२५ रुपये के अनुदान की धनराशि सम्मिलित नहीं है क्योंकि उसका जिलेवार विवरण उपलब्ध करने में काफी धन, समय तथा परिश्रम लगेगा।

---

†सूचना छापी नहीं गई।

तिब्बती सीमावर्ती क्षेत्र में जनरल रिजर्व इन्जीनियर फोर्स

*४५—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार को ज्ञात है कि केंद्रीय सरकार ने तिब्बती सीमावर्ती क्षेत्र की सड़कों को बनाने के लिये एक जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स बनाई है? क्या उत्तर प्रदेशीय सरकार से इस संबंध में कोई राय ली गई तथा सरकार ने अपनी कौन-कौन-सी सड़कें इस दल को सौंपने का विचार किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केंद्रीय सरकार ने तिब्बती सीमावर्ती क्षेत्र की सड़कों को बनाने के लिये डाइरेक्टर जनरल बार्डररोड्स के एक पद का सृजन किया है। यह अधिकारी जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स तैयार कर रहे हैं। प्रश्न के द्वितीय भाग का उत्तर जनहित में नहीं दिया जा सकता।

*४६—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स द्वारा जो उत्तर प्रदेश की सड़कें बनाई जा रही हैं उनके खर्च का कोई भाग प्रदेशीय सरकार दे रही है? क्या फोर्स में मजदूरों की भरती प्रदेशीय सरकार द्वारा ही की जायेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन सड़कों को बनाने का सारा खर्च केंद्रीय सरकार देगी, मजदूरों की भर्ती का प्रश्न अभी उठा नहीं है अतः कुछ कहना संभव नहीं है।

महापालिका के कार्य के लिये नियुक्त वकीलों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें*

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से महापालिका के कार्य के लिये नियुक्त वकीलों (Counsels) की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें विनियमित करने के लिये नियमावली को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ विधेयक, १९६० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी ६ अप्रैल, १९६० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २८ अप्रैल, १९६० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २७ अगस्त, १९६० को प्राप्त हो गई और वह १९६० का उत्तर प्रदेश का १६ वां अधिनियम बन गया।

अखिल भारतीय व्रज साहित्य मंडल, मथुरा की मीटिंग में पुलिस के अनधिकृत प्रवेश से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार श्री हिम्मत सिंह जी ने एक विषय की तरफ ध्यान आकृष्ट करने के लिए सूचना मुझे दी थी जिसको मैंने स्वीकार कर लिया है जो इस प्रकार है:

"अखिल भारतीय ब्रज साहित्य मंडल, मथुरा, देश की एक लब्ध प्रतिष्ठित संस्था है, जो दीर्घकाल से हिन्दी साहित्य की बड़ी सेवा करती आ रही है। यह एक रजिस्टर्ड संस्था ही नहीं अपितु इसे सरकार अनुदान देती है। श्री वियोगी हरि, डाक्टर सम्पूर्णानन्द प्रभृति विद्वान इसके

---

*छापी नहीं गई।

[श्री अध्यक्ष]

सभापति रह चुके हैं। दिनांक १-९-६० को मंडल के मंत्री ने जब एक मीटिंग बुलाई थी तो वहां पुलिस के अनधिकार प्रवेश से लोगों में खलबली मच गई और सरस्वती के मंदिर में पुलिस के आने से एक क्षोभ का वातावरण वहां पैदा हो गया है।

"इस संस्था के वर्तमान सभापति श्री राजबहादुर केन्द्रीय उप-मंत्री ने अगस्त के प्रारम्भ में नियमावली के विरुद्ध एक बैठक कर मंडल के संचालन की सारी शक्ति तीन व्यक्तियों, श्री राज बहादुर, डाक्टर संपूर्णानन्द, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश व श्री लक्ष्मी रमण आचार्य, समाज कल्याण मंत्री, उत्तर प्रदेश की एक कमेटी में ले ली और अपना ताला उन्होंने मंडल भवन में डाल दिया। इसके विरुद्ध स्थानीय मुंसिफ की अदालत में दावा किया गया और उसमें मिली निषेधाज्ञा के एक दिन रहने के पश्चात् दूसरे दिन खाली किये जाने पर अपील जिला जज के यहां की गई जहां से दिनाक २०-८-६० को पुनः निषेधाज्ञा मिल गयी थी। इस पृष्ठ भूमि में पुलिस का आना, यद्यपि कोई शान्ति भंग का अंदेशा १-९-६० की बैठक में न था, केवल लोगों को आतंकित करने का एक बहाना है। ऐसी बातों से इस साहित्यिक संस्था को गहरा धक्का लगने का डर है। इस महत्वपूर्ण तात्कालिक प्रश्न पर माननीय गृह मंत्री का नियम ५२ के अनुसार ध्यान आकृष्ट कराया जाय।"

माननीय गृह मंत्री इस संबंध में वक्तव्य आज देंगे या और किसी रोज ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, इसकी कोई सूचना इस समय तक मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—किस रोज देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—३, ४ दिन का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष—तो आप सोमवार को वक्तव्य देंगे।

परीक्षा केन्द्र गांधी, विद्यालय इंटर कालेज, मुरादाबाद का हाई स्कूल का परीक्षाफल न घोषित करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—श्री राम कुमार वैद्य द्वारा दिनांक १ सितम्बर, १९६० को दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षा केन्द्र श्री गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, मन्डी धनौरा, जिला मुरादाबाद के १९६० के हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षार्थियों के परीक्षाफल घोषित न किये जाने के फलस्वरूप लगभग २०० छात्रों पर प्रभाव पड़ने आदि के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत गृह मंत्री का वक्तव्य।

इस पर माननीय गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, यह वक्तव्य जरा लम्बा है, ३-४ पेज है, क्योंकि उस रोज जो प्रश्न उठा था वह तो गांधी विद्यालय इंटर कालेज, मंडी धनौरा, जिला मुरादाबाद के बारे में था, लेकिन फिर अनुपूरक प्रश्नों में यह हो गया कि प्रदेश भर के लिये बता दें और माननीय गौरी शंकर राय जी ने कुछ बलिया के लिये भी पूछा था। तो यह सभी मंगाने की मैंने चेष्टा की है जो ३-४ पेज का है। आज्ञा हो तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप उसको पढ़ते हुए संक्षेप में कह सकते हैं। जो अनावश्यक हो उसको छोड़ दें, बाकी तथ्य आ जाने चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, चेष्टा तो यही करता हूं कि तथ्यहीन बातें न कहूं।

"माध्यमिक शिक्षा परिषद् को यह आक्षेप प्राप्त हुआ था कि गांधी विद्यालय इन्टरमीडिएट कालेज, मंडी धनौरा, मुरादाबाद केन्द्र पर नकल हुई। अतः संबंधित परीक्षकों एवं जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद से आख्या प्राप्त की गई। जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद, की आख्या थी कि जब वे केन्द्र पर अकस्मात निरीक्षण हेतु पहुंचे तब कतिपय परीक्षा कक्षों से हस्तलिखित पन्ने, छपी पुस्तकों के पन्ने, नोट बुक, गेस पेपर, इत्यादि बाहर फेंके गये, साथ ही कतिपय परीक्षाकक्ष में परीक्षार्थियों के डेक्सों में रखी हुई पुस्तकें भी उन्हें प्राप्त हुईं। अंग्रेजी प्रथम, द्वितीय, विज्ञान द्वितीय तथा जीव विज्ञान प्रथम भाग पत्रों के परीक्षकों की आख्या थी कि उन्हें केन्द्र की उत्तर पुस्तकों में सामूहिक अनुचित साधन प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं।

अतः केन्द्र की अंग्रेजी, गणित, हिन्दी विज्ञान, जीव-विज्ञान तथा संस्कृत प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तकों की जांच विषयों से संबंधित स्क्रीनिंग कमेटियों से कराई गयी।"

अब मैं बीच में थोड़ा छोड़ता हूं।

"संबंधित उप-समिति ने दिनांक २०, २१–७–६० को विद्यालय में जांच सम्पादित की। स्थल पर जांच के पश्चात् उन्हें अनुभव हुआ कि अभी मामला और गहरी छानबीन चाहता है। अस्तु उन्होंने पुनः केन्द्र की सभी कापियों को देखा और उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट १८ अगस्त को दे दी जिसे १९, २१–८–६० को हुई परीक्षा समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। परीक्षा समिति ने उप समिति की आख्या को स्वीकार कर लिया है और अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्वीकृति के लिये वह उनके पास भेज दी गयी है। आशा की जाती है कि बहुत शीघ्र ही उस पर अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्वीकृति मिल जायगी और तब उस निर्णय से सभी को सूचित कर दिया जायगा।"

यह तो धनौरा के गांधी विद्यालय के संबंध में रिपोर्ट थी। प्रदेश के संबंध में, मान्यवर, यह रिपोर्ट है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं में बैठने वाले दोषी अथवा संदिग्ध परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रोका जाता है और जांच द्वारा दोषी को निर्दोषी से अलग कर दण्ड देना परीक्षाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिये आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सामूहिक नकल के मामलों में जांच समिति द्वारा तथा अन्य मामलों में संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा, जांच करायी जाती है। जांच के बाद प्रत्येक परीक्षार्थी को आरोप-पत्र भेजा जाता है और स्पष्टीकरण के लिये उन्हें १५ दिन का अवसर दिया जाता है। इसके बाद परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लेने तथा उस पर माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त करने में भी कुछ समय लगता है।

यह विस्तृत प्रोसीजर है। अब रिपोर्ट से मुझे मालूम पड़ता है कि १९६० में हाई स्कूल की परीक्षा में सामूहिक अनुचित साधन के आरोप में ४३ केन्द्रों के कुल २,४३२ परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रोका गया, जिसमें से दो केन्द्रों के संपूर्ण परीक्षार्थियों का एवं ४१ केन्द्रों के कुछ परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रोका गया है। उसका विवरण हमारे पास मौजूद है। बड़ा लम्बा है। मान्यवर, सदस्य यदि माननीय चाहेंगे तो मेरे पास देख लें।

इसके अतिरिक्त, परीक्षाकाल में परीक्षा भवन में अनुचित साधन प्रयोग अन्य कारणों में इंटरमीडिएट में ६७० और हाई स्कूल में ८४७ परीक्षार्थियों के परीक्षाफल रोके गये। यानी जो संख्या मैंने ऊपर बतायी थी उनके अलावा ये हैं। इंडिविजुअल केसेज हैं। इन दोनों का टोटल मिलाकर हाई स्कूल में ३,२७९ और इंटरमीडिएट में १,३८९ परीक्षार्थियों के परीक्षाफल रोके गये। उसके विवरण मेरे पास मौजूद हैं।

इन पर बहुत शीघ्रता से आवश्यक कार्यवाही करने की चेष्टा माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हो रही है। हाई स्कूल केन्द्रों से जहां जहां से यह शिकायत आयी वहां वहां जांच हो

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

रही है और वह जांच इस रूप में हुई है कि ४३ में से ३ केन्द्रों की जांच पूरी हो गयी है और परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित हो चुका है । ११ केन्द्रों की जांच पूरी हो चुकी है, परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया जा चुका है और अध्यक्ष की स्वीकृति के उपरान्त शीघ्र ही घोषित कर दिया जायगा और ६ केन्द्रों में जांच अभी जारी है और शीघ्र ऐडहाक परीक्षा समिति द्वारा जांच करके निर्णय लिया जायगा । शेष २३ केन्द्रों पर अभी जांच संबंधी कार्यवाही होने वाली है । यह है हाई स्कूल का । हां, कौशानी के हायर सेकेन्डरी स्कूल की जांच में अभी विलम्ब लगेगा, क्योंकि पानी वगैरह के कारण उधर का मार्ग रुका हुआ है ।

इंटरमीडिएट के ६ केन्द्रों के संबंध में कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है । निर्दोष परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है । दोषी परीक्षार्थियों के संबंध में समिति निर्णय कर चुकी है । १० केन्द्रों में जांच पूरी हो चुकी है, जिनमें ८ पर परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया है, केवल अध्यक्ष परिषद् की स्वीकृति शेष है । २ केन्द्रों के संबंध में समिति द्वारा शीघ्र ही विचार किया जाने वाला है। केवल १ केन्द्र में जांच शेष है । इनके अलावा जो ७ शेष हैं उन पर इस माह में कार्यवाही पूरी हो जायगी । यह है इंटरमीडिएट का ।

दूसरे मामले जो व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के हैं इंटरमीडिएट के ६७०, उनमें से ४११ परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया है । शेष २५९ मामलों में अभी जांच हो रही है । हाई स्कूल के ८४७ परीक्षार्थियों में से ७० परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में निर्णय हो चुका है और उन्हें सूचना दी जा चुकी है और ६०० परीक्षार्थियों को आरोपपत्र भेजे जा चुके हैं, उनके स्पष्टीकरण के लिये । उनका उत्तर प्राप्त होते ही समिति द्वारा उन पर विचार कर लिया जायगा । शेष १७७ मामलों में अभी जांच होनी बाकी है । इस प्रकार यह चेष्टा इनकी हो रही है कि शीघ्र से शीघ्र ये परीक्षाफल घोषित कर दिये जायं ।

इतना और बता देना चाहता हूं, मान्यवर, आपकी आज्ञा से कि इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में २, १३,८६८ और इंटरमीडिएट की परीक्षा में ९८,०४५ विद्यार्थी शामिल हुए थे, यानी करीब-करीब सवा ३ लाख के विद्यार्थियों की कुल संख्या हुई । इनमें से, यानी ३ लाख, सवा ३ लाख में यह संख्या जिन पर कार्यवाही करने की बात हो रही है कुल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का मिलाकर १,३८९ के विरुद्ध शिकायत हुई जिनपर जांच-पड़ताल होने के बाद काफी काम हो चुका है और शेष शीघ्र हो जायगा ।

तीसरे, माननीय गौरीशंकर राय जी ने बलिया के सम्बन्ध में कुछ पूछा था । रिपोर्ट से ऐसा मालूम होता है कि हाई स्कूल के ३ केन्द्रों और इंटरमीडिएट के १ केन्द्र का परीक्षाफल रोका गया था और ९ सितम्बर, १९६० को जांच कमेटी वहां जा रही है । अब तक गणित के १२९, अंग्रेजी द्वितीय प्रश्न पत्र के ३१ परीक्षार्थियों की जांच समाप्त हो चुकी है । हिन्दी के बारे में जांच जारी है । आशा की जाती है कि शीघ्र ही जांच समाप्त करके परीक्षाफल शाया कर दिया जायगा । यह तीनों के सम्बन्ध में रिपोर्ट है श्रीमन् ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—यह जो ४६६८ विद्यार्थियों का परीक्षाफल रोका गया है, मैं जानना चाहता हूं कि जिन केन्द्रों में पूरे तौर से परीक्षाफल रोका गया है, वहां ऐसे परीक्षार्थी भी हैं जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा गया है, और जो निर्दोष व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर न जांच हो रही है और न नकल करने का चार्ज है, लेकिन कुल केन्द्र के परीक्षार्थियों का परीक्षाफल रोका गया है, तो ऐसे परीक्षार्थियों के परीक्षाफल न निकालने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, ऐसा लगता है कि जहां सामूहिक नकल हुई है वहां जितने भी परीक्षार्थी हैं सभी पर संदेह होता है । इसलिये जांच करने के बाद जो निर्दोष

होते हैं उनके नाम शाया किये जाते हैं और जिन पर दोष साबित होता है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन सेंटरों में सामूहिक नकल की शिकायत पाई गई उनके सुपरिटेंडेंट और इंविजिलेटरों के खिलाफ कार्यवाही जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरे पास कोई माध्यमिक शिक्षा परिषद् की प्रोसीडिंग्स नहीं हैं, लेकिन जो भी दोषी होगा सभी के ऊपर कार्यवाही होगी। चाहे कोई विद्यार्थी हो, सुपरिटेंडेंट हो या अध्यापक हो।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन केन्द्रों में ज्यादा नकल हुई है वहां के टीचरों पर चार्जशीट लगाई गई है और जो लड़के निर्दोष पाये गये उनके प्रवेश का वह क्या प्रबंध करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जहां तक परसेंटेज का सवाल है, उसे तो सरकार पूरा कर देती है और प्रवेश के सम्बन्ध में भी उनकी सहायता करती है जो निर्दोष होते हैं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हाई स्कूल में ३,२७९ और इंटर में १,३७९ की संख्या बताई, इनमें से कितनों का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मैंने पढ़कर सुना दिया। उस समय वह दूसरी बातें सुनते रहे होंगे। मैं फिर से जोड़ूं और बताऊं ?

श्री अध्यक्ष---अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मान्यवर, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रायः ३ लाख से ऊपर विद्यार्थी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और उनमें से ४-५ हजार नकल के मामले में हर साल पकड़े जाते हैं और इस वर्ष भी पकड़े गये हैं। उनका नतीजा का रहता है जांच के कारण और नया सेशन आरम्भ हो जाता है। अब श्रीमान्, सितम्बर मास चल रहा है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसी प्रणाली नियत करेंगे जिससे नया सेशन आरम्भ होने से पहले ऐसे विद्यार्थियों का मसला हल हो जाया करे, ताकि जो विद्यार्थी निर्दोष पाये जायं वह सेशन आरम्भ होने पर अपने को नये विद्यालय में प्रवेश करा सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि यह अभिनव व्यवस्था है, शायद दुनिया में कहीं न हो जहां हाई स्कूल तथा इंटर की परीक्षा लेने की ऐसी संस्था हो जिसमें तीन साढ़े तीन लाख विद्यार्थी सम्मिलित होते हों और उसमें से तीन चार हजार की इस तरह की घटना हो जाय और इतने दोषी पाये जायं तो, मैं समझता हूं कि असाधारण बात यह है कि इतनी कम संख्या होती है और उसकी सफलता का चिन्ह है। फिर भी चेष्टा इसमें होती है और जैसा कि उसकी रिपोर्ट से मालूम हो रहा है माध्यमिक परिषद् तीव्र गति से इस विषय में कार्यवाही कर रही है और चाहती है कि जल्दी से जल्दी घोषित हो जायं। इस प्रकार की जब कठिनाइयां सामने आती हैं तो बिना जांच-पड़ताल किये हुये अगर इस प्रकार, जो चाहे नक ल कर ले, और कोई जांच-पड़ताल भी न हो, तो इस से परीक्षाओं का स्तर गिरेगा। वह इस बात की चेष्टा करते हैं कि इन मामलों को जल्दी से जल्दी फैसला कर दें। मुझे जो सूचना मिली है, महीने, डेढ़ महीने के अन्दर, चाहे इंडिविजुअल केसेज हों या केन्द्रों के केसेज हों, फैसला कर देंगे और जिन-जिन का फैसला होता जा रहा है, उनके परसेंटेज और भरती के मामले में वह मदद भी कर रहे हैं और सरकार भी मदद कर रही है।

श्री रामकुमार वैद्य (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गांधी विद्यालय, धनौरा से गत वर्ष भी नकल करने की शिकायतें आयी थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी कोई सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है । मैं नहीं जानता । माननीय सदस्य को अधिक मालूम होगा ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---क्या माननीय मंत्री जी, यह सोचकर कि १९५८ से इस प्रकार परीक्षाफलों के कने में, इसकी संख्या में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है, और अब की मर्तबा यह संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गयी है, परीक्षा प्रणाली के नियमों में कुछ सुधार करने की समस्या पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---जो उन्होंने उत्तर दे दिया, उसके बाद यह प्रश्न उठता नहीं है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गांधी विद्यालय के जिन विद्यार्थियों के परीक्षाफल रोके गये हैं, उन कमरों में जो निरीक्षण कर रहे थे उन निरीक्षकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न उठता नहीं है । वह तो बोर्ड का काम है ।

श्री गौरीशंकर राय---अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो अभिनव व्यवस्था की बात कही है, वह समझते हैं कि चार हजार विद्यार्थियों का एक साल का समय बरबाद होना साधारण सी बात है, उसके संबंध में उन्होंने कहा कि परसेंटेज और ऐडमिशन में सहायता की जायगी, मैं जानना चाहता हूं कि हाई स्कूल में जो पास होंगे उनकी व्यवस्था तो वह इंटरमीडिएट में कर लेंगे लेकिन जो इंटरमीडिएट पास करेंगे और जिनको विश्वविद्यालय में ऐडमिशन लेना है, क्या उनके लिए भी परसेंटेज को ठीक करवा देंगे और जो ऐडमिशन की डेट बीत गयी है, उसको आगे करवा देंगे, ऐसी कोई व्यवस्था उन्होंने की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---माननीय सदस्य को मालूम होना चाहियें कि विश्वविद्यालय के रूल्स और स्टैट्यूट्स में यह बातें हैं । उनकी ओर से होता है । उनका यह निश्चय है कि जिनका रिजल्ट इस प्रकार से प्रकाशित हो और उनको विलम्ब होता हो, तो विश्वविद्यालय उनके साथ उदारता के साथ बरताव करे ।

सदन का आगामी कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि कुछ सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी प्रोग्राम के बारे में देना चाहेंगे । अगर निश्चय हो गया हो तो दे दें ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---इसकी प्रति आपके पास भेज दी गयी थी ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि उसमें थोड़ी सी बात करने की जरूरत मालूम होगी, क्योंकि उसमें इस बात का खयाल नहीं किया गया है कि कार्य मंत्रणा समिति ने कितना-कितना समय किस-किस बिल के लिए रखा है । एक ही रोज में तीन बिल रख दिये गये । समिति की सिफ़ारिश पर यह हुआ था कि एक एक रोज में एक-एक बिल लिया जायगा । इसका परिणाम यह होगा कि यह तो इस विषय में सब पार्टियों के नेताओं से बात कर के समय तय हो जाय और अगर समय कम कर दिया गया हो तो मैं पुनर्विचार के लिए कार्य मंत्रणा समिति के पास सुझाव भेज दूंगा । तो इस विषय में मैं श्री लक्ष्मीरमण आचार्य जी से बात कर लूंगा पहले, और कल मैं समझता हूं कि इसके बारे में सूचना दे दी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, कल कुछ ऐसा जिक्र जरूर आया था, हालांकि वह अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने हम लोगों को बुलाया था । तो जो बिल वगैरह हैं सेल्स टैक्स के या मोटर स्पिरिट के, इनको

पोस्टपोन करने की बात थी । यह था कि पहले प्लान डिस्कस कर लिया जाय, १६, १७ तक उस पर विचार हो जाय ताकि नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल जब बैठे .....

श्री अध्यक्ष---वह तो हो जायगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---तो वह बिल्स को कटेल करने की बात नहीं रही बल्कि यह था कि २३ के बाद फिर कभी वह आवेंगे ।

श्री अध्यक्ष---इसीलिए मैं रिकास्ट उनको कर लूंगा, क्योंकि उसमें कितना कितना समय हर एक विधयक के लिए निश्चित किया गया था उसका ध्यान नहीं रखा गया है ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता था कि इसमें से कुछ तो बिल्स ऐसे हैं कि जिनके संबंध में कार्य-मंत्रणा समिति ने निश्चय कर लिया था और कुछ शायद ऐसे हैं कि जिनके संबंध में निश्चय नहीं हुआ है...

श्री अध्यक्ष---सिर्फ एक ऐसा विधेयक है जिसके संबंध में समय का निश्चय नहीं किया गया है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---तो इसी विचार से उनको एक दिन में रख दिया था कि...

श्री अध्यक्ष---जो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है । जो लिस्ट आपने दी है इसमें कार्यमंत्रणा समिति से जिनके लिए समय निश्चित हुआ है, ऐसे दो बिल हैं और एक बिल ऐसा है जिसके लिए कि कोई समय निश्चित नहीं था, ये तीनों एक ही दिन रख दिये गये हैं जब कि उनके लिए एक एक दिन का समय निश्चित था । इसलिये मैं समझता हूं कि उसके लिए बातचीत आप कर लें और फिर कोई रास्ता उसका निकल आयेगा तो मैं देख लूंगा ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०

खण्ड १६---(क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० पर विचार जारी होगा ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, जिला परिषद् विधेयक के संबंध में मेरा एक सुझाव यह था कि प्रक्रिया नियमावली की धारा १४५ के अनुसार आपको यह अधिकार है कि कुछ खंडों को यदि सभी लोग सहमत हों तो आप उसको स्थगित कर दें । तो मैं चाहता था कि १६ और १७ खंडों को छोड़कर के १८ और १९ खंड, जो जिला परिषद् के निर्माण से संबंध रखता है, उसी पर आज हम अपने को महदूद रखें और भविष्य के कार्य-क्रम पर आगे विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि १६ वां खंड तो चल ही रहा है, १७ को आप डिस्कस कर लें और १८ को डिस्कस करें, क्योंकि.....

श्री मदन पांडेय---मेरा सुझाव यह है कि १६ को समाप्त करके १७ को आज स्थगित कर दिया जाय और १८ और १९ को ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---देखिए, १८ में जिला परिषद् का संगठन है । वही सबसे महत्वपूर्ण है और १७ को आप चाहते हैं छोड़ना । १७ को ज्यादा महत्व का आप नहीं समझते हैं तो उसको समाप्त करके १८ के ऊपर बहस कर लीजिए । लेकिन १७ को स्थगित क्यों करें ?

---

*६ सितम्बर, १९६० की कार्यवाही से ।

श्री मदन पांडेय—जी हां । उसको समाप्त कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—१८ के ऊपर वोटिंग आज हम नहीं लेंगे । उसको आप डिस्कस करते रहें ।

श्री मदन पांडेय—मेरा सुझाव था कि १८ को तीन घंटे तक चलने दिया जाय और उसके बाद जो समय बचे उसमें १९ ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—लेकिन आज वह समाप्त नहीं होगा । जब वह महत्वपूर्ण है तो उसके ऊपर चर्चा ज्यादा होगी ।

श्री मदन पांडेय—कल हम लोग और धारायें लेने की सोच रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—कल तो आप इस पर बैठेंगे ही नहीं ।

श्री मदन पांडेय—यानी जब भी बैठेंगे, तब से मतलब है । आज १८ और १९ समाप्त कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस पर कई लोगों का विचार इसको जारी रखने का है । इसके ऊपर जो आपके डिस्कशन होंगे उनको सामने रख कर संभव है कि सरकार कुछ संशोधन स्वीकार करे । तो अगर उसके ऊपर वोटिंग होकर वह आज ही फाइनलाइज हो जाता है तो फिर वह चेंज उसमें नहीं हो पायेगा, क्योंकि कई संशोधन ऐसे आये हैं जिसमें वह लोग चाहेंगे कि इनको गवर्नमेंट इनकारपोरेट कर ले । तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको आप समाप्त करने को कहेंगे तो यह चीज तो मैं नहीं कर सकता हूं । इसलिये खंड १८ को आज जारी रखिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अब सिर्फ इस प्रोग्राम के अनुसार ३ १/२ दिन दिया गया है। कुल मिला कर जो नियत किया गया था, उसमें ८ रोज तो विवाद के लिये थे । अब उसमें मालूम होता है नये कार्य-क्रम के मुताबिक दो दिन कम कर दिय गये हैं । यह उचित नहीं ह । ८ दिन तो पूरे विवाद के लिये थे और दो दिन सामान्य विवाद के लिये थे, लेकिन अब विवाद इतने दिन न होकर केवल ८ १/२ रोज होगा ।

श्री अध्यक्ष—कैसे ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—२९ तारीख को आधे दिन के बाद विवाद शुरू हुआ था । ३१ तक सामान्य विवाद रहा। १, २, ६, ७—४ रोज तक विवाद होता रहा और अब १२ को और होगा । इस तरह से ६ रोज खंडों पर विवाद होगा और होना चाहिये ८ रोज ।

श्री अध्यक्ष—ता० १२, १३ और १४ तक होगा । इस तरह से तीन दिन और मिल जायंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इसमें १२ ही लिखा है ।

श्री अध्यक्ष—इसमें १२ से १४ तक लिखा गया है ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, बात यह थी कि २७३ खंडों का यह विधेयक है, और जो समय इसके लिये नियत किया गया है, और जितने संशोधनों की सूचना आई है, उससे यह आशा नहीं की जाती कि उन तमाम संशोधनों पर विचार हो सकेगा इस समय के अन्दर । इसलिये माननीय मंत्री, जो इस बिल के इन्चार्ज हैं, उनकी सलाह से यह आपसे निवेदन किया गया था, और जितने इधर-उधर के लोग हैं उन सब की राय ले ली गई थी कि

कुछ चुनी हुई धाराएं हैं उन्हीं पर बहस कर दी जाय और फिर बाकी विधेयक को वैसा का वैसा अन्त में राय लेकर पारित कर दिया जाय । यह था । इसलिये यह तजवीज की गई थी कि आज धारा १८ पर ३ घंटा बहस हो और बाकी जो समय मिले उसमें धारा १९ पर बहस हो । यह कार्य क्रम स्वीकार किया गया था । फिर उसके बाद बजट, फाइनेन्स वगैरह पर बहस हो ।

श्री अध्यक्ष—यह सब बहस अब सोमवार को इस पर होगी । अगर १८ और १९ में सरकार को कुछ संशोधन शामिल करना होगा तो उसके लिये उन्हें फिर से ड्राफ्टिंग करना होगा । इसलिये मुझ से कई लोगों ने कहा कि संभव है कि १८, १९ खंडों में सरकार कोई संशोधन स्वीकार कर ले ।

श्री गैंदासिंह (जिला देवरिया)—ऐसा मालूम हुआ है कि १७ में जो संशोधन है उसमें सरकार का इरादा पक्का है कि पहली अप्रैल या मार्च के पहले परिषद् बन जाय । सरकार उसको स्वीकार करेगी ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अभी आपने कुछ फरमाया कि तीन दिन बैठेंगे, तो यह बात समझ में नहीं आई ?

श्री अध्यक्ष—वह इसलिये कहा था कि ८ तारीख को प्रथम पूरक अनुदानों पर बहस होगी और एक दिन अतिरिक्त अनुदानों पर और एक दिन बाढ़ पर विवाद के लिये रखा गया है । तीन दिन तक ये तीनों काम चलेंगे । इसलिये सोमवार को इस विधेयक के लिये हम बैठेंगे ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—पहले अनुपूरक लिया जायगा या अतिरिक्त वाला बजट लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—कल प्रथम पूरक अनुदान लिया जायगा और ९ को अतिरिक्त मांग ली जायगी ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अधिक न कह कर थोड़ी-सी बात निवेदन करना चाहता हू । इसका विरोध मैं क्यों कर रहा हूं, यही बतलाना चाहता हूं । कुछ कहने के पहले एक चीज की ही तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कल माननीय उप-मंत्री ने यह कहा अपने वक्तव्य में, माननीय गैंदा सिंह के लिये, संशय हो जाना जरूरी था, उन्होंने इस किस्म की बात कही कि उन्हें स्वयं संशय होने लगा । वे यह समझते हैं कि १३ वर्ष बाद जो यह पुत्र, जिला परिषद्, पैदा हो रहा है, जब तक इसके ४-५ अभिभावक नहीं होंगे, तब तक वह चल ही नहीं पायेगा । महज इसी नीयत से धारा १६ को रखा गया है कि हर तरह से सरकार का कन्ट्रोल बना रहे और इसके लिये मुझे ज्यादा प्रमाण देने के जरूरत नहीं है, इसी धारा १६ की जो उपधारा (३) है उसको देख लिया जाय, उसमें लिखा है—

"राज्य सरकार मंडल के आयुक्त को क्षेत्र समिति के प्रमुख या उप-प्रमुख के संबंध में इस धारा के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्देश दे सकती है" । यह धारा १६ का निचोड़ है । आप एक आदमी को कपड़े पहना कर, टोपी पहना कर, बिठा तो देते हैं, लेकिन उसकी असली आत्मा वही है जो इस उपधारा ३ में निहित है । तो इससे यह साबित होता है कि सरकार यह नहीं चाहती है कि किसी तरह भी क्षेत्र समिति या जिला परिषद् सरकार के परिसर से बाहर जाये ।

इसके बाद जो चौथी धारा है, श्रीमन्, उसे भी देख लिया जाय । इसकी मंशा यह है अगर कोई व्यक्ति इस पद से हटाया जाता है तो वह तीन वर्ष तक प्रमुख या उप प्रमुख के पद के लिये न चुना जा सकेगा । यानी अगर वह प्रमुख या उप-प्रमुख उसी ढंग से काम कर रहा है जिस ढंग से सरकार चाहती है, तब तो ठीक है, नहीं तो वह आयुक्त द्वारा धारा हटाया जा

[कुंवर श्रीप लसिंह]

सकता है और तीन साल के लिये । इस तरह से ३ साल के लिये सरकार इस उपधारा के जरिये अपना इन्तजाम कर ही लेती है । बाकी रह गये २ साल, वह भी इसी तरह बीत जाया करेंगे । सरकार ने ३ साल की अपनी सिक्योरिटी कर ली । इसलिये यह जो धारा है, यह बिलकुल जनतांत्रिक भावनाओं के प्रतिकूल है और माननीय मंत्री जी अगर इस उपधारा को निकाल देते हैं तो उनका संशोधन बिलकुल विष रहित सांप की तरह का हो जायगा । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसे निकाल दें । अगर यह उपधारा ३ को नहीं निकालते हैं तो यह बिषैले सांप की तरह से काम करेगा ।

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—अध्यक्ष महोदय, जो रोज की कार्यवाही हम देखते हैं उसमें माननीय सदस्यों की ओर से बार-बार टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया, नगरपालिका आदि की खराबियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है और वे चाहते हैं कि इसके संबंध में उचित कार्यवाही हो । उनका यह भी कहना रहा है कि जिले की जनता उसकी तरफ नहीं जा रही है । तो रोज कार्यवाही करने के लिए तो सरकार को मजबूर करते रहते हैं और कभी कभी यह जवाब तलब करते हैं कि इतनी जल्दी कार्यवाही क्यों नहीं हुई । इसी-लिए यह व्यवस्था रखी गयी है कि अगर प्रमुख या उपप्रमुख अपने कर्तव्यों का जान-बूझकर पालन न करता हो, पालन करने से इनकार करता हो या अपने अधिकार का दुरुपयोग करता हो या अनाचार का दोषी पाया जाय और मंडल के आयुक्त का ध्यान आकर्षित उस ओर नहीं हुआ है? लेकिन राज्य सरकार को उसके बारे में पता चले तो राज्य सरकार ने अधिकार ले रखा है कि उस संबंध में कार्यवाही करने के लिए वह मंडल आयुक्त को निदेश दे सकती है । अगर इस तरह की व्यवस्था रखी गयी है तो कोई बेंजा नहीं है । आज तक की कार्यवाही के अनुरूप ही है ।

जहां तक उप खंड (४) का सवाल है, कल ही जब अयोग्यता के बारे में विचार हो रहा था तो उधर के माननीय सदस्यों का खयाल था कि सरकार बहुत से आदमियों को अयोग्य नहीं बनाना चाहती है, उनको रखना चाहती है । उनकी भावनाओं को देख कर अयोग्यता में हमने एक संशोधन उपस्थित किया और उसको बड़ा व्यापक बनाया कि किस तरह से भ्रष्टाचार और बुराइयों के लिए वह अयोग्य ठहराये जा सकते हैं, तो अगर वह अनाचार करता है, कर्तव्य पालन करने से इनकार करता है, अधिकार का दुरुपयोग करना है, और उसको हटाया जाय और ३ वर्ष के लिये अयोग्य ठहराया जाय तो कौन सी गलत बात की गयी है ? जो कल भावनाएं व्यक्त की गयी हैं उसके खिलाफ यह व्यवस्था नहीं है, बल्कि अनुरूप ही है । इसलिए मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि उन्होंने जो विष की बात कही है वह शायद ऊपर से कहना चाहते हैं, दिल में वैसा समझते नहीं ।

मैं माननीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि १६ खंड में जो व्यवस्था की गयी है उसे उसी रूप में पारित करें ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १७

जिला परिषदों को स्थापना तथा उनका निगमन

१७—(१) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, और विज्ञप्ति में उल्लिखित किये जाने वाले दिनांक से, प्रत्येक जिले के लिये एक जिला परिषद् स्थापित करेगी, जिसका नाम उस जिले के नाम पर होगा जिसके लिये वह स्थापित की जाय ।

(२) प्रत्येक जिला परिषद् सतत् अनुक्रम तथा सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी और किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा लगाये गये निबंधनों या शर्तों के अधीन रहते हुये, उसे सम्पत्ति का अर्जन करने, उसे धारण करने तथा उसका

निस्तारण करने और संविदा करने का अधिकार होगा और वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा उसी नाम से उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।

(३) जब कोई नया जिला बनाया जाय तो नया जिला बनने के ठीक पहले उसके किसी क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाली जिला परिषद् उस क्षेत्राधिकार का तब तक प्रयोग करती रहेगी जब तक कि उस (नये) जिले में नयी जिला परिषद् की स्थापना न हो जाय, और नई परिषद् की स्थापना पर—

(१) उस परिषद् की स्थापना के दिनांक के (जिसे आगे "उक्त दिनांक" कहा गया है) ठीक पूर्ववर्ती दिनांक पर नये जिले के क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाली जिला परिषद् द्वारा आरोपित अथवा उद्गृहीत सभी कर, शुल्क, अर्थदंड अथवा शास्तियां और सभी स्वीकृत लाइसेंस अथवा अनुज्ञा-पत्र इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तथा अनुसार नयी परिषद् द्वारा आरोपित, उद्गृहीत या स्वीकृत समझे जायेंगे; और तब तक वे समाप्त, परिष्कृत अथवा परिवर्तित न कर दिये जायं तब तक इसी प्रकार वसूली योग्य अथवा प्रभावी बने रहेंगे; और

(२) नये जिले के क्षेत्र में उक्त दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को क्षेत्राधिकार रखने वाली परिषद् द्वारा की गई कोई बात अथवा कार्यवाही जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या प्रतिनिधान, जारी की गई विज्ञप्ति, आदेश या निदेश, निर्मित नियम, विनियम, प्रपत्र, उपविधि या योजना, स्वीकृत अनुज्ञा या लाइसेंस या किया गया रजिस्ट्रीकरण भी है—नये जिले के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नयी परिषद् द्वारा की गई समझी जायगी; और तद्नुसार वह तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि उसे इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी बात या कार्यवाही द्वारा अवक्रान्त न कर दिया जाय।

(४) यदि किसी समय कोई नया क्षेत्र किसी वर्तमान जिले में समाविष्ट किया जाय और ऐसे समावेश के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को कोई जिला परिषद् उस क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रही हो तो उपधारा (३) के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों नया समाविष्ट क्षेत्र कोई नया जिला हो और परिवर्धित जिले के लिये नयी संघटित परिषद् उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिये नयी परिषद् हो।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं—

खंड १७ के उपखंड (१) की पहली तथा दूसरी पंक्ति में शब्द "और विज्ञप्ति में उल्लिखित किये जाने वाले दिनांक" के स्थान पर शब्द "पहली अप्रैल, १९६१" रख दिया जाय।

इस सम्बन्ध में अधिक न कह कर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार का तो पक्का इरादा है ही कि पहली अप्रैल के पहले जिला परिषद् बन जाय, तो इसमें निश्चित तिथि रख देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि उसके पहले बन जाय जिससे आज से ही सारा उत्तर प्रदेश समझने लगेगा कि पहली अप्रैल के पहिले ही वह बन जायगी जब तक कि अधिनियम में ही परिवर्तन न किया जाय। तो कोई वजह नहीं है कि चुनाव न हो। इस बात के लिये मैं समझता हूं कोई बहस की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अधिनियम में वह परिवर्तन जल्दी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उन्हें है नहीं, उनका बहुमत काफी है।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, हम बार-बार इस बात को कह चुके हैं कि हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि फरवरी तक चुनाव अवश्य हो जायं। लेकिन इस तरह का एक बन्धन कर देने से, अगर बीच में कोई अनफोरसीन बात पैदा हो जाय और वह न हो सके, तो फिर माननीय सदस्यों के सामने आना पड़ेगा और उसमें फिर समय नष्ट किया जाय, यह उचित नहीं है। हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हमारी तरफ से पूरा प्रयास है, सारी कार्यवाही हो रही है, लेकिन अगर कोई कठिनाई पैदा हो जाय जिसको हम नहीं देख पाते तो दूसरी बात है। इसलिये इस तरह के संशोधन जिससे कि झगड़े पैदा हो जायं, सरकार मानने के लिये तैयार नहीं है। मैं फिर आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमारी तरफ से पूरा प्रयास है और हम उस तरफ बैठने वाले सदस्यों का भी सहयोग चाहते हैं ताकि इसमें कोई कठिनाई न पैदा होने पाये और चुनाव समय पर, जैसी कि हमारी इच्छा है, हो जायं।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की तरफ से बार-बार आश्वासन हुआ है। मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं अनेक बार आश्वासन हुये हैं और चुनाव भी टलते रहे हैं। यह बिल प्रवर समिति को भी इसी आश्वासन पर नहीं गया कि फरवरी तक चुनाव करा दिये जायंगे। अब माननीय गेंदासिंह जी चाहते हैं कि एक तारीख निश्चित हो जाय पहली अप्रैल की। मैं समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है और मंत्री जी को इसे मान लेना चाहिये। यदि उनका आश्वासन सही है, उनका इरादा बदलने का नहीं है तो मैं निहायत अदब के साथ प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस बात को आप बार-बार दोहरा चुके हैं उससे पीछे जाने की आपको क्या आवश्यकता है? आप इसे अवश्य मान लें।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं क्या कहूं? मैं वर्मा जी को आप तो नहीं दूंगा। उन्होंने मुझे कल श्राप दिया जब आप यहां नहीं थे। उन्होंने कहा कि गेंदासिंह के मन में संशय है और तुरन्त कहा "संशयात्मा विनश्यति"। ऐसे बुजुर्ग आदमी कहें कि हम संशयात्मा हैं, हमारा विनाश होगा, इस बात को वापस ले लें, कम से कम हमारे विनाश की कामना न करें।

श्री अध्यक्ष—वह तो उपदेश भर था। संशय आप करें ही नहीं जिससे विनाश ही न हो कभी।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैंने पहली अप्रैल की तारीख रख दी। वह खुद ही संशय वाला हृदय लेकर आते हैं और कहते हैं कि कोई अनफोरसीन चीज न हो जाय। क्या हम पहली अप्रैल तक की भी बात नहीं सोच सकते? हम पंचवर्षीय योजनायें बनाते हैं उसके लिये तिथि निश्चित करते हैं और आज कल एक शब्द "टार्गेट" बड़ा प्रचलित है, उसको निश्चित करके हम सारे काम व्यर्थ करते हैं लेकिन जिला परिषदों का चुनाव हम पहली अप्रैल तक करा लेंगे यह हम नहीं कह सकते....

श्री अध्यक्ष—चुनाव पहले हो जाते हैं, लेकिन अधिकार प्राप्त होने की दूसरी तारीख मुकर्रर होती है। चुनाव के लिये उन्होंने वादा कर दिया है कि फरवरी में करा देंगे, स्थापना के लिये नहीं कहा है।

श्री गेंदासिंह—जब पहली अप्रैल को जिला परिषदों की स्थापना हो जायगी तो लाजमी है चुनाव पहले हो जायं। श्रीमन्, अगर जिला परिषद् जैसी चीज के चुनाव की भी चर्चा न हो, उसके लिये निश्चित तिथि भी न हो, यह कहां तक मुनासिब है? आखिर उसमें प्रदेश के करोड़ों आदमियों को हिस्सा लेना है। करोड़ों आदमियों का प्लान बनाना है और उसके साथ हमको चलना है। अब आप इस पर विचार करें कि सरकार का इरादा सरकार के पास है और वह सरकार के दल के पास पहुंच जायगा। लेकिन सरकार के दल के अलावा जो लोग हैं वे संकल्प-विकल्प में हैं, जिनके लिये उन्होंने कहा कि 'संशयात्मा विनश्यति'। अब मंत्री जी कहते हैं कि न जाने कौन से अनफोरसीन सरकमस्टेन्सेज आ जायं कि ऐसा न हो पाये।

माननीय वर्मा जी तो उन खेत जोतने वाले आदमियों में से हैं जो ६ महीने पहले जमीन में बीज डाल देता है। पहले उसको जमीन में सड़ाता है और तब यह विश्वास करता है कि यह फूलेगा फलेगा, जिससे हमारा सारा काम चलेगा। तो माननीय वर्मा जी उस किसान वाले दिल से काम लें न कि दावपेच वाले दिल से। इसलिये उदारता के साथ आप हमारे पहली अप्रैल वाले प्रस्ताव को मान लीजिये।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (१) की पहली तथा दूसरी पंक्ति में शब्द "और विज्ञप्ति में उल्लिखित किये जाने वाले दिनांक" के स्थान पर शब्द "पहली अप्रैल, १९६१" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---माननीय भारतीय जी का संशोधन मैं समझता हूं अवैध है। इसमें झोलंभा वाली बात नहीं आ सकती। अगर आप इसको लाना ही चाहते हैं तो प्रस्तावना में इसे ला सकते हैं, क्योंकि आप विधेयक का उद्देश्य बताना चाहते हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जब प्रस्तावना और शीर्षक सामने आयें तब आप इसे ले आयें। उस वक्त मैं आपको इजाजत दे दूंगा।

प्रश्न यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड १८

जिला परिषद् की रचना।

१८---(१) जिला परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे---

(१) जिले में स्थापित समस्त क्षेत्र समितियों के प्रमुख;

(२) प्रत्येक क्षेत्र समिति द्वारा नियत रीति से अपने सदस्यों में से चुने गये उतने व्यक्ति (यदि कोई हों) जिनका निर्देश राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा करे;

(३) जिले में समस्त नगरपालिका बोर्डों के प्रेसीडेंट;

(४) कोआपरेटिव फेडरेशन का एक प्रतिनिधि, जिसे नियत शर्तों के अधीन तथा रीति से चुना जायगा;

(५) डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का एक प्रतिनिधि, जिसे नियत शर्तों के अधीन तथा नियत रीति से चुना जायगा;

(६) जिले की सहकारी क्रय-विक्रय समितियों का एक प्रतिनिधि जिसे नियत शर्तों के अधीन तथा नियत रीति से चुना जायगा;

(७) प्रत्येक खंड द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित उतने व्यक्ति, जितने राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे;

(८) लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के वे समस्त सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में जिले का कोई भाग सम्मिलित हो; तथा

(९) राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषद् के वे समस्त सदस्य जिनका निवास स्थान जिले में स्थित हो :

प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि खंड (७) के अधीन निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यथासंभव, खंड (१) तथा (२) के अधीन सदस्यों की कुल संख्या की आधी से कम न होगी :

द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि जनसंख्या में अन्तर के आधार पर विभिन्न खंडों के लिये खंड (२) या खंड (७) के अधीन सदस्यों की भिन्न-भिन्न संख्या निर्दिष्ट की जा सकती है।

तृतीय प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन सदस्यों की कुल संख्या बीस से कम न होगी;

चतुर्थ प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जो ग्राम्य क्षेत्र की राज्य विधान सभा की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो अथवा जो धारा २६ के अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन अनर्हित हो, उपधारा (१) के खंड (४) से (७) तक के अधीन सदस्य चुना या निर्वाचित न किया जायगा और न उपधारा (२) के अधीन अनुमेलित किया जायगा; और

अन्तिम प्रतिबन्ध यह है कि प्रमुख या नगरपालिका बोर्ड के प्रेसीडेंट के पद के रिक्त रहने की अवधि में, यथास्थिति प्रमुख या प्रेसीडेंट, के स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति (यदि कोई हो), जिला परिषद् या उसकी समितियों (कमेटियों) की बैठकों में प्रमुख या प्रेसीडेंट के स्थान पर सम्मिलित होने का अधिकारी होगा।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित सदस्य इस अधिनियम के अधीन जिला परिषद् का संघटन या पुनस्संघटन होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये तथा ऐसी रीति से जो नियत की जाय निम्नलिखित को जिला-परिषद् के अतिरिक्त सदस्यों के रूप में अनुमेलित करेंगे :—

(१) यदि उपधारा (१) में उल्लिखित सदस्यों में महिलाओं की संख्या पांच से कम हो, तो जिले में रहने वाली उतनी महिलायें जिनसे उनकी संख्या कुल मिला कर पांच हो जाय; और

(२) यदि उपधारा (१) में उल्लिखित और इस उपधारा के खंड (१) के अधीन अनुमेलित सदस्यों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या पांच से कम हो, तो जिले में रहने वाले अनुसूचित जातियों के उतने व्यक्ति जिनसे उनकी संख्या कुल मिला कर पांच हो जाय।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, संशोधन इस प्रकार है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (२) के आखिर में निम्न शब्द जोड़ दिये जायं—

"प्रतिबन्ध यह है कि इन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा।"

श्रीमन्, इस प्रकार का संशोधन इसलिये रखने की जरूरत है कि इसमें यह रखा गया है कि इन क्षेत्र समितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग आयेंगे और यह भी संभावना है कि वे सभी कुछ दलों में भी विभक्त हों। ऐसी सूरत में इस उद्देश्य से कि इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि आ जायं, इस प्रणाली की व्यवस्था की गयी है। मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। यह स्पष्ट है कि जो पार्टी बहुमत में होगी उसके सदस्य भी बहुमत में आ जायेंगे, लेकिन उससे कम से कम इतना जरूर हो जायगा कि दूसरे लोगों का भी प्रतिनिधित्व हो जायगा। इसी विचार से यह संशोधन रखा गया है। इससे अधिक बहस इस सम्बन्ध में मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि इस खंड में बहुत से महत्वपूर्ण संशोधन हैं। अगर माननीय मंत्री जी ने इस पर विचार कर लिया हो तो वे इस पर अपना मत दे दें ताकि आगे के संशोधनों पर विचार किया जा सके।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी का मतलब सिर्फ मद २ से है जिसमें लिखा है—"प्रत्येक क्षेत्र समिति द्वारा नियत रीति से अपने

सदस्यों में से चुने गये उतने व्यक्ति यदि कोई हों, जिनका निर्देश राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा करे।" वे समझते हैं कि इसमें जो शब्द रखे गये हैं उनमें कुछ कमी है। वे चाहते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उसमें चुनाव होना चाहिये, लेकिन शायद उन्होंने बहुत सोचा नहीं है। एक खंड से सिर्फ एक ही आदमी इस तरह से चुना जायगा। ऐसा हो सकता है कि शायद कोई खंड ऐसा निकल आवे जहां एक की जगह दो हो जायं लेकिन साधारणतया एक खंड से क्षेत्र समिति के सदस्यों द्वारा एक सदस्य चुना जायगा। तो जब एक सदस्य चुना जाना है वहां सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोटिंग सिस्टम लागू नहीं होगा। जब एक खंड से दो चुने जाने हों तब तो ऐसा अप्लाई हो सकता है लेकिन जनरली एक ही चुना जायगा। इसलिये यह सिस्टम कहीं अप्लाई नहीं हो सकता। शायद एक की जगह दो सदस्य चुने जाने का मौका निकल आवे। ऐसा सिस्टम जिसको आमतौर से लोग समझते भी नहीं हैं, बेकार कठिनाई पैदा करने के लिये इंट्रोडच्यूस किया जाय और जब कि उसकी जरूरत नहीं है, उचित बात नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी अपने इस प्रस्ताव को प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन इसमें लिखा है कि "प्रत्येक क्षेत्र समिति द्वारा नियत रीति से अपने सदस्यों में से चुने गये उतने व्यक्ति जिनका निर्देश राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा करे।"

श्री जयराम वर्मा—एक खंड से साधारणतया एक होगा। इसमें लिखा है कि यदि कोई हो।

श्री अध्यक्ष—वे शायद यह समझते हैं कि एक खंड से दो-दो, तीन-तीन व्यक्ति भी हो सकते हैं।

श्री जयराम वर्मा—यह नहीं होगा। साधारणतया एक खंड से एक ही सदस्य चुना जायगा। लेकिन अगर कोई छोटा जिला हो या कोई खंड बहुत बड़ा हो और जरूरत हो तो एक के बजाय दो सदस्य वहां से चुने जा सकते हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—किस बेसिस पर एक रहेंगे, किस बेसिस पर दो रहेंगे, वह बेसिस तो बतला दीजिये।

श्री जयराम वर्मा—इसकी सिर्फ मंशा यह है कि जिला परिषद् में कम से कम २० सदस्य होंगे, ऐसा लिखा हुआ है। बहुत से छोटे जिले ऐसे हैं जहां यह संख्या न पहुंच पावे, ब्लाक की संख्या कम होने से हो। जितने सदस्य हों, एम० एल० एज० हों, उन सब को मिला कर भी २० की संख्या पूरी न हो जावे तो ऐसी हालत में आवश्यकता पड़ सकती है कि एक खंड से बजाय एक के उससे ज्यादा कर दिये जायं। लेकिन जितने बड़े जिले हैं, जहां कि जिला परिषद् के सदस्यों की संख्या काफी है वहां इस प्रकार की व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ छोटे जिलों में जहां कि अन्य प्रकार से सदस्यों की संख्या बहुत थोड़ी होगी वहीं के लिये इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।

श्री मदन पाण्डेय—अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है, जिस चीज को जरूरी समझ कर यह संशोधन रखा गया है, मेरी समझ में उसमें कोई बहुत हेरफेर की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। उनका भी यह कहना है कि कहीं-कहीं यह सम्भावना है कि एक से अधिक सदस्य भी चुने जाने की नौबत आवे और इस विधेयक में भी यह स्पष्ट नहीं है कि हर खंड से केवल एक ही व्यक्ति आवेगा और जैसा कि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया उससे भी यह सम्भावना है कि एक से अधिक व्यक्ति चुने जाने की आवश्यकता आ पड़े। जब एक ही व्यक्ति चुना जाना होगा तब तो एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती। उनको जो वर्तमान मंशा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि एक से अधिक का चुना जाना जरूरी हो जाय तो माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन के

[श्री मदन पाण्डेय]

अनुसार अपनी जगह पर उस मंशा को पूरा करने के लिये इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। मैं समझता हूं कि यह न कोई पेचीदा संशोधन है और न कोई राजनैतिक मसला इसमें है, बल्कि एक साधारण सा संशोधन है जो कि चुनाव को अधिक निष्पक्ष बनाएगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—इस संशोधन में यह शब्द लिखे हैं कि "एकल हस्तान्तरणीय मतदान प्रणाली द्वारा"। "प्रपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन" के लिये शब्द "आनुपातिक सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा" है....

श्री मदन पाण्डेय—यदि उसमें कोई गलती रह गई हो तो ठीक कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—दूसरे आप यह भी कर सकते हैं कि "प्रतिबन्ध यह है कि जहां एक से अधिक सदस्यों का चुनाव करना हो वहां इस प्रकार किया जाय"। तो मैंने यह इसलिये स्पष्ट कर दिया कि संशोधन ऐसा हो जो कि अमल में लाया जा सके।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, आपने बड़ी सहायता की, और जो आपने कहा वह बिलकुल ठीक है।

श्री अध्यक्ष—अगर वह मान लें तो उसे इन शब्दों में रख दिया जाएगा।

मैंने कहा था कि संशोधनों पर आज बहस हो जाय और राय इकट्ठी हम सोमवार को ले लेंगे। (श्री जयराम वर्मा से) यह आपको स्वीकार है?

श्री जयराम वर्मा—मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है। यह यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। जो कोआप्शन करने हैं उनमें भी यह चीज आएगी, तो एक बेकार का झंझट हो जाएगा। इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री गेंदासिंह—क्या अब इस संशोधन पर बहस खत्म हो गई?

श्री अध्यक्ष—जी हां, राय बाद में ली जाएगी।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (२) के अन्त में निम्न शब्द और बढ़ा दिये जांय :

"किन्तु नियत रीति से इसमें अनुसूचित जाति के सदस्य भी होंगे।"

श्रीमन्, मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि अनुसूचित जाति के सदस्यों को भी संख्या के हिसाब से मौका मिले, जैसा कि हमारे संविधान में भी है। इसकी संख्या के लिहाज से इनका प्रतिनिधित्व हो और जैसे भी उचित हो वैसे इसकी व्यवस्था की जाय। यही मेरी प्रार्थना है कि इनकी संख्या के लिहाज से इनका प्रतिनिधित्व हो जाय।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)— अध्यक्ष महोदय, माननीय खुशीराम जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं संशोधन पर बोलूं मुझे ऐसा भय है...

(इस समय १ बज कर ६ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम मृदल, पीठासीन हुए।)

कि माननीय खुशीराम जी अपने संशोधन को वापस न ले लें। इसलिये मैं उनसे कहूंगा कि यह संशोधन उन्होंने बहुत उचित रखा है और इसमें कोई तकलीफ नहीं है।

जिस खंड में वह संशोधन करना चाहते हैं वह इस प्रकार है :

"(२) प्रत्येक क्षेत्र समिति द्वारा नियत रीति से अपने सदस्यों में से चुने गये उतने व्यक्ति (यदि कोई हों) जिनका निर्देश राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा करे"

और इसके नीचे उनका संशोधन है "किन्तु नियत रीति से इसमें अनुसूचित जाति के सदस्य भी होंगे।" मैं समझता हूं कि जो सरकार गलती कर रही है उसे माननीय खुशीराम जी स्पष्ट कर देना चाहते हैं क्योंकि इस विधेयक में मंत्री जी ने ५ सदस्य की जगह ८ कर दिये हैं। जिस इरादे से सरकार उन्हें लाना चाहती है, चाहे कोआप्शन हो, नामीनेशन हो, उसी को बढ़ाना चाहते हैं। तो यहां पर इसको स्पष्ट कर रहे हैं। इससे विधेयक में कोई दिक्कत होगी। अतः मैं कहूंगा आज हरिजन तबके की सुरक्षा का प्रश्न है, उनकी सीटों का प्रश्न है। नामीनेशन होता है, सब कुछ होते हुए भी कभी-कभी ऐसा देखा गया है। अगर विधेयक में स्पष्ट बात न हो तो माननीय खुशीराम जी की मंशा पूरी नहीं हो सकी। इसलिये यह समझते हैं कि उनका इतना विकास नहीं हुआ, पोलिटिकल कांसेशनेस नहीं आयी है, और दूसरे जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सब से बड़ा अभिप्राय यह भी है कि जो लास्ट मैन आफ दी सोसायटी है उसका भी विकास हो। तो लास्ट मैन वही है जो हरिजन या गरीब है। यह बदकिस्मती है कि गरीब की परिभाषा अभी सरकार ने नहीं बनायी है। लेकिन हरिजन की परिभाषा है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। इस नियोजन के युग में जब हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में पदार्पण कर रहे हैं इस इरादे से कि समाज के आखिरी व्यक्ति का विकास कर सकें, वह हमारी रोजाना की समस्याओं के हल में अपना सहयोग दे सके, इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं माननीय खुशीराम जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री जयराम वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, जहां पर संरक्षण की बात की जा रही है वह अप्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष चुनाव में इस तरह के संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस बात का खयाल रखते हुए कि ज्यादातर चुनाव इसमें अप्रत्यक्ष है उनके बीच से भी कुछ लोग आ जायं इसकी व्यवस्था की गई है। इसलिये यहां पर रखने की जरूरत नहीं है। आगे व्यवस्था कर दी गई है और जो प्रत्यक्ष चुनाव है वहां व्यवस्था की जा रही है।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला फर्रुखाबाद)—मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ५ सदस्य जो अनुसूचित जाति के लिये जायंगे....

श्री प्रतापसिंह—५ नहीं ८ लिये जायंगे।

श्री रामकृष्ण जैसवार—तो बहुत से हमारे विधायक हरिजन होंगे वह भी उसमें शामिल होंगे?

श्री अधिष्ठाता—मैंने आपको अवसर दिया बोलने के लिये। स्पष्टीकरण के लिये जब अवसर आवेगा तो वह दे देंगे। आप बोलना चाहें तो बोलें।

श्री रामकृष्ण जैसवार—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। जो संशोधन माननीय खुशीराम जी ने रखा है उसका समर्थन करता हूं। मंत्री जी वास्तव में जिस विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं और अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि लास्ट मैन का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो जो संविधान में हमारा संरक्षण है उससे पूर्ति नहीं होती। तो किसी भी प्रकार के चुनाव में उनकी संख्या को आधार मान कर जो भी उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो उसका समावेश होना चाहिये। इस प्रकार उनको इग्नोर करना उचित नहीं मालूम होता। इसलिये मंत्री जी से कहूंगा इस पर पुनः विचार करलें और अनुसूचित जातियों के अन्दर असन्तोष पैदा न हो। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री खुशीराम—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उस कथन को मानता हूं लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या के लिहाज से हरिजनों का प्रतिनिधित्व पूरा होगा नहीं। अगर होता है तो मैं उनकी बात को मान लेता हूं और आशा करता हूं कि उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे। बस मेरा यही कहना है।

श्री जयराम वर्मा---अधिष्ठाता महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता था कि जिला परिषद् में कुछ सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने हुये होंगे और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुये होंगे । जहां तक प्रत्यक्ष रूप से चुने हुये सदस्यों का सवाल है उनमें अनुसूचित जातियों के लिये संरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर होगा । जहां तक अप्रत्यक्ष चुनाव का सम्बन्ध है उनके लिये कोई संरक्षण होना संविधान के अनुकूल नहीं है । लेकिन इस बात का खयाल करते हुये कि काफी लोग प्रत्यक्ष रूप से आयेंगे केवल प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में उनका संरक्षण कर देने से उनके बीच से काफी सदस्य नहीं आ सकेंगे । इसलिये उनके लिये अलग से भी व्यवस्था कर दी गई है । व्यवस्था आगे यह भी की जा रही है कि एक निर्दिष्ट संख्या हर जिले के लिये की जायगी कि इस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या क्या हो और वह संख्या ५ से १० तक होगी । तो जितनी संख्या जिस जिले के लिये निर्दिष्ट कर दी जायगी अगर उस निर्दिष्ट संख्या से कम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जाति के लोग पहुंचते हैं तो उतने सदस्यों को अनुमेलित करके उनकी संख्या पूरी कर दी जायगी ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---कौन करेगा ?

श्री जयराम वर्मा---वह तो आगे है, उसको यहां कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)---अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं :---

"खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (२) को निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "जिले के समस्त टाउन एरिया तथा नोटिफाइड एरिया के चेयरमैन" रख दिये जायं ।"

श्री अधिष्ठाता---मैं चाहता हूं कि इस पर जितने संशोधन हैं वे सब एक दफा पेश हो जायं और फिर बहस चले ।

श्री रघुवीरसिंह---जैसी आप व्यवस्था करें, वैसे मैं यह चाहता था कि जिनके संशोधन हैं उनको बोल लेने दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---जी नहीं, पहले सब पेश हो जाने दीजिये ।

श्री रघुवीरसिंह---खंड १८ पर सारे संशोधन पेश होने में कम से कम एक घंटा लगेगा वह बेकार जायगा ।

श्री अधिष्ठाता---जी नहीं, एक घंटा नहीं लगेगा, आप कृपया बैठें ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (२) को निकाल दिया जाय ।

उसके बाद "मेरा संशोधन ८४ नम्बर पर है कि खंड १८ के उपखण्ड (१) के भाग (६) के अन्त में शब्द श्रमिक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि जिसे नियत शर्तों के अधीन तथा नियत रीति से चुना जायगा" जोड़ दिये जायं ।

अगला जो मेरा संशोधन ८७ नम्बर पर है यह गलत छप गया है । मेरा मतलब यह था.....

श्री अधिष्ठाता---आप जो चाहते हों उसे पढ़ दें ।

श्री भीखालाल---मैंने मदें ६ और ७ नयी जुड़वायी थीं । वह इस प्रकार हैं कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (७) को निकाल कर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

"जिला अध्यापक मंडल का एक प्रतिनिधि जिसे मंडल नियत शर्तों के अधीन तथा नियत रीति से चुन कर भेजेगा ।"

इसके बाद जो इसमें मौजूदा मदें ७, ८, ९ हैं उनकी संख्या ८, ९, १० कर दी जाय ।

इसके बाद मेरा संशोधन नं० ९६ पर है वह, इस प्रकार है :—

"खंड १८ के प्रथम प्रतिबन्ध को बदल कर इस प्रकार रख दिया जाय :—

"प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि खंड ८ के अधीन निर्वाचित किये जानेवाले व्यक्तियों की कुल संख्या के दूने से कम न होगा और उनमें हरिजनों की संख्या इतनी होगी कि उपधारा (१) में उल्लिखित कुल सदस्यों की संख्या के १८ प्रतिशत के बराबर हो ।

इसके बाद फिर ९७ नम्बर पर है जो इस प्रकार है :—

खंड १८ के उपखंड (२) के भाग (१) व (२) सहित निकाल दी जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित नई उपधारा (२) रख दी जाय :—

"(२) उपधारा (१) में उल्लिखित सदस्य इस अधिनियम के अधीन जिला परिषद् संघटन या पुनःसंघटन करेंगे । यदि परिषद् में महिलाओं की संख्या पांच से कम हो तो परिषद् जिले में रहने वाली उतनी महिलाओं को अतिरिक्त सदस्यों के रूप में अनुमेलित करेगी कि उनकी संख्या कुल मिलाकर पांच हो जाय ।"

श्री जयराम वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, जरा मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि अच्छा तो यह होगा कि एक मामले में जितने संशोधन हों उनको एक साथ लिया जाय बनिस्बत इसके कि जितने १८ के अन्दर हैं सबको एक साथ लिया जाय । इसमें जितने तरह के संशोधन आये हैं उन सब की बातों को सुनकर सबको जवाब देना मेरे लिये बड़ा कठिन हो जायगा । इसलिये जो मद २ चल रही है उस में जितने संशोधन हों वह सब एक साथ लिये जायं, उसके बाद मद ३ के और फिर मद ४ के लिये जायं तो सहूलियत होगी ।

श्री अधिष्ठाता—बात असल में यह थी कि २ बजे तक तो कोई वोटिंग होगी नहीं और शायद आप लोगों में बातचीत भी हो चुकी है कि १८ और १९ पर आज कोई भी वोटिंग नहीं होगी। तो मैंने यह समझा कि जितने हैं वे सब एक साथ हो जायं ।

श्री भीखालाल—आपने, मान्यवर, जो व्यवस्था लागू की है मैं समझता हूं कि वह ज्यादा अच्छी है और माननीय मंत्री जी भी उससे सहमत हो जायेंगे क्योंकि मेरे जो संशोधन हैं १८ पर उससे पूरा व्यू प्वाइंट आ जायगा जिला परिषदों के गठन के सम्बन्ध में आपको भी सहूलियत होगी और सदन का समय भी ज्यादा नहीं लगेगा । अलग-अलग रखने में और उन पर बोलने में समय ज्यादा लगेगा । इसलिये आपने जो व्यवस्था रखी है वह बहुत अच्छी है ।

श्री मदन पाण्डे—जो आपने व्यवस्था दी है, अधिष्ठाता महोदय, उसके हिसाब से एक बार सब संशोधन को खोजकर पेश कर दिया गया और साथ ही साथ उनको बोलने और कहने का मौका नहीं मिला तो उनको दोबारा काफी समय लगाना पड़ेगा । इसलिये अच्छा तो यही होगा कि जो लोग अपने संशोधन को पढ़े, उसको पढ़ने के बाद अपने दृष्टिकोण को भी रख दें । आज इसके ऊपर वोटिंग नहीं होने वाली है और सोमवार को होगी जैसा अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दे गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता—अब मैं इस व्यवस्था में इतना संशोधन और कर देता हूं कि १८ पर जिन सदस्यों के १, २ अथवा ३ तक प्रस्ताव होंगे वह तो सब एक साथ हो जायेंगे वरना, अलग-अलग होंगे ।

श्री रघुवीरसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के प्रथम प्रतिबन्ध का दूसरी पंक्ति में शब्द तथा अंक "तथा (२)" को निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "लगायत तथा (६) (८) व (९)" रख दिया जाय और तीसरी पंक्ति में शब्द "छाती" को निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "दूने" रख दिया जाय" ।

तथा खंड १८ के तृतीय प्रतिबन्ध में शब्द "बीस" के स्थान पर शब्द "चालीस" रख दिया जाय ।

[श्री रघुवीरसिंह]

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि :—

"खंड १८ के उपखंड (२) के आरम्भ के शब्द "उपधारा (१)" के शब्द निकालकर उसके स्थान पर शब्द "उपधारा (१)" का केवल भाग (७) रख दिया जाय ।"

इस संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि जब हमारे मंत्री महोदय ने ऐसा प्राविधान कर दिया है कि जिला परिषद् में समस्त क्षेत्र समितियों से एक-एक प्रमुख हो जायगा तो मेरी समझ में नहीं आया कि फिर क्या आवश्यकता थी कि प्रत्येक क्षेत्र समिति से अन्य सदस्य चुनकर और भेजा जाय । मैं समझता हूं कि यदि मंत्री जी दो तीन सदस्य क्षेत्र समिति से जिला परिषद् में अप्रत्यक्ष रूप से लाना चाहते हैं तो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित कराने में उनको क्या कठिनाई है ? मेरी अपनी राय में अब सरकार इस बात को समझ लेगी कि कांग्रेस दल से जनता अत्यंत असंतुष्ट है इस लिये सरकार को डर है कि अगर वयस्क मताधिकार पर चुनाव कराया जायगा तो सम्भव है कि उनका बहुमत न हो । इसलिये मैं समझता हूं कि इसको निकाल दिया जाय और सत्य के आधार पर वयस्क मताधिकार की बात को रखा जाय ।

इसके संबंध में, श्रीमन्, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । हमारे जिला एटा में अभी हाल की बात है कि जो ब्लाक्स में चुनाव हुये हैं उनमें अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा जो खेल खेले गये हैं वह सब के सामने हैं । आज माननीय भूपकिशोर जी ने प्रश्न रखा था जिसके संबंध में सरकार जानकारी कर रही है । सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से जिला परिषदों का संगठन कराना चाहती है । यही उनका लक्ष्य मालूम होता है अन्यथा इसमें कोई कठिनाई नहीं है । मेरे संशोधन को वह मानने की कृपा करें ।

दूसरा मेरा जो संशोधन है वह खंड १८ के उपखंड (१) के प्रथम प्रतिबन्ध के बारे में है । इसमें मुझे यह निवेदन करना है कि.....

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह संशोधन जो ९६-क क पर छपा है, यह आउट आफ आर्डर है ।

श्री अधिष्ठाता—आपने उस समय क्यों नहीं कहा जब उन्होंने पेश किया था ।

श्री जयराम वर्मा—उस समय श्रीमन्, मैं देख नहीं पाया । इसमें करीब १०० के संशोधन हैं अगर एक साथ उपस्थित होंगे तो मुझे देखने में मुश्किल होगी कि कौन संशोधन कहां है ?

श्री अधिष्ठाता—आप यह बताइये कि यह आउट आफ आर्डर कैसे है ?

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, उनका कहना यह है कि एक से लेकर नौ तक जितनी संख्या होगी वह कुल की संख्या दूनी से कम न होगी । यह कैसे सम्भव हो सकता है । पार्ट को होल से दूना कैसे कर देंगे । मद ७ के अन्दर जितनी संख्या है वह एक से लेकर ९ के अन्दर उससे दूनी हो जाय, यह पता नहीं कहां का गणित है ।

श्री अधिष्ठाता—जहां तक प्रस्ताव का सवाल है आप कृपया बतायें कि वह कैसे अनियमित है ।

श्री जयराम वर्मा—अनियमित इसलिये है कि इसका कोई अर्थ नहीं है । शायद मैं अपने को साफ नहीं कर पाया । खंड १८ के उपखंड (१) में ९ मदें हैं । नवों के बारे में अलग-अलग सदस्य चुने जायेंगे । उसमें ७ के अन्दर भी सदस्य चुने जायेंगे । उनके कहने का मतलब यह है कि मद ७ के अन्दर जितने सदस्य चुने जायं उनकी संख्या उस संख्या से दूनी हो जो संख्या १ से ९ मदों में चुने जायं और न उनमें ७ भी शामिल है । इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है । यह असम्भव है ।

श्री रघुवीरसिंह—अधिष्ठाता महोदय, यह तो ऐसी बात है जो हर एक पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है । ७ इस में कैसे जुड़ गया ?

श्री अधिष्ठाता—यहां आप कानून बना रहे हैं । मान लीजिये कि आप का प्रस्ताव पास हो जाय, तो अब अदालत में जायगा तो क्या व्यवस्था होगी ? आप यह कह सकते हैं कि खंड ७ को इसमें न शामिल कीजिये, तो एक बात हो सकती है :

श्री रघुवीरसिंह—मेरा अभिप्राय यह है कि खंड ७ में इतने व्यक्ति चुने जायं जो वयस्क मताधिकार से चुने जायेंगे, उसमें इतने व्यक्ति चुने जायं तो ७ को छोड़ कर १ से ६ में चुने जाने वाले सदस्यों के दूने हों । उसको इस तरह से ठीक कर लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—आप ठीक करके भेज दीजियेगा ।

श्री रघुवीरसिंह—मुझे यह निवेदन करना है कि मंत्री जी की मंशा यह है कि प्रत्यक्ष रूप से जितने सदस्य हों—मेरे खयाल में अगर मैं ब्योरे में जाऊंगा तो ज्यादा समय आप नहीं देंगे ।

श्री अधिष्ठाता—मैं समय के बारे में आपको रोकता नहीं । आप जो चाहे कहें ।

श्री रघुवीरसिंह—इसमें ७ को छोड़कर १ से लगा कर ६ तक जितने सदस्य लादे जायेंगे उसमें सात का स्थान एक चौथाई रह जायगा । मेरी मंशा यह है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो सदस्य चुने जायं उनकी संख्या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले सदस्यों की संख्या से दूनी हो ।

श्री अधिष्ठाता—आप पहले बता दीजिये कि ७ में कितने चुन कर आयेंगे, कुछ पता है ?

श्री रघुवीरसिंह—मूल अधिनियम में कुछ पता नहीं लग रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—जैसा कि विधेयक में खंड १८ है, उसमें गजट वगैरह में करेंगे, रूल्स में मंशा जाहिर करेंगे । लेकिन जैसा सेक्शन है उसको देखने से आप नहीं कह सकते कि खंड ७ में कितने सदस्य चुन कर आयेंगे ।

श्री रघुवीरसिंह—उन्होंने कोई संख्या नहीं दी तो मैं कैसे दे सकता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो ७ में चुन कर आयें वह इतने हों ?

श्री रघुवीरसिंह—मंत्री जी का जो मंशा है वह केवल २५ फीसदी का है ।

श्री अधिष्ठाता—२५ फीसदी कहां लिखा हुआ है ?

श्री रघुवीरसिंह—मैं प्रतिबन्ध आपकी आज्ञा से पढ़ कर सुनाये देता हूं :—

"खंड (७) के अधीन निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यथा-सम्भव खंड (१) तथा (२) के अधीन सदस्यों की कुल संख्या की आधी से कम न होगी ।"

वह यह चाहते हैं कि जितने सदस्य यह जिला परिषद् के ऊपर लादे जायेंगे, जैसे कोआपरेटिव फेडरेशन का एक मेम्बर, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का एक मेम्बर, जिला सहकारी क्रय-विक्रय समितियों का एक मेम्बर, लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में जिले का कोई भाग सम्मिलित हो, इसी प्रकार राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषद् के सदस्य, प्रत्येक क्षेत्र समिति द्वारा नियत रीति से अपने सदस्यों में से चुने गये उतने व्यक्ति जिन का निर्देश राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा करे, फिर जिले में स्थापित सदस्य क्षेत्र समितियों के प्रमुख जिला परिषद् के सदस्य होंगे, मेरे कहने का आशय यह है कि १ से लेकर ६ और ८ और ९ में जितने

[श्री रघुबीरसिंह]

सदस्य हों, करीब करीब उनके दुगुने वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जायं । ऐसा होने पर यह विधेयक एक सुन्दर विधेयक बन जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय रघुबीरसिंह जी, कुछ आपको ध्यान है कि जो आप कह रहे हैं, मैं उसे रोकता नहीं हूं, लेकिन कितनी संख्या जिला परिषद् में हो जायगी जो आप कह रहे हैं उससे, इसका कुछ ज्ञान है आपको ?

श्री रघुबीरसिंह—संख्या के लिये कोई परिधि तो उसकी होती नहीं है । हमारे इस सदन में ही पहले एक जिले से दो-दो सदस्य आते थे और १६, १६ आते हैं। हम चाहते यह हैं कि वयस्क मताधिकार द्वारा अधिक से अधिक चुने जायं । अगर संख्या कम करनी है तो यह जो ऊपर से लादे जा रहे हैं उनको कम कर दें ।

तीसरा जो मैंने संशोधन उपस्थित किया है वह यह है कि खंड १८ के तृतीय प्रतिबन्ध में शब्द "बीस" के स्थान पर शब्द "चालीस" रख दिया जाय ।

तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन सदस्यों की कुल संख्या बीस से कम न होगी। हम यह चाहते हैं कि ४० से कम न हो। यहां माननीय मंत्री जी ने संख्या दी है इसलिये मैंने भी संख्या दे दी । इस तरह से मेरा मंत्री जी से विनम्र शब्दों में निवेदन है कि इस विधेयक की चर्चा बहुत दिनों से थी और यह सोचा जा रहा था कि कितना प्रगतिशील विधेयक आयेगा जिससे कि हमारे जो उद्देश्य और कारण में दिया हुआ है कि बड़ा विकेन्द्रीकरण होगा, उसकी उम्मीद हमको थी । लेकिन इसमें तो अनुमेलन में अनुमेलन है । अभी यह अनुमेलन धारा २ में भी दिया हुआ है । इन शब्दों के साथ मैं यह प्रार्थना करूंगा कि यथासम्भव वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनने का अधिक से अधिक समावेश वह इसमें करें और इस तरह से अनुमेलन में अनुमेलन ठीक नहीं रहेगा । इससे विधेयक की मंशा ही समाप्त हो जायगी ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री गोविन्दसिंह बिष्ट का नाम पुकारा गया ।)

श्री देवनारायण भारतीय—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने व्यवस्था यह दी थी कि पहले सब संशोधन पेश हो जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं, उसमें मैंने तरमीम कर दी । वह व्यवस्था बदल दी । उसमें दिक्कत पड़ जाती है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के···

श्री अधिष्ठाता—आप नम्बर पढ़ दिया करिये ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, ९० नम्बर पर ।

खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (८) व (९) निकाल दिये जायं ।

इसके बाद है ९६ ककक—खंड १८ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "खंड (१) तथा (२) के अधीन" निरसित किये जायं तथा इनके स्थान पर शब्द "इस धारा के अधीन निर्वाचित अथवा मनोनीत हुये समस्त" रख दिये जायं । तथा तीसरी लाइन के शब्द "आधी" के स्थान पर शब्द "दूनी" रक्खा जाय ।

इसके बाद है ९६ ककककककक—खंड १८ के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड की दूसरी पंक्ति में शब्द "(२) या खंड" निरसित किये जायं तथा चतुर्थ प्रतिबन्ध की चौथी पक्ति में अंक "(४) व (७)" के स्थान पर "(३) व (६)" रखा जाय ।

तो श्रीमन्, इन सारे संशोधनों से मेरा मतलब बिलकुल स्पष्ट है । माननीय मंत्री जी इस आवरणीय सदन में कई बार कह चुके हैं कि वह एक बड़ा काम्प्रेहेंसिव बिल ला रहे हैं।

तो श्रीमन्, बिल तो जहां तक उसकी दफाओं का ताल्लुक है काफी लम्बा चौड़ा है यद्यपि यह पहले बिल से कुछ छोटा कर दिया गया है । इसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ज्यादा है । लेकिन इसमें श्रीमन्, एक मायूसी हमें होती है कि यह कोई एक प्रोग्रेसिव कदम आगे नहीं बढ़ा है । मैं मानता हूं कि इसमें मंत्री जी ज्यादा दोषी नहीं हैं । उनकी मजबूरियां श्रीमन्, हमें मालूम हैं । तो इन संशोधनों से जो मुख्य मेरा उद्देश्य है वह यह है कि स्पष्टीकरण (२) जो है इसको मैं निकालना चाहता हूं । उससे स्पष्ट मंशा यह है कि और उसी तरह से ८ और ९ जो हैं वह एम० एल० ए० और एम० एल० सी० जितने हैं वह न रहें यह मेरा मुख्य तात्पर्य है ।

मुझे ऐसा पता लगा है कि उधर के लोगों के लिये माननीय मंत्री जी ने यह खंड बिलकुल खुला छोड़ दिया है कि इस पर कोई व्हिपिंग नहीं होगी । उनको अपने विचार इस सम्बन्ध में प्रकट करने का पूरा अधिकार होगा । मंत्री जी के आश्वासन से हमको ऐसा लगा कि जिला परिषद् में एम० एल० ए० और एम० एल० सी० सदस्य रहेंगे लेकिन उनको कुछ अधिक अधिकार नहीं होगा । पहला जो विधेयक आया था उसको मैंने पूरा देखने की कोशिश नहीं की लेकिन उसमें विधायक न तो मेम्बर थे न उन्हें परिषद् में वोट देने का अधिकार था । मैं यहां पर आपके जरिये से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर हम इस बिल में क्या चाहते हैं । हम लोग जो एम० एल० ए० हैं या एम० पी० हैं उनका प्राइमरी फंक्शन परिषद् में जाना नहीं है । हमको जो छांटा गया है, जिस स्थान से हमको चुना गया है वहां की जनता भी हमसे यह आशा नहीं करती कि हम जिला परिषद् में जायेंगे । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि वहां पर दूसरे लोग परिषद् के लिये न मिल सकें । हर पार्टी में ऐसे लोग मिल सकते हैं । यही बात नहीं है कि ४३१ जो यहां पर विधायक हैं उनके पास ही सारी अक्ल है । वहां पर भी ऐसे समझदार लोग हैं जो वहां काम करते हैं और परिषद् में कर सकते हैं । यह तो मौका था कि हम जीत गये ।

ऐसी बात नहीं है कि हर चीज चाहे, उद्योग हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे निर्माण का क्षेत्र हो उसमें एम० एल० ए० ही काम कर सकता है और वही सारी बातें समझ सकता है । इस सदन के बाहर भी ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं । हम लोगों के बारे में एक भ्रान्ति बाहर इस तरह की फैली हुई है कि हम लोग सारी ताकत अपने हाथ में लेना चाहते हैं । हम यहां पर पावर को डिसेन्ट्रलाइज करने की बात तो बहुत करते हैं लेकिन जनता के हाथ में ताकत देना नहीं चाहते हैं । यह जनता के साथ ज्यादती है और जनता के साथ धोखा है । इससे अधिक हलके शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर सकता । हम लोगों का जो प्राइमरी फंक्शन है वह लेजिस्लेशन का है । कितने लोग हम में से दिलचस्पी लेते हैं कि जो बिल आया है वह ठीक से पास हो । उसमें ऐसा न हो कि कोई कमी रह जाय और हाई कोर्ट में जाकर वह नल एन्ड वायड हो जाय ।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह (जिला सीतापुर)—मैं श्रीमन्, आप से यह व्यवस्था चाहता हूं कि दूसरे सदस्य किस तरह से दिलचस्पी लेते हैं या नहीं या जितनी दिलचस्पी लेनी चाहिये जो कुछ काम होना चाहिये उसमें वह उतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं, मैं समझता हूं यह बहुत अनुचित शब्द है।

श्री अधिष्ठाता—आप इसको स्पष्ट कीजिये। आपका प्वाइन्ट आफ आर्डर साफ नहीं हुआ ।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह—मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो अभी यह कहा कि भवन के जितने माननीय सदस्य हैं उन्होंने इसको पढ़ा ही नहीं है, यानी वे ही इसको बस पढ़ते हैं, दूसरा कोई पढ़ता नहीं है, यह कहना अनुचित है ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय विष्ट जी ऐसा न कहें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं तो माननीय सुरेश प्रकाश जी की भी बहुत कद्र करता हूं किन्तु उन्होंने आधी बात तो मेरी लेली और आधी जो उनके दिमाग में थी उसको लेकर यहां अपनी बात कह डाली।

तो मैं यह कह रहा था कि हम लोग यहां पर आते हैं, और हमारा कर्त्तव्य यही होता है कि हम यहां पर कानून बनायें। लेजिस्लेशन के परपज के लिये ही हम यहां पर आते हैं। उसमें कितने लोग दिलचस्पी लेते हैं.....

श्री अधिष्ठाता—आप फिर उन्हीं बातों को दुहरा रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, इस वक्त जो क्लाज चल रहा है, यह बड़ा ही कन्ट्रोवर्शियल क्लाज है। इसी क्लाज की वजह से ही जहां तक मेरी सूचना है, इस बिल को लाने में इतनी देर लगी.....

श्री अधिष्ठाता—माननीय विष्ट जी, मैं आपको बतला दूं कि इस वजह से इसमें देरी नहीं हुई बल्कि वजह तो यह थी कि आपके विरोधी दल के नेता ने यह कहा था कि खण्ड १८ और १९ पर वोटिंग न हो। उस पर बहस हो जाय, और फिर बाद को वोटिंग हो, यह क्लाज १८ उसकी जान है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बिल को दोबारा सदन में पेश करने में देरी का कारण यही क्लाज था कि एम० एल० एज० वगैरह इसमें सदस्य हों या नहीं।

श्री अधिष्ठाता—आप फिर गलतफहमी कर रहे हैं, आप अपना भाषण विषय पर ही जारी रखें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मैंने अपने कानों से सुना है और मेरे सामने बहुत से माननीय सदस्यों ने इसपर आपत्ति की और स्वयं माननीय मन्त्री जी के यह शब्द थे कि आप सब लोग मिल कर जैसा तय करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और उन्होंने यहां तक कहा कि "personally I am not in favour of retaining the legislators in Zila Parishad" माननीय मन्त्री जी ने निष्पक्ष भाव से यह बात कही थी। किन्तु कुछ लोगों के दबाव में आकर उन्होंने अब इस धारा में एम० एल० ए० और सदस्य बनाने की बात इसमें रख दी है। श्रीमन्, यह बड़ा कन्ट्रोवर्शियल प्वाइन्ट है और जो इस पर विवाद चल रहा है उस समय भी सदन से लोगों की कमी इस बात की साक्षी है कि हम लोग कितनी दिलचस्पी लेजिस्लेशन के काम में लेते हैं। एक दिन में तीन-तीन चार-चार बार घंटी.....

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया आसन ग्रहण करें, तब मैं आप से दो शब्द कहूं। आप इस बात से कोई अन्दाजा नहीं लगा सकते कि इस समय हाउस में कितने आदमी बैठे हैं। अगर आप हाउस आफ कामन्स को देखें तो वहां पर आप इससे भी कम आदमी बैठे पायेंगे। इससे आप कोई डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट नतीजा नहीं निकाल सकते। आप को यह भी देखना चाहिये कि आखिरकार यह सब आपके कुलीग्स ही हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा था, मैं तो जो फैक्ट था उसको कह रहा था.....

श्री अधिष्ठाता—माननीय गोविन्दसिंह जी, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, जिन्हें देखकर भी नहीं कहा जाता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—ठीक है श्रीमन्, तो मैं अन्धे को अब आपकी आज्ञा से सूरदास कहूंगा।

अब में संशोधन पर कहना चाहता हूं। इस एम० एल० ए० के प्राविजन के रखने से जनता में बड़ा घोर विरोध हो रहा है। एम० एल० ए० के पास इतने फंक्शन हैं कि वे पूरे नहीं हो पाते। मैं तो अपनी कहता हूं कि अपने जैसे कमजोर आदमी के लिये यह सम्भव नहीं है कि उनको पूरा कर पाता हूं जितना कि करना चाहिये। फिर जिसको गृहस्थी सम्भालनी है एम० एल० ए० गीरी के अलावा, उनके कन्धे इस बोझ को कहां तक सम्भाल सकेंगे?

श्री अधिष्ठाता—आपके पास तो गृहस्थी है नहीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—इसी लिये कह रहा था कि कोई लगाव न होते हुये भी हम पूरे काम को अन्जाम नहीं दे सकते। जिले स्तर पर जितनी कमेटियां होती हैं उन सब में हमारा नाम शुमार है, उनमें भी हम नहीं जा पाते, आमनीप्रेजेन्ट तो हैं नहीं, वह तो भगवान के सिवा कोई हो नहीं सकता। यह मेरे लिये सम्भव नहीं है कि मैं जनता को धोखा दूं, उसके साथ गद्दारी करूं, जबकि मैं देखता हूं न तो, वहां की हम बातें स्टडी कर सकते हैं, न वहां के लोगों की बातें रख सकते हैं।

इसके अलावा एक बात यह रखी गई है—कोआप्टेड मेम्बर वाली बात। अलग-अलग तरीके से बहुत से अनुमेलित सदस्य बढ़ा दिये गये हैं। एक चीज मेरी समझ में नहीं आती कि किसी भी प्रजातन्त्र में यह जरूरत पड़े कि लोगों को कोआप्ट करके लाया जाय। अगर लाना है तो सीधे-सीधे चुनाव करके क्यों नहीं लाते? आजतक का तजुर्बा है कि एक्सपर्ट के नाते प्लानिंग में इतनी लूज वर्डिंग रखी गई है कि "विशेष रुचि रखते हैं" यह कह कर जिस को चाहें उसको वहां क्षेत्र समिति में कोआप्ट करके भेज सकते हैं जिससे उनकी पार्टी मजबूत हो। मैं ऐसे लोगों के नाम जानता हूं जिनको इन्डस्ट्रियल एक्सपर्ट कह कर कोआप्ट किया गया लेकिन वह "इन्डस्ट्री" लफ्ज को नहीं जानते न किसी इंडस्ट्री में रहा। रोजिन टरपेन्टाइन फैक्टरी में ऐसे व्यक्ति हैं। इसलिये विशेषज्ञ कह कर जो शासक पार्टी है वह अपना बहुमत बढ़ाये यह उचित नहीं है।

हम एक तरफ हरिजनों और औरतों के कल्याण की बात कहते हैं, कहते हैं कि छुआछूत मिटा दिया, लेकिन जब हम उनको अपने से अलग रखते हैं तब मिट सकती है या जब उनको अपने से मिला लें तब मिट सकती है? हमें तो उनको ऐसे मिलाना चाहिये जैसे दूध और शक्कर, लेकिन जो भी अधिनियम बनते हैं या बातें होती हैं उनसे ऐसा लगता है कि वह हिन्दुओं से अलग पैदा हुये हैं। उधर के बैठने वालों में से आपके द्वारा नम्र शब्दों में यह कहना चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता—उधर संख्या ज्यादा है हरिजनों की।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—हमने यह कहावत सुनी है "एक लाख पूत सवा लाख नाती," मैं मानता हूं कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन आजकल एटामिक एज है, एक बड़ी संख्या के लिये एक एटम बम काफी होता है.....

श्री अधिष्ठाता—मैंने यह कहा था कि उनकी पार्टी में हरिजनों की संख्या ज्यादा है बनिस्बत आपकी पार्टी के।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—परसेन्टेज इधर ही ज्यादा है। भारतीय जनसंघ ने एक नान-हरिजन सीट पर एक हरिजन को खड़ा किया और दस हजार वोट से उसको जिता कर लाया। तो आज इस प्रकार की सेप्रेटिस्ट टेन्डेन्सीज को फैलाना गलत है। अगर मेल कराना है तो यह किया जाय कि हरिजनों से व्याह शादी के मामले में इतना इनाम दिया जायगा, जो जितनी बड़ी बरातियों की पार्टी लेकर आयेगा उसको इस प्रकार से इनाम दिया जायगा, इस प्रकार की बातें हों तो एका बढ़ेगा, मेल और मुहब्बत बढ़ेगी.....

श्री अधिष्ठाता—अब आप अपने विषय पर आ जाइये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—हरिजनों को सीटें दी जांय गरीबी के आधार पर और पिछड़ेपन के आधार पर। ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे वह आ सकें इसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर जिला परिषद् में सेन्टपरसेन्ट हरिजन आ जायें तो भी जनसंघ इसके लिये राजी है। हम जाति-पांति मानते ही नहीं। लेकिन इस तरह के पृथक्करण से न मालूम कितने लोगों ने अपने धर्म को छोड़ दिया। इस प्रकार से जो संरक्षण होता है उसका नतीजा यह होता है कि कोई कहता है कि सिखिस्तान बनाओ, कोई कहता है कि नागालैन्ड बनाओ। अगर इस प्रकार से देश का बटवारा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और साम्प्रदायिक आधार पर किया जाय, इसके हम सख्त विरोधी हैं। गांव-गांव में इस पृथक्करण की भावना को ले जाने से छुआ-छूत नहीं मिटेगी और आपके इस बिल का जो परपज है वह डिफीट हो जायगा। इसलिये मैं आदरणीय सदन से आपके द्वारा गुजारिश करूंगा कि हम सदस्यों में जो स्वार्थ की भावना आ गई है उसको दूर करें। कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों में भी काफी समझदार लोग ऐसे मौजूद हैं जो असेम्बली या पार्लियामेंट में नहीं आ सकते हैं, उनकी अक्ल पर हमको भरोसा रखना चाहिये। वह अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, अक्ल का हमने ही केवल ठेका नहीं ले रखा है। मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा की जायगी।

श्री भीखालाल—श्रीमन्, आपने मुझे अपना मत व्यक्त करने का मौका नहीं दिया था आपने कहा था कि बाद में देंगे, अगर आप मुनासिब समझें तो मौका दे दें।

श्री अधिष्ठाता—आपको मौका मिलेगा।

श्री देवनारायण भारतीय—मेरा संशोधन भी था।

श्री अधिष्ठाता—मैंने यह व्यवस्था दी थी कि जिनके एक से ज्यादा संशोधन हों वह एक साथ पेश कर दें फिर बाद में उस पर बहस हो जायगी लेकिन बदकिस्मती से बिष्ट जी ने बीच में अपना संशोधन पेश करना शुरू कर दिया।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, जिस खंड पर इस समय हम बहस कर रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है क्योंकि जिला परिषद् का क्या रूप होगा, कितने मेम्बर होंगे, किस तरह की रचना होगी, वही कलाज इस समय चल रहा है। मैं समझता हूं कि हमारी ग्रामीण जनता के दिमाग में और दिल में विकेन्द्रीकरण का जो नक्शा था वह इसके द्वारा कार्य-रूप में परिणत किया जायगा। मैं इस आदरणीय सदन के सदस्यों से अपने को भी उसमें शामिल करता हूं यह अपील करना चाहता हूं कि वह इस खंड को कोई बहुत आसान या टालू न समझें, इसी के द्वारा विकेन्द्रीकरण की योजना सफल होगी। कौन सदस्य रहेंगे और कौन नहीं रहेंगे इसको अगर हमने जल्दबाजी में पास कर दिया तो मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस बिल का जो मंशा है, जो चित्र खींचा जाने वाला है, उसको करने में वह असमर्थ रहेंगे।

मान्यवर, प्रश्न आज यह सामने है कि जिला परिषदों की रचना में बहुमत उन लोगों का रखना चाहते हैं जो किन्हीं विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष या मन्त्री हों, या विधान सभा के सदस्य होने के नाते वहां के सदस्य हों, या प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने हुये सदस्य उसमें आवें। इसमें कोआपरेटिव सोसाइटियों के लोग आवेंगे और नगपालिकाओं के लोग आवेंगे। जिला परिषद् का सब से बड़ा सम्बन्ध गांव के लोगों से होगा। विकेन्द्रीकरण की योजना यदि सफल होगी तो गांव के लोगों से होगी। विकेन्द्रीकरण का मन्शा यही है कि लोगों में इनीशियेटिव आवे और जनतांत्रिक संस्थाओं की उन्नति हो। यह तभी होगा जब कि हम वहां के देहात के लोगों को जिला परिषद् के कार्य में शामिल करेंगे। अगर उन लोगों को यह मालूम है कि हम किसी कोआपरेटिव सोसाइटी के सदस्य या किसी फेडरेशन के सदस्य न होने से जिला परिषद् में नहीं आ सकते हैं तो उन लोगों में इम्पीटस नहीं आवेगी। वे अलबत्ता हम से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सभी लोग हिन्दुस्तान में जवाहरलाल जी

नहीं हैं और सभी हर विषय पर एक्सपर्ट नहीं हो सकते। अगर एक व्यक्ति को हम कई जगह न रखकर एक ही स्थान पर रखें तो वह अच्छा काम कर सकता है। हम लोगों ने, मैं अपने को भी शामिल करता हूं, किसी पर लांछन नहीं लगाता हूं, ऐसी आदत डाली हुई है कि लोग यह समझते हैं कि हमारे पास लेजिस्लेशन का काम कुछ नहीं है और अगर कोई मतदाता आता है तो हम उसे परमिट दिलाने के लिये यहां से उठकर चले जाते हैं और उसका काम कराने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। यह भावना किसने जाग्रत की? हमारी मल्टी-फेरियस एक्टीविटीज ने की, या गेंदा सिंह जी ने की? देहात के मतदाता तो यह भी समझते हैं कि एम० एल० ए० का काम हमारी लड़की की शादी से लेकर लड़के को नौकरी दिलाने तक है।

जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उस समय यह आशंका पैदा हुई कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार होने से वह तानाशाह बन सकता है। उस समय स्वर्गीय अम्बेदकर ने कहा था कि—"Howsoever hard a constitution may be it depends upon the working lot how it works."

इसका अनुवाद यह है कि संविधान कितना ही खराब हो लेकिन उसकी सफलता उसे कार्यान्वित करने वालों पर निर्भर करती है।

(इस समय २ बजे उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

मन्त्री जी का मंशा चाहे जितना अच्छा हो लेकिन बिल को तो वही लोग कार्यान्वित करेंगे जो जिला परिषद् में होंगे। यह एक एम० एल० ए० के अधिकार क्षेत्र से भी बड़ा अधिकार होगा जो आप उन्हें देने जा रहे हैं। अगर एम० एल० ए० जीत कर नहीं आता है तो उसका पर्सनल नुकसान हो सकता है लेकिन देश या जिले का कोई नुकसान नहीं होता है। परन्तु यदि हम जिला परिषद् में गलत आदमी रखते हैं तो जिले की तमाम योजनायें फेल हो सकती हैं। इस लिये मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने की आवश्यकता नहीं है।

मन्त्री जी इस राय के खिलाफ कि इसमें लेजिस्लेटर्स को न रखा जाय, यह बिल कैसे आ गया? इसका जवाब यही है कि हमारी हुकूमत पार्टी जिला परिषदों में भी अपनी तानाशाही और मेजारिटी कायम करना चाहती है। अगर ऐसा नहीं है तो विचित्रनारायण जी की मंशा को, जो हमेशा बहुत अच्छे विचार लेकर समाज और देश के सामने आते हैं, मेजारिटी पार्टी में क्यों नहीं फलीभूत होने दिया? हमें ऐसे लोगों को रखना चाहिये जिनसे अधिक से अधिक सहयोग जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सत्ता को स्थापित करने में मिले। यह तभी हो सकता है जबकि हम समाज के अन्तिम आदमी को भी अवसर दें। नियोजन का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि सब से ज्यादा विकास उस आदमी का होना चाहिये जो सोसाइटी का लास्ट व्यक्ति है। तो क्या हम विधायक सोसायटी के अन्तिम लोग हैं? नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि सत्ताधारी दल के लोग इसे पार्टी का चश्मा उतार कर देखें कि क्या उस मतदाता को जिला परिषद् का सदस्य बनने का अधिकार नहीं है जिसने हमको यह सुनहली कुर्सी सौंपी है। लेजिस्लेटर के वहां का सदस्य होने का मतलब यह है कि जिसके कीमती वोट से हम चुन कर यहां आये हैं उसे वहां का सदस्य होने से हम डिबार करते हैं कि वह वहां का सदस्य न बने। यदि मन्त्री जी के लिये यह सम्भव नहीं है तो मैसूर जैसा ही रख लें कि वहां उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं है। इससे हमारी विलेज लीडरशिप को भी विकसित होने का अवसर रहेगा। यही मंशा इस संशोधन की है, जिसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री सुरेशप्रकाशसिंह—श्रीमन्, मेरा विचार इस विवाद में भाग लेने का नहीं था, किन्तु हमारे पर्वतीय क्षेत्र के दो माननीय सदस्यों को सुन कर मुझे दुख है कि मुझे उठना पड़ा। जिला अल्मोड़ा के माननीय सदस्य ने बहुत-सी गालियां विधायकों को दे डालीं। खैर, उसके लिये मैं यही कह सकता हूं कि कोई व्यक्ति अपना चेहरा शीशे में देखकर गालियां देना चाहता है तो देता रहे। यह मैं अवश्य साफ कर देना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य यह समझ कर

[श्री सुरेशप्रकाशसिंह]

यहां बोले कि जो कुछ उन्हें पसन्द है वही उत्तम है और जो कुछ वह सोचते हैं वही उचित है तो मुझे नहीं मालूम कि डेमाक्रसी कैसे पनपेगी।

हर सदस्य को अधिकार है कि वह किसी प्रश्न पर कैसे भी विचार रखे, लेकिन दूसरी तरह के विचार रखने वालों पर हमला करना मैं नहीं समझता कि कहां तक उचित है; और माननीय प्रताप सिंह जी ने इसी सांस में न मालूम कितनी बातें कह दीं जो परस्पर विरोधी हैं। एक ओर तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के माननीय सदस्य डिक्टेटर की तरह किसी की बात सुनना नहीं चाहते और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जब माननीय मन्त्री जी के व्यक्तिगत विचार यह थे तो ऐसा कैसे हो गया। तो मैं उनसे कहूंगा कि कम से कम कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है कि एक ने अगर कौकिया दिया तो सब वैसे ही कौकियाने लगे। माननीय मन्त्री जी को भी अपने व्यक्तिगत विचार रखने का उतना ही अधिकार है जितना कि हम सब को है। क्योंकि कांग्रेस की पार्टी के अधिकांश एम० एल० ए० यह चाहते थे इसलिये उनको यह बात माननी पड़ी, और किसी पार्टी में यह बात न होगी। अब यह तो किसी भी माननीय सदस्य पर निर्भर करता है कि वह यह तय करे कि वहां जाना चाहिये या नहीं जाना चाहिये। बहुत से माननीय सदस्य होंगे जो यह सोचते होंगे कि उन्हें नहीं जाना चाहिये। अब मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि उनको वहां बांध कर कौन रख देगा।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जिन मतदाताओं ने उनको वहां अपना मत देकर भेजा है उन्हीं को हम लोग डिबार कर रहे हैं। जब वे एम० एल० ए० की हैसियत से वहां बैठेंगे और चुनाव में किसी प्रकार से भी भाग नहीं लेंगे तो किस प्रकार से मतदाताओं के हक को वे छीन लेंगे। मैं पूछता हूं कि एम० एल० ए० ने वहां बैठकर किस के अधिकारों का हनन किया या किसको रोक दिया और स्वयं उसकी जगह पर आ गया? मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस मामले में जहां कि जिला परिषदों की रचना का प्रश्न विचाराधीन है केवल इस मद्देनजर से इस चीज को देखेंगे और वहां बैठ कर देखें कि वे जिले की कुछ सेवा कर सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर वह समझते हैं कि एम० एल० ए० द्वारा कोई सेवा नहीं हो सकती है, एम० एल० ए० के पास इतना काम होता है कि वहां उसको बैठना नाइन्साफी होगी, जब वे समझते हैं कि वहां जाकर एम० एल० ए० तोड़-फोड़ ही करेगा, वह इसलिये वहां जाता है कि दूसरों के अधिकार छिन जांय, तो श्रीमन्, उनको अधिकार है अपने ऐसे विचार रखने का; लेकिन अगर वे सेवा के भाव से वहां बैठेंगे तो जिला परिषदों की मदद ही होगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन को यह सदन अस्वीकार करेगा।

श्री देवनारायण भारतीय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को रखने से पहले आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि जब आप अध्यक्ष की कुर्सी पर पीठासीन नहीं थे तब माननीय अधिष्ठाता ने दो परस्पर विरोधी व्यवस्थायें दीं। एक तो यह कि सब सदस्य अपने सब संशोधनों को, जो धारा १८ पर हैं, एक साथ पेश कर दें और कोई भाषण न दें। इसलिये माननीय भीखालाल जी ने अपना संशोधन पेश किया और उनका भाषण नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद ही जब श्री गोविन्दसिंह जी विष्ट ने अपना संशोधन पेश किया तो उन्होंने विवाद शुरू कर दिया और अधिष्ठाता महोदय ने विवाद की उनको इजाजत दे दी। अब उपाध्यक्ष महोदय, खंड १८ पर और संशोधन पेश होने से रह गये हैं। अब आप जैसी आज्ञा दें वैसा करूं। मैं अपने सब संशोधन पेश करूं?

श्री उपाध्यक्ष—आपका संशोधन अभी पेश हुआ है कि नहीं हुआ है?

श्री देवनारायण भारतीय—नहीं हुआ है। तो मैं सभी संशोधन पेश कर देता हूं और पूरी दफा १८ पर विवाद करता हूं।

श्री भीखालाल—श्रीमन्, मुझे भी कुछ निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष—आपको भी समय मिलेगा। आप बैठ जायं अगर आपका यही निवेदन था।

(श्री देवनारायण भारतीय से) आप अपने संशोधन पेश करके उन पर भाषण जारी कर दें। जिन माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन पेश किये हैं, श्री अधिष्ठाता का मतलब यह नहीं था कि उनको समय नहीं मिलेगा, उनको समय दिया जायगा।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संख्या ७७ पर मेरा जो संशोधन है वह इस तरह से है····

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। जिन माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन प्रस्तुत कर दिये और नहीं बोले उनको तो आप बोलने का अवसर देंगे परन्तु जिनके संशोधन अभी खण्ड १८ पर प्रस्तुत ही नहीं किये जा सके, उनके साथ क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—उन्हें अधिकार तो होगा ही बोलने का और पेश करने का भी।

श्री देवनारायण भारतीय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं:—

"खन्ड १८ के उपखन्ड (१) के भाग (२) तथा (६) निकाल दिये जायं।"

इसके पश्चात् मान्यवर, मैं संशोधन संख्या ७८ पेश करता हूं:—

"खन्ड १८ के उपखन्ड (१) का भाग (३) निकाल दिया जाय।"

इसके बाद मैं संशोधन संख्या ८२ पेश करता हूं—

"खन्ड १८ के उपखन्ड (१) के भाग (४), (५) व (८) निकाल दिये जायं।"

इसके बाद मैं संशोधन संख्या ८८ पेश करता हूं—

खन्ड १८ के उपखन्ड (१) के भाग (७) तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिबन्धात्मक अंश के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(अ) बालिग मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा चुने हुए व्यक्ति।

(ब) परिषद् की कुल सदस्य संख्या कम से कम २५ तथा अधिक से अधिक ६४ होगी।"

श्री उपाध्यक्ष—पहले आप अपने संशोधन पर बोलें, उसके बाद किसी का विरोध करना हो तो उस पर भी बोलें, लेकिन आपको समय ७ मिनट ही मिलेगा।

श्री देवनारायण भारतीय—समय का तो कोई सवाल मुझसे पूर्व वक्ताओं के भाषण में अब तक नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय अध्यक्ष ने यह निश्चय कर दिया था कि बीच में भाषण करने वाले को ५ मिनट और प्रस्तावकर्त्ता तथा मंत्री जी को ७ मिनट मिलेगा।

श्री देवनारायण भारतीय—दूसरी जो रूलिंग हुई इसी चेयर से वह यह थी कि समय का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो मेरा समझ में पहली रूलिंग दूसरी रूलिंग के बाद कारगर नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—आप भाषण करें, मैं देख लेता हूं कि दूसरी रूलिंग कब हुई।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये संशोधन ····

श्री उपाध्यक्ष—आप संशोधन संख्या ९४—ककककककककक नहीं पेश कर रहे हैं ?

श्री केवलारायण भारतीय—मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे स्मरण दिला दिया।

मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन भी पेश करता हूं कि "खन्ड १८ के उपखन्ड (१) का भाग (९) निकाल दिया जाय।"

इस विधेयक में जो सब से महत्वपूर्ण खन्ड है वह १८ ही है। इसलिये कि इस खन्ड के द्वारा जिला परिषद् की रचना होने का विधान किया गया है। जिला परिषद् की हम बहुत दिनों से जो आशा कर रहे थे वह यह थी कि विकेन्द्रीकरण के आधार पर एक ऐसी भावना को लेकर के कि हमारे प्रदेश में चौखम्भे राज्य की स्थापना हो और समाजवादी समाज की स्थापना हो, हमारा देश सुखी हो और जो भ्रष्टाचार, अनाचार, भुखमरी और गरीबी हमारे देश में फैली हुई है वह सब दूर हो जाय, इन उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला विधेयक आयेगा, इस विचार से हम इस विधेयक का बड़ी आशा लगाये हुये थे, लेकिन जिस खंड के आधार पर जिला परिषद् की रचना की जा रही है उसको देख करके हमारी उन आशाओं पर तुषारापात हो गया। हम यह समझने लगे कि हमारे माननीय मंत्री जो इस विधेयक के द्वारा हमारे जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों में भी चाहते यह हैं कि वहां पर संख्यासुर के आधार पर कांग्रेस का बहुमत रहे। यह भी प्रकट होता है कि उन्हें इस बात की आशंका है कि इस विधान सभा में और जिला परिषद् में तथा क्षेत्र समितियों में उनका बहुमत रहने में अब उन्हें सन्देह है, इसलिये वह नामजदगी के द्वारा इंडायरेक्ट तरीके से ऐसे लोगों का समावेश जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों में कर देना चाहते हैं कि जिससे उन्हें कुछ थोड़ी बहुत आशा बनी रह सके कि वहां उनका बहुमत हो जाएगा।

मैंने जितने भी संशोधन रखे हैं उन सब का उद्देश्य यह है कि इस खन्ड के उपखन्ड १ और ७ को छोड़कर शेष सभी उपखन्ड निकाल दिये जायं, अर्थात् उप खन्ड २, ३, ४, ५, ६, ८ और ९ निकाल दिये जायं। उपखन्ड १ में सुझाव है कि "जिले में स्थापित समस्त क्षेत्र समितियों के प्रमुख" जिला परिषद् में रखे जायं। हम समझते हैं कि जिला परिषद् में इनका रहना आवश्यक है, और इसीलिये हम इस उपखन्ड का रखना आवश्यक समझते हैं। इसके अतिरिक्त उपखन्ड ७ में यह है कि "प्रत्येक खन्ड द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित उतने व्यक्ति जितने राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे" जिला परिषद् में रखे जायं। मान्यवर, हमारी सोशलिस्ट पार्टी का मुख्य सिद्धान्त यही है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वह यह है कि केवल निर्वाचित व्यक्ति ही जिला परिषद् में रखे जायं। हम शक्ति का तो विकेन्द्रीकरण करना चाहें और जिला परिषद् तथा क्षेत्र समितियों में संसद सदस्यों को, विधान सभा सदस्यों को और राज्य सभा सदस्यों को जबर्दस्ती उन चुने हुए व्यक्तियों के सिर पर बैठा दें और फिर विकेन्द्रीकरण का दावा करें तो मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं। आज विधान सभा में लोक सभा के सदस्य नहीं हैं लेकिन उनको जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों में रखना चाहते हैं। क्या स्थिति होगी जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों की जहां कि लोक सभा के सदस्य उनके सिर पर बैठकर विचार करेंगे और राय देंगे? क्या आप इस खन्ड के द्वारा जनतन्त्र का गला नहीं घोट रहे हैं?

लोक सभा के सदस्यों को और विधान सभा के सदस्यों को केवल इतना अधिकार दे दें कि वह उपस्थित रह सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार और आवश्यकतानुसार अपने विचारों को भी प्रकट कर सकते हैं, परन्तु मतदान का कोई अधिकार नहीं देना चाहिये। वे बुलाये जा सकते हैं जब कभी आवश्यकता समझी जाय, यदि आप ऐसा प्रस्ताव लायें तो मैं समझता हूं कि आप की बात को हम स्वीकार कर सकते थे। लेकिन जिस सूरत में आप उनको उसका सदस्य रखना चाहते हैं और निर्वाचित व्यक्तियों के ऊपर लादना चाहते हैं उससे हम सहमत नहीं हो सकते।

आपने उपखन्ड २ से लेकर ६ तक और ८ तथा ९ में जिन व्यक्तियों को रखने का प्रयत्न किया है वे सभी ऐसे हैं कि जिनके द्वारा आप चाहते यह हैं कि जो संख्यासुर समय समय

कर और कभी कभी आपकी यहां विरोधी बल के आक्रमण से रक्षा करता है वही संख्यासुर यहां से विरासत में जिला परिषदों में जाय और वहां जाकर कांग्रेस बल तथा कांग्रेस पार्टी के हितों की रक्षा करे।

उपखन्ड २ से लेकर ६ तक में जो प्राविधान है उनके संबंध में भी मैं कुछ आलोचना करना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि नगरपालिका बोर्डों के प्रेसीडेन्ट उसमें रहें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिला परिषद् जिले का प्रबन्ध करेगी। नगरपालिका का प्रबन्ध करने के लिये प्रायः समान अधिकार आपने नगरपालिकाओं को दे रखे हैं। मैं इस बात को आवश्यक नहीं समझता कि आप नगरपालिका के प्रेसीडेन्ट्स को जिला परिषदों में सदस्य की हैसियत से मतदान का अधिकार दें। वहां पर तो केवल देहाती क्षेत्र के प्रतिनिधियों को ही मतदान का अधिकार होना चाहिये, ऐसा सोशलिस्ट पार्टी का विचार है और इसी के आधार पर चलने से विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य पूरा हो सकता है और शक्ति देहातियों के हाथों तक पहुंच सकती है।

कोआपरेटिव फेडरेशन, जिला कोआपरेटिव बैंक और जिले की सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के प्रतिनिधि प्रायः सहकारिता मंत्री द्वारा नामजद व्यक्ति हैं और यह मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, सभी प्रायः कांग्रेस बल के व्यक्ति हैं। मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि क्या वे किसी जिले का उदाहरण पेश कर सकते हैं जहां क्रय-विक्रय समिति, जिला सहकारी बैंक का मैनेजर अथवा जिला कोआपरेटिव फेडरेशन के सेक्रेटरी को हैसियत से कांग्रेस दल के अलावा कोई भी व्यक्ति सरकार ने आज तक नामजद किया हो? ऐसी परिस्थितियों में इन उपधाराओं के द्वारा आप चाहते हैं कि उक्त सहकारी समितियों में गलत तरीके से आपने कांग्रेस वालों की जो नामजदगियां की हैं उनके द्वारा वे कांग्रेसी व्यक्ति जिला परिषदों में आ जायं और उनके द्वारा आपको अपना संख्यासुर बनाने में सहायता मिले। इसलिये इन खन्डों का मैं विरोध करता हूं।

जहां तक उपखन्ड (२) का प्रश्न है राज्य सरकार गजट में अपने मनमाने व्यक्तियों की नामजदगी करेगी। मैं समझता हूं सरकार इन नामजदगियों से हमेशा केवल कांग्रेस दल को ही फायदा पहुंचाने का विचार रखती है। यह विधेयक तैयार करना चाहिये था, इसके खन्ड, उपखन्ड तैयार करने चाहिये थे मंत्री जी को यह विचार रख करके कि यह विधेयक बन रहा है जो पीढ़ियों तक भारतवर्ष में इस बात का प्रतीक रहेगा कि विकेन्द्रीकरण का जो पहला कदम कांग्रेस सरकारों ने उठाया था १३ सालों के बाद वह यह विधेयक था और उसमें ऐसी गलत बात, एक अन्डर हैंड तरीके से लायी जा रही है। यह कलंक की बात होगी कांग्रेस दल के लिये और सब से अधिक विचित्र नारायण शर्मा जी के लिये जो महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के एक प्रतीक इस मंत्रिमंडल में माने जाते हैं उन्होंने इस उपखन्ड के द्वारा इस विधेयक का गला घोंटने का प्रयत्न किया है। इसमें जो कुछ भी सुधार जिलों को दिया जा रहा था हम आशा कर रहे थे कि जिलों में चौखम्बा राज्य की स्थापना होगी, उनको दूसरे हाथ से वापस लिया जाता है। इसलिये मैं अपने संशोधनों को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे और सोचेंगे गंभीरतापूर्वक कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह उनके लिये उपयुक्त है अथवा नहीं। और यदि वह इस निश्चय पर पहुंच जायं कि जो कुछ भी उन्होंने प्रस्ताव किया है वह उपयुक्त नहीं है तो वह अपने इन उपखन्डों के द्वारा जो प्रावीजन करना चाहते हैं उनको वापस ले लेंगे और मेरे संशोधनों को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री भीखालाल—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। मैंने अपने ५ संशोधन पेश किये हैं और अगर आप ७ मिनट का समय ही देंगे तो मैं उतने समय में अपना पूरा दृष्टिकोण न रख सकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप १० मिनट ले लें।

श्री भीखालाल—अगर अलग-अलग संशोधनों पर बोलता तो ३५ मिनट लेते। आधा समय तो कम से कम दें।

श्री उपाध्यक्ष—एक खन्ड पर विचार हो रहा है। अगर १० मिनट में आप अपनी बात न कह पायेंगे तो कैसे काम चलेगा। १० मिनट आपको दूंगा।

श्री भीखालाल—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने संशोधन खन्ड १८ के संबंध में पेश कर दिये हैं जो खन्ड जिला परिषद् के गठन के संबंध में हैं। इस बिल के अनुसार जिला परिषद् का गठन जो होगा उसमें क्षेत्र समितियों के प्रमुख होंगे, क्षेत्र समिति से जैसा मंत्री जी ने बताया कि कम से कम १ मेम्बर और चुन करके आयेगा और प्रमुख और अन्य मेम्बरों को मिला करके उनकी जितनी संख्या होगी उसके आधे डायरेक्ट इलेक्शन से चुन करके आयेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैन्क, डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग सोसायटी का एक-एक प्रतिनिधि व एम० एल० ए०, एम० पी०, म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन यह सब इसके सदस्य होंगे। इसके विपरीत मेरा जो संशोधन है वह इस प्रकार है कि क्षेत्र समिति का प्रमुख जिला परिषद् का मेम्बर हो लेकिन धारा २ में जो मेम्बर चुनने को है, और एक मेम्बर चुन करके आयेगा उसकी आवश्यकता नहीं है।

माननीय मंत्री जी का कहना है कि क्षेत्रीय कमेटियों का संबंध परिषद् से जोड़ने के लिये यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय कमेटी के प्रतिनिधि परिषद् में लिये जायें, मैं समझता हूं कि प्रमुख के लेने से वह बात पूरी हो जाती है। इसलिये क्षेत्रीय कमेटी से किसी अन्य सदस्य को लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा जो खन्ड ७ में सीधे चुनाव के जरिये सदस्य आयेंगे उसमें मेरा संशोधन यह है कि जितनी प्रमुखों की तादाद जिला परिषद् में हो उसके दूने सीधे एलेक्शन से आयें और अगर हरिजनों की संख्या प्रमुखों में से मिलाकर १८ फीसदी नहीं होती हो तो उसको पूरा करने के लिये उतने स्थान का और संरक्षण सीधे चुनाव में आने वालों को दिया जाय ताकि हरिजनों के स्थान पूरे हो जायं। इसके अलावा मैंने दो नयी उपधारायें जोड़ने का संशोधन रखा है कि इस जिला परिषद् में अध्यापक मंडल का प्रतिनिधि होना चाहिये और दूसरे एक प्रतिनिधि अगर जिले के पैमाने पर कोई श्रमिक संस्थायें हैं तो उनका होना चाहिये और बाकी जो व्यवस्था इसमें है उसके बारे में मेरा कोई विरोध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह संशोधन रखा है उसके रखने में कुछ थोड़ी-सी पृष्ठभूमि भी है जिसको संक्षेप में मैं रखना चाहता हूं। वह यह है कि जिस समय पिछला परिषद् विधेयक इस सदन में पेश हुआ था और सदन में जोरदार तरीके से यह मांग की गयी थी कि उसका चुनाव डायरेक्ट तरीके से होना चाहिये तो माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि जिला परिषद् का चुनाव हम डायरेक्ट तरीके से करायेंगे। लेकिन उस विधेयक को वापस लेने की नौबत आ गयी और जिस समय उसको वापस लेने की बात मंत्री जी ने सोची उससे पहले मंत्री जी ने विरोधी दल के नेताओं की एक मीटिंग बुलायी जिसमें मुख्य मंत्री जी भी शामिल थे और सरकार के कुछ उच्च कर्मचारी भी शामिल थे। उस मीटिंग में जो उस परिषद विधेयक में कमियां थीं उन पर प्रकाश डाला गया और भविष्य में कैसा विधेयक लाना चाहिये उस पर भी प्रकाश डाला गया।

माननीय मंत्री जी ने कुछ हद तक विरोधी दल के नेताओं को कान्फीडेन्स में लेने की बात की। उस मीटिंग में विरोधी दल के नेता लोग इस बात पर अड़े हुए थे कि चुनाव सीधे तरीके से हो लेकिन सरकार के उच्च अधिकारी इस बात पर अड़े हुए थे कि चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से होना चाहिये। बाद में मुख्य मंत्री जी ने एक रास्ता निकाला कि न कुल सीधे चुनाव से आयें और न कुल इनडायरेक्ट तरीके से आयें बल्कि दो तिहाई सीधे चुनाव से हों और एक तिहाई क्षेत्रीय समितियों में से इनडायरेक्ट तरीके से हों। विरोधी दल के नेता लोग इस बात पर सहमत हो गये। लेकिन जब पिछला विधेयक मंत्री जी ने वापस लिया उस समय भूल से या किस तरह से जो बात वहां तय हुई थी उसको उल्टे तरीके से कहा कि एक तिहाई सदस्य डायरेक्ट तरीके से आयेंगे और दो तिहाई सदस्य इनडायरेक्ट तरीके से आयेंगे। इस पर हमारे नेता माननीय झारखन्डे राय जी ने विरोध प्रकट किया और कहा कि सरकार ने जो आश्वासन दिया था उसको तोड़ा है। इस पर माननीय मंत्री जी ने अपनी भूल स्वीकार की और कहा

कि उस मीटिंग के मिनिट्स देखने पर मुझे यह मालूम हुआ कि उसमें यही तय हुआ था कि दो-तिहाई डायरेक्ट चुनाव से और एक तिहाई इनडायरेक्ट चुनाव से आयेंगे। तो मैंने जो संशोधन रखा है उसकी पृष्ठिभूमि यह है।

इस बिल को देखने से यह बिलकुल साफ जाहिर है कि उपधारा (१) के क्लाज (१) और (२) में क्षेत्रीय समितियों से जितने प्रतिनिधि आयेंगे उनकी संख्या जितनी होगी उसके आधे डायरेक्ट चुनाव से आयेंगे। तो क्या मैं यह समझूं कि जो आश्वासन माननीय मुख्य मंत्री जी ने विरोधी दल के नेताओं की मीटिंग में दिया था या जो आश्वासन माननीय मंत्री जी ने हमारे नेता जी को उस पत्र के जरिये दिया था उसको तोड़ दिया गया है या मैं यह समझूं कि जो सरकार के उच्च अधिकारियों की राय थी उसने सरकार के ऊपर इतना असर डाला कि सरकार अपने इरादे से बदल गयी और उच्च अधिकारियों की राय इस विधेयक में आ गयी। अगर यह बात है तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कान्फीडेन्स को बिट्रे किया है और आश्वासन को तोड़ा है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि माननीय मंत्री जी या माननीय मुख्य मंत्री जी कहते तो यह हैं कि विरोधी दल के नेताओं की मीटिंग वे सहयोग के लिये बुलाते हैं लेकिन सहयोग की बात तो महज एक ढोंग रहती है असल में विरोधी दल के नेताओं को एक परेशानी में डालने के लिये इस तरह की मीटिंगें बुलायी जाती हैं।

पिछले ग्राम विवाद के समय माननीय मंत्री जी ने विरोधी दल के एक नेता पर बड़ा जबरदस्त आरोप लगाया।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त कारण नहीं है कि आपकी बात वह न सुनें।

श्री भीखालाल—मैं पूरी परिस्थिति सामने रख देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—वह ठीक है, आपने काफी रख दिया।

श्री भीखालाल—अच्छा, तो मैं अब उस संबंध में कुछ नहीं कहता।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—अगर मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा-सा स्पष्टीकरण कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष—इनके भाषण के बाद आपको इजाजत दे दूंगा।

श्री भीखालाल—उपाध्यक्ष महोदय, अभी सामान्य विवाद के समय विरोधी पक्ष की ओर से यह बात उठायी गयी थी कि इस विधेयक के जरिये से जिला परिषदों के ऊपर ब्यूरोक्रेसी का बड़ा जबर्दस्त कंट्रोल रखा गया है और यह जो कहा जाता है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो रहा है लेकिन वह नाम मात्र के लिये रखा जा रहा है और नौकरशाही छाती जा रही है। इस पर माननीय मंत्री जी ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि विरोधी पक्ष के लोग ब्यूरोक्रेसी पर विश्वास नहीं करते और आज के जनतंत्र के युग में उस पर विश्वास करना होगा और माननीय मंत्री जी ने इसपर गौरव महसूस किया कि उन्होंने उस पर विश्वास किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इसी को गौरव समझते हैं कि जो आश्वासन उन्होंने दिया था उसको बदल रहे हैं और क्या इसका भी गौरव समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने अपनी बात उन पर लाद दी है और उसके सामने मंत्री जी ने और पूरी कैबिनेट ने घुटने टेक दिये हैं। अगर जनतंत्र और डिमोक्रेसी इसी का नाम है तो मंत्री महोदय भले ही गौरव महसूस करें, हम ऐसे गौरव को कतई नहीं चाहते।

कैबिनेट पालिसी बनाती है और ब्यूरोक्रेसी उसको एग्जीक्यूट करती है लेकिन इस विधेयक के जरिये से हम देख रहे हैं कि कैबिनेट ने जो पालिसी बनायी उसको ओवररूल करके ब्यूरोक्रेसी की पालिसी आ गयी है। क्या यही डेमोक्रेसी है? इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि डाइरेक्ट एलेक्शन की बात इसलिये रखी गयी कि क्षेत्रीय

[श्री भीखालाल]

समितियों का जिला परिषद् से संबंध कैसे स्थापित किया जाय इसलिये क्षेत्रीय समिति के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्ज को जिला परिषद् में लेने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं और मानता हूं कि क्षेत्रीय समिति के प्रमुख को जिला परिषद् का मेम्बर होना चाहिये और उसके होने से पूरा संबंध स्थापित हो जाता है। कोई आवश्यकता नहीं है कि और मेम्बरों का चुनाव क्षेत्रीय समितियों से हो। उसके स्थान पर मेरा यह संशोधन है कि जितने प्रमुख क्षेत्रीय समिति के जिला परिषद् में आते हैं उससे दूनी संख्या में मेम्बर एलेक्शंस से आवें और उसमें १८ फीसदी हरिजनों के प्रतिनिधि हों और अगर उसमें कम हों तो डाइरेक्ट एलेक्शन से चुने हुए मेम्बरों द्वारा पूरा किया जाय। इस तरह से १/३ इन्डाइरेक्ट और २/३ डाइरेक्ट वाला जो आश्वासन सरकार ने दिया था वह पूरा हो जायगा। मैं समझता हूं कि इसको देखते हुए मेरा संशोधन उचित है।

दूसरी बात जो मैंने रखी है इस विधेयक में वह यह है कि अध्यापकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। पिछले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट में जो था उसकी रू से जो शिक्षा कमेटी होती थी उसमें अध्यापकों का रिप्रेजेन्टेशन होता था और चूंकि अब यह विधेयक जनतंत्र के नाम पर, विकेन्द्रीकरण के नाम पर बन रहा है इसमें मैं कोई कारण नहीं समझता हूं कि उन अध्यापकों का जिनका जिला परिषद् में पूरा निकट का संबंध है, शिक्षा का पूरा भार उनके ऊपर है, शिक्षा की प्रणाली को उनको कामयाब बनाना है इसलिये जिला परिषद् में उनका प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है।

इसी प्रकार श्रमिक संस्थाओं का भी प्रतिनिधित्व इसमें होना चाहिये। इसलिये कि जिला परिषद् के जिम्मे विकास का काम है, स्कूल बनवाना है, सड़कें बनवाना है, पुलियें बनवानी हैं, इसलिये अगर जिलों में कोई यूनियनें हैं और साथ ही गवर्नमेन्ट का यह भी विचार है कि लेबर यूनियन्स को ठेके दिये जायं, तो उन लेबर यूनियन्स का प्रतिनिधित्व भी उनमें होना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि जैसे दूसरी संस्थाओं का रिप्रेजेन्टेशन किया गया है वैसे इस संस्था का भी रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये। इसलिये मैं अपने कुल संशोधनों को आवश्यक समझ कर सदन के सामने रखता हूं और आशा रखता हूं कि सदन उनको स्वीकार करेगा।

एक सदस्य—उस चिट्ठी को डिनाई कीजिये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं चिट्ठी को डिनाई नहीं कर रहा हूं। अगर चिट्ठी को डिनाई करना होता तो मैंने लिखा नहीं होता। ठीक है यह बात तय हुई थी लेकिन अब हमारे सामने यह दि-कत है। १ आदमी इन्डाइरेक्ट और २ आदमी डाइरेक्ट आवें तो ३ आदमी एक क्षेत्र में हो जावें इस तरह से ९० आदमी सारे हो जाते हैं। इसके अलावा एम० एल० एज० होते हैं, हरिजनों के प्रतिनिधि होंगे और महिलाओं के प्रतिनिधि होंगे। यह ठीक है कि मैंने स्वीकार किया था लेकिन यह बात कि एम० एल० एज० भी हो जायेंगे यह उस वक्त नहीं था लेकिन जब एम० एल० एज० भी हो जायं और दूसरे भी आ जायं तो बहुत तादाद बढ़ जाती है। इसलिये श्रीमन्, हमने जहां दो रखे थे उसके बजाय एक ही रखा गया इस मजबूरी की वजह से।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में दफा १८ के ऊपर वाद-विवाद चल रहा है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफा है जिसके अन्तर्गत जिला परिषदों का निर्माण होना है। मान्यवर, इसमें एक बहुत बड़ा सिद्धान्त जो पेश हुआ वह यह है कि आया डायरेक्ट चुने सदस्यों की संख्या अधिक हो या इनडाइरेक्ट की अधिक हो। सिद्धान्त के रूप में मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात को मानते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन से जो लोग आयें उनकी संख्या अधिक होनी चाहिये बनिस्बत उनके जो इनडायरेक्टली आयें। सरकार और विरोधी दल में क्या तय हुआ इसके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। भीखा लाल जी ने प्रश्न किया और मंत्री जी ने जवाब दिया। लेकिन मंत्री जी ने एक कठिनाई बताई। मान्यवर,

में यह समझता था कि यह बिल बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर आधारित है और उसने इस बात पर इम्फेसिस दिया था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिये लेकिन जैसा कि बताया गया कि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाने वालों की संख्या कम रखने का कारण यह था कि तादाद ज्यादा बढ़ जायगी तो मेरे दृष्टिकोण से यह ज्यादा उचित प्रतीत नहीं होता। हम ने तय किया था कि डायरेक्ट से दो होंगे और इनडायरेक्ट से एक होगा, तो यहां पर तो उल्टा हो गया है। इसलिये यदि यह मान लिया जाय कि जितने आदमी इन डायरेक्ट इलेक्शन से आयेंगे उतने ही डायरेक्टली आयेंगे तो जो उनका डर है कि संख्या बढ़ जायगी, वह उतनी नहीं बढ़ेगी।

श्री जयराम वर्मा—हमारा संशोधन यह है कि जितनी संख्या होगी उतने ही सात में आ जायंगे।

श्री नवलकिशोर—मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मुझे खुशी है कि यह बात तय हुई। इसके बाद भारतीय जी ने कई संशोधन पेश किये कि १, २, ३, ४, ५, ६ और ८ निकाल दिये जायं लेकिन शायद दफा ९ धोखे से रह गई क्योंकि जिस सिद्धान्त का उन्होंने प्रतिपादन किया है वह बैठता नहीं है। मान्यवर, समय केवल ५ मिनट ही है इसलिये मैं संक्षेप में ही कहना चाहता हूं। बहुत सी सेंटीमेंट की बातें कही गई हैं। जो बातें क्षेत्र समिति के संबंध में कही गईं वह यहां भी कही गईं। माननीय विष्ट जी ने आक्षेप लगा दिया कि बहुतों ने इसको पढ़ा भी नहीं है और बिना पढ़े ही बहुत-सी बातें कह दी हैं। लेकिन मैं आक्षेप तो नहीं लगाऊंगा कि उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है। उन्होंने क्षेत्र समिति के निर्माण को जिला परिषद् के निर्माण से कन्फ्यूज कर दिया। उन्होंने बताया कि पांच-पांच विशेषज्ञ कोआप्टेड होंगे। पर यह बात धारा १८ में उसके निर्माण में नहीं है तो वह स्वयं समझ लें कि इस तरह का आक्षेप लगाना कहां तक उचित था।

मान्यवर, एक बात बहुत जोरों से कही जाती है कि एम० एल० एज०, एम० एल० सीज० और एम० पीज० इत्यादि क्यों इसके मेम्बर बनाये जायं। मैं इससे इंकार नहीं कर सकता हूं कि इसके ऊपर दो मत हो सकते हैं और मैं किसी भाई की नेकनीयती पर शक नहीं करता हूं। लेकिन यहां तक कहा गया कि कांग्रेस दल के विधायकों की इच्छा थी कि एम० एल० एज० जिला परिषद् के मेम्बर हों। किसी व्यक्ति की इच्छा हो या न हो लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस इच्छा की तरफ अगर इधर के थे तो उधर के विधायक भी थे और पूरे हाउस में से अधिकांश माननीय सदस्यों की ख्वाहिश थी कि हमको इसमें जाना चाहिये। मैं भी इसको मुनासिब समझता हूं कि एम० एल० एज० को इसमें होना चाहिये। इसलिये कि एक तरफ जोर दिया जाता है कि ब्यूरोक्रेसी हम पर हावी होती चली जा रही है यह बात कुछ हद तक सही भी है। मुझे इसमें भी इनकार नहीं है लेकिन एक तरफ यह भी माना जाय कि ब्यूरोक्रेसी हावी होती चली जा रही है, दूसरी तरफ यह भी मानना पड़ेगा कि अभी हमारी लीडरशिप नीचे से विकसित हो रही है, अभी वह पूर्णतया विकसित नहीं है। जब कि यह बात है और जब कि दस-बारह साल की आजादी के अन्दर एक यही तत्व है, जो कि जनतांत्रिक प्रणाली से निकल कर आया है, जिसने शासन का भी अध्ययन किया है, जो एक लिंक बन सकता है सरकार और जिले के बीच में, इसलिए एम० एल० ए० का होना जरूरी है और जो उनको अन्देशा है कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है उससे भी वह कुछ बचा सकता है।

दूसरा प्रश्न यह है कि एम० एल० ए० हावी हो जायगा। अगर हम जेंटिलमेंस एग्रीमेंट से तय कर लेते हैं कि हम मेम्बर होंगे केवल एक ही कर्तव्य निभाने के लिए कि जो चुने हुए साथी आयेंगे, उनको पूरा-पूरा मौका देंगे, उनके हम बहैसियत एक ऐडवाइजर या सहयोगी के नाते हम बैठेंगे तो यह शंका निर्मूल साबित होगी। इस बात की बार बार शंका करना कि एम० एल० ए० छा जायगा, देहात के भाइयों का नेतृत्व नहीं पनप पायेगा, मुझे, ऐसा लगता है कि यह एक सेल्फ कंडेम्नेशन है। जो अन्दरूनी बात दिल की कहना चाहते हैं वह नहीं कह रहे हैं, वास्तव में उनको यह डर है कि एक पार्टी विशेष का चूंकि एम० एल० एज० में बहुमत है, इसलिये वहां

[श्री नवलकिशोर]

भी उनका बहुमत हो जायगा । इसलिए मैं एक ही बात विरोधी पार्टियों के साथियों से कहना चाहता हूं कि इस कदर डिफीटिस्ट मेंटालिटी से क्यों बात करते हैं ? कभी कोई दल आयेगा, कभी कोई दल आयेगा । वह यह मान कर क्यों चलते हैं कि हमारा ही बहुमत होगा ? इसका मतलब यह है कि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है । हमारे साथी मेहरबानी करके अपने ऊपर विश्वास करें, और जो खंड है और संशोधन माननीय मंत्री जी ने माना है, उसके साथ उसको पास करें ।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं—

खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (३) को हटा दिया जाय, इसके स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय—

"प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों की ओर से एक प्रतिनिधि कर दिया जाय ।"

श्रीमन्, एक दूसरा संशोधन मेरा और है । वह इस प्रकार है—

खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (९) के बाद नया भाग (१०) जोड़ दिया जाय—

"जिला परिषद् की ओर से ५ विशिष्ट सदस्य चुने जायें, जिन्हें चुने हुए मेम्बरों की भांति अधिकार प्राप्त हों ।"

श्रीमन्, मैंने यह संशोधन इसलिए पेश किया कि उपधारा (२) में नगरपालिका का प्रेसीडेंट जिला परिषद् का जो मेम्बर माना गया है वह एक तरह से अनावश्यक है । जबकि नगरपालिका में, जिला परिषद् की ओर से एक प्रतिनिधि होने की आवश्यकता पर ध्यान दिया नहीं गया । जबकि जिले से आने वालों पर विभिन्न प्रकार के कर लगते हैं, उनके सामने विभिन्न प्रकार की शिकायतें शहर में आती रहती हैं, इसलिए मेरी राय है कि नगर महापालिका के प्रेसीडेंट के बजाय जूनियर और प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों में से एक प्रतिनिधि होना चाहिए । इसलिए कि पहले जो जिला बोर्ड था, जिला बोर्ड की शिक्षा समिति में एक अध्यापकों में से प्रतिनिधि लिया जाता था तो यह कोई नयी बात नहीं है । इसीलिए मेरा निवेदन है कि जूनियर और प्राइमरी स्कूलों का एक अध्यापक उनके प्रतिनिधि के रूप में होना आवश्यक है ।

दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने अपने संशोधन में आवेदन किया है ५ विशिष्ट सदस्य रखे जायं । वह इसलिए कि अभी नगरमहापालिका का बिल इसी सदन से पास हुआ है और उसमें ५ विशिष्ट सदस्य इसलिए रखे गए हैं कि बहुत से लोग अनुभव रखते हैं, अपने काम का तजुर्बा रखते हैं नगरमहापालिकाओं और जिला परिषदों से, उनको उसके संबंध में काफी जानकारी है तो इस तरह के अनुभवी आदमियों को जो कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते उनको रखा जाय ताकि उनके अनुभव से फायदा उठाया जा सके । इसीलिए मैंने यह मुनासिब समझा कि जिला परिषद् में भी ५ विशिष्ट सदस्य जरूर बढ़ा दिये जायं ताकि उनके अनुभव का फायदा उठाया जाय और उनकी सेवाओं से जिला परिषद् फायदा उठा सके । इसलिए दोनों संशोधन मैं पेश करता हूं ।

श्री बादाम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (३) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"भाग (३) जिले में समस्त नगरपालिका बोर्डों के प्रेसीडेंट में से प्रतिनिधि जन-संख्या के अनुपात से नियत शर्तों के आधार पर तथा नियत रीति से चुना जायगा" ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए रखा है कि जिला परिषद् में देहात के जो नुमाइन्दे आयेंगे वह प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रमुख आयेगा और उस एक क्षेत्र की आबादी करीब

५०, ६० हजार से ऊपर ही होगी । इस आधार पर ही मैंने यह रखा है कि जिस आधार पर एक प्रमुख आयेगा उसी जन संख्या के आधार पर म्युनिसिपल बोर्डों का भी प्रतिनिधि रखा जाय ।

हमारे जिले में १४ ब्लाक हैं और लगभग साढ़े बारह लाख की आबादी है । म्युनिसिपैलिटीज की आबादी कोई दो ढाई लाख के करीब है और पांच म्युनिसिपैलिटीज हैं, तो पांच उनके प्रेसीडेंट आ जायेंगे और दस लाख की आबादी जो १४ ब्लाकों की है उसमें से १४ प्रमुख आयेंगे । इस तरह से सिद्धान्ततः मेरा यह सुझाव नियमित है और जनसंख्या का आधार ही इसमें रखा जाय । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

(श्री गेंदासिंह का नाम पुकारा गया ।)

श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—श्रीमन्, उसके ऊपर ७८ नम्बर का हम लोगों के नाम हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—७८ नम्बर श्री देवनारायण भारतीय ने पेश कर दिया ।

श्री शिवराजबहादुर—लेकिन उसके ऊपर तो हम लोगों का हक है ।

श्री उपाध्यक्ष—वह हक अब खत्म हो गया ।

श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं :—

(१) खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (४) के शब्द 'जिसे नियत . . . .जायगा' के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"जिसे वार्षिक साधारण सभा चुनकर भेजेगी ।"

श्री उपाध्यक्ष—यह जो संशोधन आपने किया है यह बाद में लिखकर आप भेज दीजिएगा ।

श्री गेंदासिंह—बहुत अच्छा ।

उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं:—

(२) खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (५) के शब्द, 'जिसे नियत . . . .जायगा' के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"जिसे बैंक की वार्षिक साधारण सभा चुनेगी ।"

(३) खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (६) के शब्द 'जिसे नियत . . . . जायगा' के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"जिसे वार्षिक साधारण सभा चुन कर भेजेगी ।"

इन संशोधनों को स्वीकार करने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । मैं तो ऐसा समझता हूं कि मुझे यह मालूम नहीं होता कि सरकार को इसमें कठिनाई कहां पर दिखाई दे गई ।

श्री जयराम वर्मा—फरवरी से पहले कोई वार्षिक सभा नहीं होगी । इसका मतलब यह है कि अक्तूबर, नवम्बर तक जायगा ।

श्री गेंदासिंह—अभी यह विधेयक है । आगे यह अधिनियम की शक्ल पकड़ेगा । जब यह अधिनियम बनेगा तो एक दिन के लिये थोड़े ही बनता है । बिना प्रतिनिधित्व के हमारी जिला परिषद् नहीं बनेंगी । यह बात ठीक है लेकिन मैं समझता हूं कि यह संख्या समूची जिला परिषद् में शायद ३ होगी, और ३ के चुनाव के लिये समूची जिला परिषद् न बने यह बात समझ में नहीं आ सकती । परिषद् में प्रतिनिधित्व सही तौर पर हो सके इसकी आवश्यकता है और अगर सही तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता तो वह कोई अच्छी बात नहीं हुई । वार्षिक

[श्री गेंदासिंह]

साधारण सभा उन सब की इस वक्त ड्यू है जो हमारे सूबे में कोआपरेटिव बैंक हैं । उनको अक्तूबर तक हो जाना चाहिये । वह वार्षिक साधारण सभा प्रति वर्ष हुआ करती है । एक मर्तबा जब हम जिला परिषद् बना रहे हैं तो उसमें इन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व फरवरी के पहले हो सकता है । इसमें कौन सी दिक्कत है । ज्यादातर वार्षिक साधारण सभा का अधिवेशन इन दिनों ही हुआ करता है और अगर कुछ का न हो सके तो वह बाद को हो सकता है । मैं यह समझता हूं कि सही प्रतिनिधित्व के लिये यह आवश्यक है कि उनको मौका दिया जाय । मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को समझ लें ।

अब इसमें वह कहते हैं कि हमारी बड़ी परेशानी है और इस बात पर विचार किया जाय । अगर इस विधेयक में नियत रीति से रखकर किसी भी अधिकार को सरकार को अपने हाथ में लेने में संकोच नहीं लग रहा है, तो फिर यह भी रखिये कि क्षेत्र समिति में, जिला परिषद् में सदस्यों के जाने की क्या संख्या होगी ? एक प्रधान हो जाता है लेकिन प्रधान के बाद कितनी संख्या सरकार उसमें भेजना तय करती है और किस तरह से भेजेगी, यह भी सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है । वह नियत रीति से तय करेगी इस प्रकार से ताकत सरकार के हाथ में बहुत आती है । भगवान् पर भरोसा करके तो कोई आंख मूंदकर यहां सच्चे तौर पर सचाई से बोलने के लिये नहीं आया है । हमारे पास विधेयक है और हम समझकर यह कह सकते हैं कि सरकार के हाथ में इतनी ताकत नहीं देना चाहिये कि नियत रीति से जो वह समझे करे । रूल मेंकिंग पावर की कोई सीमा होती है । सरकार इस सारे विधेयक के लिये ही रूल मेंकिंग पावर अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती है कि इसके लिये सारे रूल मेंकिंग की ताकत सरकार के हाथ में हो ?

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह किसी भी संशोधन पर सोचने के लिये तैयार हैं या नहीं ? अगर सोचने के लिये तैयार हैं तो मैं समझता हूं कि सभी का समय खर्च करना और अपनी इनर्जी लगाना सार्थक है । हम इसलिये थोड़े ही आये हैं कि इस तरह से मजाक किया जाय । जो सार्थक से सार्थक बात हो उसे भी निरर्थक समझ कर उस पर विचार न किया, तो यह नीति ठीक नहीं है । माननीय गौतम जी कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, वे जानते हैं कि उनके विभाग में कितना कुकर्म होता है । उस पर माननीय जयराम वर्मा जी यह कहते हैं कि हम जिस तरह से चाहें उस तरह से उस पर अंकुश लगा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य, कृपया इस तरह से उत्तेजित न हों ।

श्री गेंदासिंह—मैं उत्तेजित नहीं हो रहा हूं, जो बात है उसको कह रहा हूं । यह हमारी पीठ पर छड़ी जमाना चाहते हैं और हमारे ही हाथ से हथियार लेना चाहते हैं । उनको कुछ संयम रखना चाहिये । उसी के लिये हम अपना यह संशोधन रख रहे हैं । इस संशोधन को पवित्र रहने दिया जाय । इस तरह से अपवित्र अधिकार को देने का मैं विरोध करना चाहता हूं । कोआपरेटिव के भ्रष्टाचार किसी से छिपे नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—यह कोआपरेटिव का जिक्र क्यों हो रहा है, वह इसमें कहां आता है ?

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, उसका संबंध है । उसी के आधार पर सदस्य चुने जायेंगे । इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर कुकर्म हो रहा है । उसकी हम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते । माननीय वर्मा जी इस समय तो यह विधेयक पास कर देंगे, लेकिन उस वक्त मुंह ताकते होंगे जब बाद को कोआपरेटिव डिपार्टमेंट अपना कार्य करेगा । मुझे श्रीमन्, व्यक्तिगत तजुर्बा है । अभी जब कोआपरेटिव बैंक के लिये लोगों का चुनाव हुआ था तो इसमें इनके सब लोग हार गये और जब हम लोग मेजारिटी में आ गये तो फिर इन्होंने उस पर मैनेंजिंग डाइरेक्टर का चुनाव नहीं होने दिया जब तक कि सरकार ने ३ अपने मैनेंजिंग डाइरेक्टर को चुनकर हमको माइनारिटी में नहीं कर दिया । श्रीमन्, तार दिया गया और उसके अनुसार कार्यवाही हुई जिसका कि इनको अधिकार ही नहीं था, उनको नामिनेट करने का ।

उसके बाद फिर हमने कहा कि जनरल इलेक्शन में आओ । फिर जनरल इलेक्शन हुआ और उसके लिये इन्होंने यह किया कि ६०० आदमियों को जिनके लिये कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी फर्जी तरीके से भरती किया गया उसमें भी हमको हराया गया । लेकिन जब हम न्याय का रास्ता लेते हैं और जब वह एक आदमी के सुपुर्द कर दिया जाता है कि तुम इसका फैसला करो, तो फिर सरकार की तरफ से फौरन ही यह हुक्म जाता है कि इस अदालत में यह मुकदमा नहीं रहना चाहिये, इसको वहां से ट्रांसफर किया जाय । मैं यह नहीं कहता कि ट्रांसफर नहीं हो सकता है, वह हो सकता है, लेकिन उस दिन तक आप कहां सोते रहे जबकि यह मामला फाइल हुआ था ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—कृपया शांत रहें । आप बोलिए ।

श्री गेंदासिंह—तो सारे बन्धन जो हम लगा रहे हैं, वार्षिक साधारण सभा चुनकर भेजे उसमें हम कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को कुकर्म करने से रोकना चाहते हैं, उसको करप्शन से बचाना चाहते हैं । हम जानते हैं कि अगर सरकार की नीयत साफ होगी तो हमारा संशोधन स्वीकार करने में उसे कठिनाई नहीं होगी । अन्यथा मुझे क्या करना है ? मैं ऐसे बेवकूफों में से नहीं हूं कि जो जिला परिषद् और क्षेत्र समिति विधेयक को नहीं समझता होऊं । मैं तो कुछ चावल टोहता हूं, वैसा आदमी नहीं हूं कि पूरी हांडी को हाथ लगा कर अपना हाथ जलाऊं । हमें माइनारिटी में होने के कारण जो दिक्कत भोगनी है वह भोगेंगे, लेकिन इस विधेयक में जो भी अमेंडमेंट दिये गये हैं क्या वह सभी बेवकूफी पर आश्रित हैं और यह सारा विधेयक अक्लमन्दों का है ?

इतनी बातों को कहकर, मैं समझता हूं कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट से जितने भी आदमी चुनकर आवें उनमें जनता को अधिकार होना चाहिये, हरगिज कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को नहीं होना चाहिये, नहीं तो ये लुटिया डुबो देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री मोहनलाल वर्मा ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरा निवेदन है थोड़ा-सा.....

श्री उपाध्यक्ष—आखिर में । मैंने यह व्यवस्था की है कि संशोधनों के पेश होने के बाद अन्य लोगों को समय दिया जाय ।

श्री टीकाराम पुजारी—यह जनतंत्र नहीं है, यह सरकार तंत्र है.....

श्री उपाध्यक्ष—पुजारी जी, मैं बाद में आपको समय दूंगा कृपया आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री टीकाराम पुजारी—हम लोगों को समय नहीं मिलता, बोलने का अधिकार क्यों नहीं, खंड तो हमारा है!.....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय पुजारी जी, स्थान ग्रहण करें ।

श्री टीकाराम पुजारी—यह जिला परिषद् हमारा है, हम जरूर बोलेंगे, यह हमारा अधिकार है!.....

श्री उपाध्यक्ष—बार बार मना करने पर आप नहीं मान रहे हैं, इसलिए मैं आज्ञा देता हूं कि आप सदन छोड़ दें ।

(श्री टीकाराम पुजारी के बोलते रहने पर)

आप बिलकुल ही आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं इसलिये मैं मजबूर होकर मार्शल को इजाजत देता हूं कि वह आपको सदन से बाहर निकाल दें ।

श्री टीकाराम पुजारी—मैं सच्ची बात कहूंगा कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, सन् ६२ में यह सरकार खत्म होकर रहेगी.....

(मार्शल द्वारा श्री टीकाराम पुजारी सदन से बाहर कर दिये गये।)

श्री मोहनलाल वर्मा (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (४) के पश्चात् तथा भाग (५) के बीच और निम्नलिखित उपधारा जोड़ दी जाय :—

"जिले में प्रत्येक गन्ना सहकारी समिति तथा गन्ना विकास परिषद् का एक एक प्रतिनिधि, यदि उस जिले में कार्य कर रही हो ।"

इस धारा १८ में मंत्री महोदय ने टाउन एरिया और नगरपालिका के अध्यक्षों को परिषद् का सदस्य बनाया है, पहले जिसे जिला बोर्ड कहा करते थे, यह ज्यादातर ग्रामों से संबंधित है । जहां पर टाउन एरिया और नगरपालिका के सदस्य हो सकते हैं वहां पर यह गन्ना सहकारी संघ जिसकी सदस्यता सारे प्रदेश में लगभग २० लाख के है और हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि यह गन्ना सहकारी संघ, जिलों में जहां पर गन्ना विकास बढ़ा सकते हैं लगभग एक करोड़ रुपया प्रतिवर्ष विकास में खर्च करते हैं । विकास कार्य हमारी इन गन्ना सहकारी समितियों से और विकास परिषद् से जो होता है अगर इसका सम्बन्ध उसके साथ रहेगा तो हमारा खयाल है कि जैसा अभी देखा गया कि ब्लाकों में जो कुएं बनाये जाते हैं और ब्लाक से जो उन्हें अनुदान मिलता है वही लोग अनुदान के लिये विकास परिषद् और गन्ना सहकारी समितियों को प्रार्थना-पत्र देते हैं और दोनों जगह अलग-अलग अनुदान ले लिया करते हैं ।

इस प्रकार से एक तो यह कठिनाई होती है और दूसरे यह कि क्षेत्र समिति ने अपना कोई प्रस्ताव या संशोधन रखा, कोई सुझाव रखा कि इस क्षेत्र में इस प्रकार से सड़कें बनें, इस प्रकार की नालियां बनें, इस प्रकार की पुलियां बनें और अगर वही सुझाव विकास परिषद् और गन्ना परिषद् दोनों का हो तो उसमें सम्भावना है कि पास ही पास एक ही जगह दो कार्य हो जायं और रुपये का बेजा इस्तेमाल हो जाय । अभी तक अंतरिम जिला परिषद् का जो बिल था उसमें मंत्री महोदय ने सरकारी गन्ना समितियों के प्रतिनिधि रखे थे, पता नहीं यह बिल बनाते समय मंत्री जी का ध्यान उस ओर क्यों नहीं गया । लेकिन हमारा विश्वास है कि जो संशोधन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वह बड़े महत्व का है और यह ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से और गांव के रहने वाले गन्ना उत्पादकों से सम्बन्धित है जो अपने पैसे, अपने कटौती के पैसे से प्रति वर्ष सारे प्रान्त में एक करोड़ रुपये से अधिक विकास कार्य में खर्च करते हैं । ऐसी दशा में हम आपके द्वारा मंत्री महोदय से प्रार्थना करेंगे कि यह जो हमारा संशोधन है उस पर विचार करें, यह बड़े महत्व का संशोधन है । यह अवश्य है कि यह विरोधी पक्ष की तरफ से आया है लेकिन विरोधी पक्ष की ओर से आने का अर्थ यह नहीं है कि वह सही नहीं होता और अधिक न कहकर मैं मंत्री जी से यही प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर विचार करें और इसे स्वीकार करने का कष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री बलदेव सिंह के खड़े होने पर) आपका संशोधन भारतीय जी ने पेश कर दिया है ।

श्री बलदेवसिंह—मेरा संशोधन तो और तरह का है ।

श्री उपाध्यक्ष—उनके नाम भी संशोधन था । दोनों एक से ही हैं । उस वक्त कोई बात नहीं कही गई, उन्होंने पेश कर दिया । आप बाद में बोल लीजियेगा ।

श्री शिवराजबहादुर—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (७) को निकाल कर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"अप्रत्यक्ष रूप से चुने गये जिला परिषद् के सदस्यों से दूने सदस्य मताधिकार के निर्वाचित किये जायेंगे ।"

उपाध्यक्ष महोदय, जिला परिषद् विधेयक की जितनी भी धारायें हैं उन तमाम धाराओं में यह धारा बहुत ही अहमियत रखती है । इसमें तमाम जिला परिषद् के कम्पोजीशन का सवाल है । इसमें ९ मदें ऐसी हैं जिनके जरिये से लोग जिला परिषद् में चुनकर भेजे जायेंगे । यह सब से ज्यादा जरूरी संशोधन इस लिहाज से भी है कि हम चाहते हैं कि हर सदस्य ने इसको स्वीकार भी किया है कि जिला परिषद् में ज्यादातर ऐसे सदस्य हों जो डाइरेक्ट एलेक्शन से चुनकर आयें । लेकिन इस विधेयक को देखने से और खास तौर से क्षेत्र समिति के फार्मेशन और कम्पोजीशन के जो सेक्शन्स हैं, उनको देखने से यह बात अच्छी तरह से साबित होती है ।

हम यह चाहते हैं कि जो भी जिला बोर्ड बने उसमें बजाय इसके कि बालिग मताधिकार की बिना पर चुन कर आये सदस्य ज्यादा हों, वे लोग ज्यादा हैं जो इनडायरेक्टली चुन कर आये हैं, चाहे वे म्युनिसिपैलटी के चेयरमैन हों, चाहे एम०एल०ए० हों, एम० पी० हों या कोआपरेटिव सोसाइटी के लोग हों । इन मुख्तलिफ तरीकों से चुन कर जो लोग आयेंगे उनसे जिला बोर्ड बनेगा । एक ओर तो यह कहा जाता है कि हम ताकत को बांट रहे हैं लेकिन उसके बरअक्स दूसरी तरह से सारी ताकत अपने हाथ में ही ली जा रही है । यों तो पहले भी जिला बोर्डों को काफी ताकतें थीं । अब उनको शेड्यूल ३ के जरिये से और भी बढ़ाया जा रहा है, बेहतर होता इससे भी ज्यादा अख्तियारात उनके हाथ में होते, इसकी हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वे अख्तियारात ऐसी बाडी के हाथ में जाना चाहिये जिन पर पब्लिक का पूरा विश्वास हो । आप कहेंगे कि एम० एल० ए० और एम० पी० पर भी तो पब्लिक का विश्वास होता है और मुख्तलिफ नोटीफाइड एरिया और म्युनिसिपैलिटी के जो चेयरमैन आयेंगे उनको भी पब्लिक का विश्वास होगा, लेकिन उसके लिये उनका चुनाव डायरेक्ट नहीं हुआ है ।

दूसरे म्युनिसिपैलिटी के जो चेयरमैन हैं उनकी तो अजीब हालत है, हर साल उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आता है । उनके पास स्वयं इतना ज्यादा काम है कि वह और कोई काम करने से मजबूर हैं लेकिन अब जिला बोर्ड में भी उनको बुलाया जा रहा है । एक एक जिले में कई कई म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनके चेयरमैन वहां आयेंगे, फिर एम० एल० एज० और एम० पी० आयेंगे इसके अलावा जिला बोर्ड बिल के सेक्शन्स के तहत कुछ आफीसर्स भी आयेंगे । अगर इन सब की राय से फायदा उठाने की बात होती तो बेहतर होता लेकिन आज आप देखें कि उनको वोट देने का भी अधिकार दिया गया है ।

आज जहां कांग्रेस की सरकार है वहां उसी के एम० एल० ए० की तादाद ज्यादा है, इसी तरह से उसके ही एम० पी० की तादाद ज्यादा होगी । नतीजा यह निकला कि किसी न किसी सूरत से सरकार यह चाहती है कि कोई भी संस्था हो उसमें हमारा बहुमत हो और वह उसने इस तरह से इनडायरेक्टली लोगों को चुन कर उसको पूरा किया है । इसलिये यह कहा जा रहा है कि पब्लिक से चुनकर आये हुये लोगों की तादाद दो-तिहाई हो । माननीय मंत्री जी ने भी फरमाया कि उनके दिमाग में भी वह बात थी कि दो-तिहाई डायरेक्ट चुनाव से आने चाहिये और एक तिहाई इनडायरेक्टली चुने हुये हों । ऐसी सूरत में तो उनके तजुरबात से फायदा उठाया जा सकता था । इसलिये इस मासूम से प्रस्ताव को मंजूर कर लेने की निहायत जरूरत है । लेकिन मुझे यह सब देखकर तकलीफ होती है कि इस तरह से जनतंत्र का खून हो रहा है और दुहाई दी जाती है कि यह गवर्नमेंट वह गवर्नमेंट है जो फार दि पिपुल, बाई दि पिपुल आफ दि पीपुल है (for the people, by the people, of the people)। अगर ऐसा है तो ज्यादा से ज्यादा तादाद उन लोगों की होनी चाहिये जो जनता द्वारा डायरेक्टली चुन कर आये हों । इसलिये यह दो-तिहाई वाला संशोधन है यह बहुत ही माकूल और मुनासिब संशोधन है । मैं आपके जरिये मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इसको मान लें और जिला बोर्डों को अच्छा बनने दें । आज आपका यहां बहुमत है कल को दूसरी पार्टी का हो सकता है । इसलिये हमें ऐसी मिसाल कायम करना चाहिये जिससे आने वाले सब लोग फायदा उठा सकें और जिसे हम कह सकें कि यह तरीका डेमोक्रेटिक है । मुझे उम्मीद है कि यह संशोधन जो कि अपनी जगह पर उचित है, वह मंजूर किया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मदन गोपाल वैद्य उपखंड (१)की मद (४) का जो संशोधन है, उसको पेश करें ।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) की मद (४) के प्रारम्भ में शब्द "जिला" बढ़ा दिया जाय ।

यह एक शाब्दिक संशोधन है । जो विधेयक का खंड १८ है उसके चौथे पैरा में "कोआपरेटिव फेडरेशन का एक प्रतिनिधि" हो, ऐसा छपा है । लेकिन वास्तव में वह होना चाहिये "जिला कोआपरेटिव फेडरेशन का एक प्रतिनिधि" तो "जिला" शब्द इस संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया है ।

उसके सम्बन्ध में जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने पेश किया है वह यह है कि "उसका जो प्रतिनिधि हो वह वार्षिक अधिवेशन द्वारा चुन कर आये ।" इसी तरह से उन्होंने जिला बैंक्स के सम्बन्ध में भी कहा है, क्रय-विक्रय समिति के सम्बन्ध में भी कहा है । माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने संशोधन को पेश करते हुये बड़े भावावेश में कहा कि सहकारी विभाग का कार्य उतना प्रशंसनीय नहीं रहा है, उन्होंने बड़ी आशंका प्रकट की । वे ऐसा समझते हैं कि उनका संशोधन मान लेने से वार्षिक अधिवेशन में जो जिला फेडरेशन का प्रतिनिधि चुना जायगा तो शायद यह एक नई बात हो जायगी । मैं उनकी बात नहीं समझ सका । वे ऐसा समझते हैं कि वार्षिक अधिवेशन में वह चुना जायगा तो कोई अन्याय नहीं होगा ।

हम समझते हैं कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन के अन्दर से कोई प्रतिनिधि आवे, चाहे संचालक समिति से चुन कर आवे और चाहे दूसरे तरीके से चुन कर आवे, हम समझते हैं कि सब का परिणाम एक ही होगा । क्योंकि अगर वहां कोई पार्टी का अस्तित्व हो तो भी जिसका बहुमत होगा, हर हालत में उसी का प्रतिनिधि आवेगा । चाहे आप जिस तरह से भी देखें, प्रजातांत्रिक पद्धति से अगर चुनाव होगा तो हर हालत में बहुमत पार्टी का प्रतिनिधि ही जिला बोर्ड में आवेगा । माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन में कोई ऐसा तथ्य या तर्क नहीं है जिससे यह मालूम हो कि वे कोई नई बात करने जा रहे हैं, उन्होंने केवल भावावेश में ही आकर यह संशोधन रखा है । सरकार की जो भी रीति या पद्धति निर्धारित होगी, जो भी नियम बनाये जायेंगे, उसके अनुसार जिस पार्टी का बहुमत फेडरेशन में होगा हर हालत में उसी पार्टी का प्रतिनिधि जिला बोर्ड में आवेगा । इसलिये मैंने जो छापे की गलती हो गई है उसके सुधार के लिये संशोधन उपस्थित किया है उसे स्वीकार किया जाय । माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का मैं विरोध करता हूं क्योंकि उसका कोई उचित परिणाम नहीं निकलता है ।

श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—श्री शिवशरणलाल का संशोधन मैं पेश करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे इसकी इजाजत दी है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) की मद (७) के आगे शब्द "प्रत्येक खंड" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक खंड अथवा खंडों के समुदाय" रख दिये जायं ।

दूसरा संशोधन है ९६—

मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड की तृतीय पंक्ति में से शब्द "की आधी" निकाल दिये जायं ।

तीसरा संशोधन है ९६—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि जनसंख्या में अन्तर के आधार पर विभिन्न क्षेत्र समितियों के लिये खंड (२) के अधीन या विभिन्न खंडों अथवा खंडों समुदाय के लिये खंड (७) के अधीन सदस्यों की भिन्न-भिन्न संख्या निर्दिष्ट की जा सकती है ।"

श्रीमन्, जो संशोधन मैंने अभी उपस्थित किया है, इसमें थोड़ी-सी टाइप की अशुद्धि हो गई है जहां कि दूसरी पंक्ति में खंड आया है. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—आप लिख कर भेज दें ।

श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—मान्यवर, जो संशोधन मैंने पेश किया है नं०८७—क, उसका तात्पर्य इतना ही है कि आज के जो विकास खंड की इकाई बनी हुई है संभवतः उनकी सीमा में कुछ हेर-फेर किया जाय, लेकिन आपके जो खंड हैं उनकी एक वैधानिक स्थिति दूसरी है, उसमें कुछ हेर-फेर किया जाय तो स्थिति दूसरी हो जायगी । इसलिये केवल खंड रखने से चुनाव विधितः नहीं हो सकेगा । हो सकता है कि जो नये खंड चुनाव के लिये बनाये जायं उनमें कुछ दूसरे खंडों को व्यवस्थित रखने के लिये दूसरी गांव-सभाओं को काट-छांट कर मिलाया जाय । तो ऐसी हालत में ये शब्द रख दिये जायं तो वह विधिवत हो जायगा ।

मेरा जो दूसरा संशोधन है उसका मंशा यह है कि अगर शब्द "की आधी" निकाल दिये जायं तो उसका मतलब यह हो जाता है कि कुल संख्या के बराबर वह चुनाव हो सकेगा । मैं समझता हूं कि जो यह बात कही जा रही है कि सीधे चुने हुये प्रतिनिधियों की संख्या कम होगी, इससे उसका बहुत कुछ समाधान हो जायगा और एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति हो जायगी ।

तीसरा संशोधन जो मेरा है यदि मेरा पहला संशोधन मान लिया जाता है तो इसके माने हो जाते हैं कि खंड ही अकेला नहीं रहा बल्कि कुछ खंडों के समूह हो जाते हैं । हमारा यह संशोधन मान लिया जाय तो उसमें खंड के समूह के प्रतिनिधि आ जायंगे और इस तरह से एक व्यवस्था-सी हो जायगी ।

इस दृष्टि से मैंने ये तीनों संशोधन रखे हैं । मैं समझता हूं कि वह बहुत उचित हैं और माननीय मंत्री जी उन्हें स्वीकार करेंगे ।

श्री प्रतापसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के खंड ९ के बाद एक नया खंड (१०) इस प्रकार रख दिया जाय :—

"अनुसूचित जातियों के लिये संविधान के अनुसार जन-संख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित रख दिये जायं ।"

मान्यवर, इस खंड में दूसरे जो संशोधन रखे गये हैं उनका भी समर्थन करते हुये अपने संशोधन के सम्बन्ध में यह कहना है कि संविधान में इस बात की गारन्टी है कि अनुसूचित जातियों के लिये उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलेगा । इसलिये हम चाहते हैं कि इस खंड के बाद एक नया खंड जोड़ दिया जाय ताकि उनका स्थान सुरक्षित हो । मैं पहले भी कह चुका हूं माननीय भौखालाल जी के संशोधन के समय कि इस वर्ग को उठाने की अवश्यकता है और विकास के कार्यों में, स्वायत्त शासन की इकाइयों में जितना हिस्सा उनको लेना चाहिये वह नहीं ले पा रहे हैं और जब तक संविधान में उनके लिये इस बात की व्यवस्था है किउनको प्रतिनिधित्व मिलेगा तो उसका स्पष्टीकरण विधेयक में भी होना चाहिये । मंत्री जी ने पिछली दफा इस बात को तसलीम किया कि आज गरीब तबके के साथ उतना न्याय नहीं हो रहा है । इसलिये इसका यहां रहना आवश्यक है । तो जितना अनावश्यक मैं एम० एल० एज० और एम० पीज० का रखा जाना समझता हूं उतना ही आवश्यक हरिजनों का रहना समझता हूं इसलिये मंत्री जी मेरे संशोधन को माने ताकि सच्चे माने में हम हरिजनों को सही प्रतिनिधित्व दे सकें ।

इसके अलावा जो दूसरे लोगों ने संशोधन रखे हैं उनके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का सवाल है । हम जानते हैं आज हामारे सामने प्रश्न है कितने सदस्य प्रत्यक्ष और कितने सदस्य अप्रत्यक्ष चुने जायं । तो जब सारा प्रबन्ध जनता के हाथ में देना चाहते हैं, जनतांत्रिक पद्धति यही होगी कि अधिक से अधिक मेम्बर प्रत्यक्ष चुन कर आयें और कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से चुने जायं । लेकिन इस खंड को देखकर यह मालूम होता है इसमें चुनाव का कहीं

[श्री प्रतापसिंह]

नाम ही नहीं है । कम से कम आदमी इसमें चुन करके आ रहे हैं और सारे लोग, कहीं कोई फेडरेशन का मैनजर है, कोई सेक्रेटरी है और माननीय मुनीन्द्रपाल जी का, जो संशोधन श्री शिवराज बहादुर जी ने रखा, उसमें म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन भी मेम्बर होगा । तो अधिकतम जनसंख्या देहातों में रहती है और उन्हीं का विकास करना जिला परिषदों का काम है । लेकिन विभिन्न संस्थाओं के प्रेसीडेंट इसके मेम्बर होंगे । तो मंत्री जी बतायें कि किस प्रकार अधिक से अधिक लोग जनता के चुन कर के इसके मेम्बर हो सकते हैं । इसकी कोई व्यवस्था इसमें नहीं है ।

जिला परिषद् की रचना आज इस प्रकार हो रही है कि कोआपरेटिव के लोग भी आयेंगे, कोआपरेटिव सोसायटीज से, कुछ फेडरेशन से लोग आयेंगे । इस प्रकार तो चुनाव हुआ नहीं । वह लोग जो पहले से चुने हुये हैं आज वही लोग इसके मेम्बर माने जाते हैं । तो जब हम इसकी मांग कर रहे हैं कि दो तिहाई सदस्य चुन करके आयें, कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से और अधिक से अधिक प्रत्यक्ष रूप से चुने जायं, तो मंत्री जी बतायें कि उनको क्या दिक्कत है ? एक ओर तो आप कहते हैं कि जनता में आत्मविश्वास पैदा करना चाहते हैं, जनता को इंतजाम सौंपने जा रहे हैं लेकिन दूसरी ओर उस जनता को, जिसके हाथ में सावरेनटी है, सर्वोच्च सत्ता है, अंतरिम जिलापरिषद् के सदस्य चुनने का कम से कम अधिकार सरकार देती है ।

महात्मा गांधी ने भी जनता को जनता-जनार्दन के नाम से पुकारा था । इसलिये हम समझते हैं उसको यह अधिकार मिलना चाहिये कि जिला परिषद् के अधिक से अधिक सदस्यों को चुन सके । लेकिन धारा १८ में हमारे मनसूबों को तिलान्जली दे दी गई है और जो देहात की जनता यह समझती है कि जिला परिषद् में हम सहयोग देंगे, हमारे प्रतिनिधि वहां जायेंगे वह इरादे पूरे नहीं हो रहे हैं । तो मैं चाहूंगा इसमें प्रत्यक्ष चुनाव अधिक से अधिक लोगों का होना चाहिये । और जो नगरपालिका के प्रेसीडेंट, कोआपरेटिव डिस्ट्रिक्ट बैंक, या सोसाइटी या फेडरेशन की जो आम सभायें होती हैं उनके द्वारा ही परिषद् में भेजे जाने वाले सदस्यों का चुनाव होना चाहिये । अगर ऐसा किया जाता है तो सरकार को इसमें क्या नुकसान है ? अगर डेमाक्रेटीक इंस्टीट्यूशन्स को आप बल देना चाहते हैं जितनी भी हमारी जनतांत्रिक संस्थायें हैं, अगर चाहते हैं कि उनको बल मिले, तो वह तभी मिल सकती है जब उस संस्था के सदस्यों को यह अधिकार मिले कि अपने प्रतिनिधि को जिला परिषद् में भेज सकें । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों को संविधान के अनुसार इसमें प्रतिनिधित्व मिले ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (७) की प्रथम पंक्ति के शब्द "पर" तथा शब्द "निर्वाचित" के बीच के शब्द "गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा" रख दिये जायं, यह संशोधन उपस्थित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में ही जहां स्पष्ट नहीं है वहां स्पष्ट करने के लिये यह रख दिया गया है जैसे खंड ७ में यह लिख दिया गया है कि प्रमुख और उप-प्रमुख का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होगा । फिर खंड १९ में लिखा हुआ है कि जिला परिषद् में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होगा जिसका निर्वाचन जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा ऐसे रूप से किया जायगा जिसकी नियमों द्वारा व्यवस्था की जाय । तो इसमें मैं केवल इतना जोड़ना चाहता हूं कि खंड १८ के उपखंड (७) के नियमों के मुताबिक जो चुनाव हो उसमें साफ लिख दिया जाय कि वह गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होगा ।

मैं समझता हूं कि हमारे पहले के बोलने वाले श्री मदनगोपाल वैद्य जी ने कुछ बातों का विरोध किया और बड़े दावे के साथ कहा कि जिस पार्टी का बहुमत होगा, चुनाव की पद्धति चाहे जो कुछ हो, उसी का बहुमत होगा । सवाल यह नहीं है कि जिस पार्टी का बहुमत होगा बल्कि सवाल यह है कि न्याय के आधार पर चुनाव का तरीका अख्तियार किया जाता है या नहीं । मैं निश्चित इस राय का हूं कि सरकार ने यह घोषित करके कि इस देश में डेमोक्रेटिक आधार पर गवर्नमेंट

बनायेंगे अब धीरे-धीरे उससे पीछे हट रही है । जैसे कि खंड १८ के आधार पर जो जिला परिषद् का गठन होगा उसमें जो उपधारा (१) का भाग (२) है उसमें सरकार ने यह नियम रखा है कि जब सरकार की तबियत चाहे तब सरकारी गजट में उसके चुनाव के नियम और प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करेगी । तो सरकार अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र लेना चाहती है और जब प्रमुखों का इसमें जो विधान है, उसके द्वारा चुनाव हो जायगा उसके बाद अगर सरकार देखेगी कि उसका बहुमत नहीं हुआ तो इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके नियम (२) के अनुसार सरकारी गजट में चुनाव के नियम और संख्या आदि निर्धारित करके अपना बहुमत बना लेगी ।

इसमें ९ उपखंड उसके गठन के लिये दिये गये हैं जिनमें ५ प्रतिबन्धात्मक ही हैं । तो तमाम बाधाओं के बीच में उसका चुनाव होगा । तो मैं चाहता हूं कि यह सरकार डरे नहीं । यह सरकार जो धीरे-धीरे जनता के अधिकारों को छीन रही है उसका नतीजा यह हो रहा है कि आज लोग यह सोचने लगे हैं कि क्या हमारे बुनियादी अधिकारों की रक्षा डेमोक्रेटिक तरीकों से हो सकेगी और यह विचारधारा लोगों में फैल रही है कि इस देश में कोई डिक्टेटर होना चाहिये । यह सरकार प्रजातांत्रिक ढंग से व्यवस्था करने की घोषणा करके धीरे-धीरे जनता के अधिकारों को छीनती जाती है । और उसका कुपरिणाम यह होता है कि जनता का विश्वास केवल यही नहीं कि कांग्रेस से या उसकी सरकार से हट जाय बल्कि जनतंत्र पर से ही हटता जा रहा है उसका कुपरिणाम सारे मुल्क को, सारे समाज को और सभी सदस्यों को भी भुगतना होगा । इसलिये जो चुनाव हों उसके लिये मेरा संशोधन है कि गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा हो ताकि संदेह करने की गुंजायश न रहे ।

इसमें जो तमाम संशोधन आये हैं और उनके सम्बन्ध में भी मैं कहना चाहता हूं । मैं माननीय मदन गोपाल जी को इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने सरकार की आंखें खोल दीं कि १८ (४) के पहिले जिला शब्द जोड़ने का संशोधन दिया । जो कोआपरेटिव फेडरेशन वाली बात है वह राजकीय होगा, आल इंडिया होगा, जिले का होगा या क्षेत्रीय होगा । शायद गवर्नमेंट उसको स्वीकार भी कर ले और अपनी गलती स्वीकार कर ले । इसके अतिरिक्त बर्मा जी ने जो केन कोआपरेटिव सोसाइटीज के प्रतिनिधि के मुताबिक जो दूसरे संगठन हैं उनके भी मेम्बर्स हों ताकि सहकारिता आगे बढ़ सके और उसके ऊपर लोगों का विश्वास जम सके । इसके लिये प्रस्ताव किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । इन शब्दों के साथ में अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—श्रीमन्, धारा १८ पर जितने मेरे संशोधन हैं उनको मिला कर ही मेरा भाव बनता है । इसके अलावा कुछ उपधाराओं में मुझसे छूट गया है उनको मैं पेश करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—जो घर पर छोड़ आये लिखकर वह तो नहीं हो सकता, लेकिन जो छपा है वह पेश कीजिये ।

श्री नन्दराम—तो मेरा पहला प्रस्ताव तो यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (२) तथा (६) निकाल दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो पहले उपस्थित हो चुका है । अब नहीं हो सकता ।

श्री नन्दराम—लेकिन उसी से तो मेरा सारे संशोधनों का भाव बनता है ।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो छपा ही है, पेश भी हो चुका है, सामने है । आप आगे चलिये ।

श्री नन्दराम—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (७) के आगे निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"जिनमें ६० प्रतिशत हरिजन, पिछड़ी जाति, औरत तथा पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के प्रतिनिधि हों ।"

इसके अतिरिक्त मैं यह भी संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १८ में अन्तिम प्रतिबन्ध के आगे छठवां प्रतिबन्ध निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"पदेन सदस्यों को किसी भी प्रकार के मतदान में भाग लेने का अधिकार न होगा ।"

उपाध्यक्ष महोदय, एक शेर है :—

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरए खूंन निकला ।

आज १२ वर्ष हो गये जब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव सन् १९४८ में हुआ था । उस समय कांग्रेस से सोशलिस्ट पार्टी अलग हुई थी और दूसरी पार्टियां मैदान में नहीं थीं । लिहाजा उस समय तमाम बोर्डों पर कांग्रेस का बहुमत हो गया था और इसलिये वे उसको तब से चलाते आ रहे थे इसलिये कि हमारा बहुमत है और चुनाव रोजाना टालते जा रहे थे । अंतरिम जिला परिषद् विधेयक बना और अब जिला परिषद् विधेयक सदन के सामने है । १९५९ में अंतरिम जिला परिषद् विधेयक था उसमें भी कुछ धरभर थी और मंत्री जी ने इस बात को मान लिया था कि सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मत द्वारा कराया जायगा । लेकिन श्रीमन्, इस विधेयक को जब हम पढ़ते हैं तो हमें दुख होता है कि हमारी वर्तमान सरकार जिला परिषद् विधेयक को १९६२ के आम चुनाव को सामने रखकर ला रही है । सरकार ने इस बात को जान लिया है कि अब जनता का विश्वास कांग्रेस से समाप्त हो चुका है । आज अगर कांग्रेस संस्था जीवित है तो वह पुराने जिला बोर्डों के भरोसे ही जीवित है । लिहाजा जो यह जिला परिषद् बनाये जा रहे हैं उसमें सरकार चाहती है कि कांग्रेस का ही बहुमत रहे ।

अब यह मानी हुई बात है कि तमाम एम० एल० एज०, एम० एल० सीज० और एम० पीज० वगैरह रख दिये जायेंगे तो इनकी संख्या काफी बढ़ जायगी लगभग २५ की तादाद इनकी हो जायगी और जो चुनकर आयेंगे उनको मिलाकर कांग्रेस का बहुमत हो जायगा । श्रीमन्, मेरे संशोधन का मतलब यह है कि जब क्षेत्र समितियों से प्रमुख आ रहे हैं तो दूसरे प्रतिनिधि के चुने जाने की जरूरत नहीं है । मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मेरे जिले प्रतापगढ़ में जो अंतरिम जिला परिषद् है उसमें एम० एल० एज० के अलावा भी काफी मेम्बर हैं । लेकिन वहां पर श्री हरकेशबहादुर, रामअधार तिवारी, भगवतीप्रसाद शुक्ल, रुक्नुद्दीन खां बोलते हैं और जवाब में नन्दराम और गयाप्रसाद जो बोलते हैं । इसके अलावा राजाराम शुक्ल और रामनरेश शुक्ल बोलते हैं । वहां का रिकार्ड मंगा लिया जाय (व्यवधान) । शायद आप सुन नहीं रहे हैं । मैंने कहा कि वहां केवल एम० एल० ए० ही बोलते हैं और सोशलिस्ट पार्टी के केवल दो एम० एल० ए० हैं । अगर यह रखे जायेंगे तो जितनी भी संस्थायें हैं वह सब की सब पंगु बनी रहेंगी ।

श्रीमन्, अगर विकेन्द्रीकरण करना है तो सोशलिस्ट पार्टी की जो चौखम्भा राज्य की नीति है उसके अनुसार यह चारों स्वतंत्र होने चाहिये और जिला परिषद् भी एक खम्भा है, उसको स्वतंत्र बनाइये और एम० एल० एज० वगैरह के हाथ में नहीं होने चाहिये । अगर यह रहते हैं तो इनका सही काम नहीं हो सकता है । श्रीमन्, दफा १८ विधेयक की निचोड़ है यह इस तरह से है जैसे सारे शरीर में दिमाग होता है, तारों में सूर्य होता है ।

श्री उपाध्यक्ष—तारे सूर्य के साथ नहीं निकलते हैं।

(हंसी)

श्री नन्दराम—श्रीमन्, मैं गलती से सूर्य कह गया । मुझे चांद कहना चाहिये था ।

श्रीमन्, दूसरी चीज यह है, कि मुझे देख कर दुख होता है कि यहां पर बहुत से हरिजन भाइयों के नुमायन्दे हैं, उन्होंने अपनी बात कही और कहनी भी चाहिये । मुझे उनसे भी हमदर्दी

है। लेकिन सब की दशा देखते हुये मैं कह सकता हूं कि आज हमारे प्रदेश में और देश में जो पिछड़ी हुई जाति की दशा है, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो या जातीय दृष्टि से, उनके नुमायन्दे जातीय दृष्टि से आये हैं, लेकिन उन्होंने इसमें जिक्र भी नहीं किया। मेरा इसमें मंशा यह है कि जितने भी एम० एल० ए०, एम० पी० आदि हैं, या दूसरी धारायें हैं, वह निकाल दी जायं और जो धारा ७ है उसको बढ़ाया जाय। धारा २ में जो अनुमेलित किये जायेंगे, उसमें जिस पार्टी का बहुमत होगा उसके सदस्य आयेंगे। जो किसी पार्टी में नहीं हैं, स्वतन्त्र रहना चाहते हैं, सच्चे व्यक्ति हैं, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, वह अनुमेलित नहीं हो सकेंगे। इसलिये मेरा संशोधन है कि अनुमेलन भी खत्म किया जाय। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग, हरिजनों और पिछड़ी जाति के मुसलमानों को भी सदस्य होना चाहिये। जहां तक सरकारी नौकरों का प्रश्न है, जिनको पिछले चुनाव में इतने अधिकार दे दिये गये थे कि विधान सभा के चुनाव में भी वोट दिये थे, उनके लिये मेरा संशोधन है, कि उनको मत देने का अधिकार न रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि मन्त्री जी इसको मानने की कृपा करेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १८ के उप-खंड (१) के भाग (८) की पंक्ति दो में शब्द "जिले" के स्थान पर शब्द "ग्राम क्षेत्र" रख दिया जाय।

श्रीमन्, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १८ के उप-खंड (१) के प्रथम प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ में कुल शब्द हटा कर उसके स्थान पर शब्द "बराबर होगा" रख दिया जाय।

नोट—खंड १८ के उप-खंड (१) के प्रथम प्रतिबन्ध की पंक्ति की शाब्दिक सुधार अन्तिम शब्द "की" की जगह पर "की संख्या के" रख दिया जाय।

श्रीमन्, यह मेरा प्रथम जो संशोधन है यह एक छोटा-सा संशोधन है। मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन कर दूं कि मेरे इस संशोधन का अर्थ उधर से यह न लगाया जाय कि इसके पहले माननीय देवनारायण भारतीय ने जो इस खंड के बहुत से खंडों को निकालने के लिये संशोधन दिये हैं उनसे मेरा कोई विरोध है। मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। उन्होंने जो बात रखी है वह अपने स्थान पर है। लेकिन मैंने जो संशोधन रखा है, सरकार विरोधी पक्ष से आये हुये अच्छे से अच्छे संशोधन को इसलिये स्वीकार नहीं करती क्योंकि उसका विरोधी पक्ष के संशोधनों को न मानने का स्वभाव हो गया है, इसलिये चाहे वह मेरे संशोधन को स्वीकार न करें क्योंकि उसका स्वभाव हो गया है, कि विरोधी पक्ष का संशोधन चाहे अच्छा से अच्छा क्यों न हो न माने, वरना मैंने जो संशोधन रखा है उसमें समझौता-सा करने का प्रयास किया है। वह यह कि जहां उपखण्ड ८ में यह बात कही गई कि लोक सभा और राज्य विधान सभा के समस्त सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में जिले का कोई भाग सम्मिलित हो, इसके अर्थ यह हैं, कि लोक सभा और राज्य सभा के वह सदस्य भी उसके सदस्य हो सकेंगे जो शहरी क्षेत्र से चुनकर आये हों।

यह शहरी क्षेत्र के सदस्य जिले के मामलों में केवल उस समय हाजिर होते हैं जब उन्हें अध्यक्ष आदि के चुनाव करने होते हैं। अन्यथा वह विशेष रुचि नहीं लेते और यदि रुचि लेते हैं तो अनमने से भाग लेते हैं। कोई दिलचस्पी उनको दिखाई नहीं पड़ती है बल्कि अनुभव में तो यह आया है कि यह शहर के लोग कभी-कभी जिले की बातों के ठीक विपरीत अपना मन्तव्य रखते हैं और उसी के आधार पर कभी-कभी जिले के सुधार की बातों का विरोध भी करते हैं। यह भी देखा गया है कि जिले की ग्रामीण जनता का जो कष्ट है उसको वह समझ भी नहीं पाते हैं और न समझने के कारण उसको गलत तरीके से रखते हैं और प्रतिपादित भी करते हैं।

मुझे उन लोगों की इसलिये भी आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती कि इन शहर के लोगों को अपने कारपोरेशन में या नगरपालिका में भाग लेने का काफी मौका रहता है। ये जो जिला परिषदें हैं वह विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिये हैं और वहां की समस्यायें शहर की

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

समस्याओं से बिलकुल भिन्न रहा करती हैं। ऐसी हालत में उनको बीच में रखना एक उनकी तादाद को बढ़ाना है जिस बढ़ी हुई तादाद के आधार पर सरकार बहुत से कार्य अपने मनमानी करा लिया करती है। मुझे यह भी कहने का साहस है कि इस विधेयक में एक परिभाषा के खंड में शब्द "ग्राम्य क्षेत्र" भी आ चुका है जिसे मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं—

"ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया, छावनी तथा नगरमहापालिका क्षेत्र के अतिरिक्त जिले के क्षेत्र से है।" तो इसके अर्थ यह होते हैं कि जो क्षेत्र नगरपालिका में आ जायें या टाउन एरिया में आ जांय, छावनी नगरपालिका में आ जायं, उनको छोड़कर जो बाकी हिस्सा बचे वही क्षेत्र ग्राम्य क्षेत्र कहा जायगा। इसका परिणाम यह होगा कि इन क्षेत्रों के ही सदस्य, राज्य विधान मन्डल के सदस्य या लोक सभा के सदस्य, इसमें शरीक हो सकेंगे। जो मैंने शब्द रखे हैं उसके अनुसार यही उसमें शरीक हो पायेंगे और उनका ही होना उचित भी है। तो मैं ज्यादा समय न लेकर इस बात को सिर्फ इसलिये रखना चाहूंगा कि सरकार अगर इस बात को स्वीकार न कर सके कि विधान मण्डल के सदस्य न रखे जायें या लोक सभा के सदस्य न रखे जायें, अगर इस बात को मानने में उनको तकलीफ दिखाई पड़ती है यद्यपि इन बातों को मानने से कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी क्योंकि यह बिलकुल प्रजातांत्रिक तरीके पर रखी गई हैं और सरकार को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये, लेकिन यदि वह इसे मानने को तैयार न हों तो वैसी हालत में मैंने समझौते के रूप में अपना संशोधन रखा है। आशा है कि मन्त्री जी इसे स्वीकार करेंगे

दूसरा संशोधन मेरा जो है वह यह है कि खंड १८ के उप-खंड (१) के प्रथम प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ में कुल शब्द हटाकर उसके स्थान पर शब्द "बराबर होगा" रख दिया जाय।

अभी हमारे स्वायत्त शासन उप-मन्त्री जी ने किसी के भाषण के बीच में इन्टरवीन करते हुये कहा था कि खंड ७ में यह चुने हुये लोग करीब-करीब १ और २ में चुने गये सदस्यों के बराबर होंगे। मैं नहीं जान पाया कि उन्होंने यह कल्पना कैसे बना ली जबकि प्रतिबन्ध में यह लिखा हुआ है कि खंड (७) के अधीन निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यथा-सम्भव खंड (१) तथा (२) के अधीन सदस्यों की कुल संख्या की आधी से कम न होगी। तो इससे तो यही मालूम होता है कि उनके आधे वह होंगे। मेरे संशोधन से यह स्पष्ट हो जायगा कि उनकी संख्या खंड (१) और (२) में चुने गये लोगों के बराबर हो जाय। यानी पहले उप-खंड में यह है कि समस्त क्षेत्र समितियों के प्रमुख। उसके साथ-साथ यह प्रत्येक क्षेत्र से जो लोग आवेंगे वे भी कम से कम उनके बराबर तो होंगे ही। तो यह प्रमुख और उसके सदस्य उन क्षेत्रों को मिलाकर दुगने हो जायेंगे। उन दुगने सदस्यों के बराबर अगर यह सदस्य भी होंगे जो खंड (७) के मुताबिक चुने जायें तो एक बराबर की संख्या हो जायगी। अन्यथा यह संख्या उनके आधे के बराबर ही रह जायगी। इसका परिणाम यह होगा कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों की संख्या तो उतनी ही होगी जो कि खंड (७) के अनुसार चुने जायेंगे और अन्य खंडों के अनुसार चुने गये सदस्यों की संख्या पूरी संख्या की तीन चौथाई हो जायगी जो कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुने गये होंगे।

यह स्थिति एक प्रकार से प्रजातान्त्रिक चुनाव करने में अमान्य है और विकेन्द्रीकरण प्रयोग के लिये अमान्य है। इस आधार पर मैंने यह संशोधन रखा है कि समझौते के रूप में सरकार इसको मान लें। इससे दो बातों का पालन हो जाता है। एक तो वे विधान मण्डल के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य हो सकते हैं जो गांवों के क्षेत्र से आयेंगे और इस तरह से उनका प्रत्यक्ष चुनाव भी अनुपात से उतना हो जायगा जितना मान्यरूप से वांछित है।

आचार्य दीपंकर—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १८ के उप खंड (१) के भाग (९) के उपरान्त नये पैराग्राफ 'प्रथम प्रतिबन्ध यह

है कि, में उल्लिखित "अधीन सदस्यों की कुल संख्या की आधी से कम न होगी" के स्थान पर "अधीन सदस्यों की कुल संख्या दो तिहाई से कम न होगी" कर दिया जाय।

श्रीमन्, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १८ के उप-खंड (२) के उपरान्त और खंड १९ से पहले निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों की ओर से प्रति सहस्त्र अध्यापकों पर एक प्रतिनिधि अनुमोदित किया जायगा।"

(इस समय ३ बजकर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, मैं इन दोनों संशोधनों के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वशासन मन्त्री ने अपने कथन का समर्थन करते हुये यह बात कही थी कि दो तिहाई निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे उस वक्त उनके मस्तिष्क में यह धारणा नहीं थी कि विधान सभा के सदस्य, लोक सभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और राज्य सभा के सदस्य उसमें सदस्य रहेंगे या नहीं परन्तु अब चूंकि यह सदस्य जिला परिषद् के सदस्य हो गये हैं इस वजह से उनका जो पुराना कथन था वह बदली हुई परिस्थिति के अनुसार उनको बदलना पड़ा। परन्तु सवाल यह नहीं है कि लोक सभा के सदस्य, विधान सभा के सदस्य या राज्य सभा के सदस्य या विधान परिषद् के सदस्य, कुल मिलाकर जिला परिषद् में जितनी संख्या में बैठते हैं उसके आधे वह निर्वाचित सदस्य नहीं रखना चाहते हैं, प्रत्युत उनका कहना इसके अनुसार यह है कि धारा १८ (१) के अनुसार जो सदस्य होंगे जिला परिषद् के, उन सब का आधा भाग वह करना चाहते हैं। इसमें यह लिखा है कि "खंड ७ के अधीन निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या यथासम्भव, खंड १ तथा २ के अधीन सदस्यों की कुल संख्या की आधी से कम न होगी और उसमें आयेंगे जिले में स्थापित समस्त क्षेत्र समितियों के प्रमुख. . . .

श्री जयराम वर्मा—समय की बचत के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनका खयाल यह है कि (१) और (२) के अन्दर जो सदस्यों की संख्या होगी उसके आधे से हम मद ७ में कम करना चाहते हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि इसका आधा हम निकालना चाहते हैं। उसका संशोधन आ चुका है, उसके मुताबिक (१) (२) में जितने सदस्य होंगे उसके कम से कम बराबर सीधे चुने जायंगे। माननीय सदस्य दो तिहाई चाहते हैं और हम उसको ज्यादा करना चाहते हैं।

आचार्य दीपंकर—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का अर्थ निश्चय रूप से जैसा उप-मन्त्री जी ने कहा कि लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों के अनुमोदन के बाद जिला परिषद् की संख्या जितनी होगी उससे आधे से कम संख्या नहीं होगी। इस संशोधन के बाद मैं समझता हूं जो मेरा संशोधन था वह तो उस संशोधन में था। अब जो उप-मन्त्री जी ने कहा है, उसका मैं स्वागत करता हूं।

दूसरी बात अपने संशोधन के सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खंड १८ के उप--खंड (२) के उपरान्त जो यह संशोधन करने का मेरा प्रस्ताव है कि प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों की ओर से प्रति सहस्त्र एक प्रतिनिधि अनुमोदित किया जाय, इसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि पहले विधेयक की धाराओं के अनुसार सदस्य होने के संशोधन आ चुके हैं, मेरा अनुमेलन करने का संशोधन है। यानी जो सदस्य सरकार की तरफ से कोआप्ट किये जाते हैं उनमें से इनका प्राविधान कर दिया जाय कि प्रति सहस्त्र अध्यापकों पर उनका एक प्रतिनिधि जिला परिषद् में हों।

पुराने जिला बोर्ड के नियमों के अनुसार शिक्षा समिति में उनका एक प्रतिनिधि अनुमेलित किया जाता था, यदि माननीय मन्त्री जी उसे ही स्वीकार कर लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी इस वजह से कि प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व जिला परिषद् की किसी भी बाडी में हो, आवश्यक है। जिला परिषद् में यदि उनका प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व

[आचार्य दीपंकर]

हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम शिक्षा समिति में तो यह अवश्य रखे जायें। यह डेमोक्रेटिक भी होगा और उपयोगी भी। वास्तव में तो अध्यापकों का प्रतिनिधित्व शिक्षा समिति में नहीं बल्कि जिला परिषद् में ही रहना चाहिये और सदन में जो यहां पार्टियों का आपसी मतभेद होता है उसकी परिधि तोड़ कर इस पक्ष में अपने विचारों को प्रकट किया है, अतएव माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन और माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सदन की भावनाओं का ध्यान रखते हुये यह आवश्यक है कि जिला परिषद् में प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व रखा जाय। इन शब्दों के साथ में अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—मान्यवर, आप की आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (९) के अन्त में निम्नलिखित नया भाग (१०) रख दिया जाय—

"भाग (१०) —प्रत्येक एक हजार अध्यापकों की संख्या पर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ढंग से एक चुना हुआ प्रतिनिधि ।"

मान्यवर, मैं जानता हूं कि प्रत्येक जिले में प्रारम्भिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल हैं और जिला परिषद् को जूनियर हाई स्कूल तक की सारी शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिले में इन अध्यापकों का प्रतिनिधित्व, जिनकी संख्या काफी है, देवरिया में ही यह २,२०० हैं, नहीं है और मैं समझता हूं कि अगर उनका प्रतिनिधित्व न रहेगा तो शिक्षा के प्रशासन में यह एक कमी रहेगी और परिषद् में भी एक बड़ी कमी रहेगी। मैं समझता हूं कि परिषद् में जब शिक्षा के सारे तत्व हैं तो शिक्षा में जो लोग लगे हुये हैं। उनका प्रतिनिधित्व न हो, यह उचित न होगा और इस दृष्टि से ही यह संशोधन रखा गया है। यह आवश्यक तथा निर्दोष संशोधन है और मैं समझता हूं कि मन्त्री जी इसको अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे अथवा बतलायेंगे कि उन्होंने उनके प्रतिनिधित्व की क्या व्यवस्था की है ? बस्ती के बाद दूसरा सब से बड़ा जिला देवरिया है। बड़े जिलों में जहां दो-दो हजार अध्यापक हैं वहां उनके केवल दो प्रतिनिधि होंगे और इस प्रकार परिषद् में उनका भी प्रतिनिधित्व हो जायगा। शिक्षा में जो अंग अछूता है इसे मान लेने से उसका भी प्रतिनिधित्व हो जायगा। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को मान लें, अथवा बतलायें कि उन्होंने परिषद् में शिक्षक वर्ग का प्रतिनिधित्व कहां रखा है फिर मैं इस पर पुनर्विचार करूंगा। इस निवेदन के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (९) के पश्चात् निम्नलिखित नया भाग (१०) रख दिया जाय:—

"भाग (१०)—अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या राज्य सरकार, जिला में अनुसूचित जाति की जन-संख्या के आधार पर निर्धारित करेगी, जिसकी पूर्ति खंड (७) में नियत रीति के अनुसार विभिन्न खंडों द्वारा की जायगी ।"

श्रीमन्, इसके द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर सदस्य कोआप्ट होंगे उसके साथ-साथ, जो जनता से सीधे चुनाव द्वारा खंडों से परिषदों में आयेंगे, उनमें भी जन-संख्या के आधार पर अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या निर्धारित होनी चाहिये क्योंकि पिछले जिला बोर्ड जो थे, उनमें भी वहां के जिलों की उनकी संख्या के आधार पर ही सदस्य थे और वे चुन कर आते थे। अब इसमें जो कोआप्शन की संख्या रखी गई है वह बहुत कम है और यदि देखा जाय तो पिछले जो जिला बोर्ड्स थे उनमें उनकी संख्या लगभग ५०-५५ के होती

थी। वहां की जन-संख्या के अनुसार १२-१४ सदस्य जरूर उसमें अनुसूचित जाति के होते थे। अब जो परिषद् बन रही हैं उनमें अगर देखा जाय तो सब सदस्यों की संख्या मिल कर करीब १०० और कहीं-कहीं १०० से अधिक हो जायगी और ऐसी सूरत में केवल ५ सदस्य ही कोआप्ट किये जायेंगे और उनमें भी जब विधान सभा के सदस्य आ जायेंगे तो वे घट कर २ या ३ ही रह जायेंगे। तो ऐसी सूरत में उनका जो प्रतिनिधित्व है वह बहुत कम रह जाता है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो सीधे जनता द्वारा चुनाव होगा उसमें भी जन-संख्या के आधार पर अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या नियत की जाय और इसीलिये मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १८ के उप-खंड (१) के भाग (९) के अन्त में नया भाग (१०) निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"(१०)—जिला परिषद् द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा नियत रीति से निर्वाचित दो प्रतिनिधि"।

मान्यवर, मेरे इस संशोधन को रखने का वही आशय है जोकि सरकारी पक्ष से माननीय दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी के संशोधन का है। दोनों का मंशा एक ही है और वह यह कि जिला परिषद् के अन्दर अध्यापकों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। मान्यवर, अगर मुझे यह भरोसा होता कि सरकारी पक्ष की ओर से जो संशोधन पेश हुये हैं वे आखिर तक कायम रहेंगे, और वोटिंग के समय भी वापस नहीं लिये जायेंगे तो मुझे अपने संशोधन को पेश करने की आवश्यकता न होती, परन्तु मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। मैं यह समझता हूं कि जब वोटिंग होगी, उस समय वह संशोधन वापस ले लिया जायगा। इस कारण जो अध्यापकों के प्रतिनिधित्व का सवाल है उस पर माननीय सदन का निर्णय न मिल सकेगा और वह खटाई में पड़ जायगा और इसलिये मैं अपने संशोधन को पेश करने के लिये बाध्य हुआ हूं।

मान्यवर, जिला परिषद् के अन्दर, जैसा कि श्री त्रिपाठी जी ने अभी कहा कि अध्यापकों की एक बहुत बड़ी संख्या होती है और शिक्षा का प्रसार एक ऐसा कार्य है जिसे बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। शिक्षा प्रसार में आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान व्यावहारिक रूप से जिले के अध्यापक को होता है। यदि उनके प्रतिनिधि जिला परिषद् में आयेंगे तो शिक्षा प्रसार की कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास में सफलता मिलेगी। अभी जो सरकार ने इंटरमीडिएट बोर्ड का विधेयक पास कराया, उसमें जो मैनेजिंग कमेटीज हैं उनमें अध्यापक को प्रतिनिधित्व दिया है। जब प्राइवेट संस्थाओं में भी उनके प्रतिनिधित्व का सवाल रखा जाता है और सरकार मैनेजिंग कमेटी पर जोर डालती है, तो फिर यह उचित नहीं मालूम पड़ता कि जिला परिषद् में उनके प्रतिनिधि न रखे जायं। इसलिये मैं माननीय सदन से प्रार्थना करता हूं कि अध्यापकों को भी जिला परिषद् में प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाय ताकि शिक्षा के प्रसार में और अध्यापकों के प्रबन्ध में वह स्वयं अपनी राय दे सकें, गत बोर्डों में भी शिक्षा समिति में उनको प्रतिनिधित्व मिलता था और दिन प्रति दिन जो छोटी-छोटी बातों में उनको परेशानियां उठानी पड़ती हैं, सत्ताधारियों के ह्विम के कारण ट्रान्सफर के संबंध में जो परेशानी उठानी पड़ती है, पदोन्नति रोकी जाती है, वह दूर हो जायेंगे। मुझे आशा है कि माननीय सदन उसको स्वीकार करेगा।

श्री गरीबदास (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं।

खण्ड १८ के उपखण्ड (१) के भाग (९) के पश्चात एक नया भाग (१०) इस प्रकार जोड़ दिया जाय—

[श्री गरीबदास]

"संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों के संरक्षण के लिये उनकी जन-संख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित कर दिये जायं ।"

मान्यवर, दूसरा एक और है —

खन्ड १८ के उप खन्ड (२) के भाग (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द तथा अंक "१८ प्रतिशत" रख दिये जायं, तत्पश्चात् अन्तिम पंक्ति में शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द तथा अंक "१८ प्रतिशत" रख दिये जायं ।

मान्यवर, यह जिला परिषद् काफी वर्षों के बाद नये रूप में बनने जा रही है । कहा जाता है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के लिये काफी जरूरी है कि जनता के हाथ में शक्ति दी जाय । जिले के स्तर पर जिले में विशेष रूप से गांव पंचायत के बाद दूसरा नम्बर जिला परिषद् का आता है जो राज्य की एक दूसरी इकाई होती है । पिछड़े वर्ग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट बताया है कि पिछड़ा वर्ग, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों की उन्नति नहीं हुई है, या इनमें इतनी शक्ति नहीं आयी है कि ये अपनी राय जनता में आम रूप से प्रकट कर सकें या उनको बगैर संरक्षण प्राप्त हुए राजनीतिक, सामाजिक अधिकार प्राप्त हो पाएं । इसी आधार पर हमारे संविधान ने १० साल के लिये उनको और संरक्षण दिया है । इतना ही नहीं, इसी माननीय सदन ने अभी पिछले टाइम में संशोधन लाकर पंचायत के चुनाव में उनको संरक्षण दिया है । अब मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि जब संविधान ने पिछड़ा मान कर १० साल का संरक्षण बढ़ाया है तो जिला परिषद् में क्यों संरक्षण से उनको वंचित कर दिया गया है ?

मेरी समझ में नहीं आता है कि जब गांव पंचायत एक छोटी इकाई है और थोड़े से अधिकार हैं उसमें तो संरक्षण दिया गया लेकिन जिस समय ज्यादा अधिकार देने की बात है, जिला परिषद् बनने को है उसमें अधिकारों से वंचित कर दिया गया । यह जरूर है कि अनुमेलित करने की बात रखी गई, मैं अभी इस विषय पर नहीं आना चाहता । अनुमेलित करने से जनता के सही आदमी पहुंच नहीं सकते जिनको कि जनता चाहती हो जिनका किसी पार्टी विशेष से संबंध न हो । ऐसे व्यक्ति अनुमेलित भी नहीं किये जा सकते । अनुमेलित करने के लिये जो भी संरक्षण हो लेकिन ५ का रहना बिलकुल नाकाफी है, यह समाज को पंगु करने के लिये है और इससे गिरे हुए समाज को उठाने में सहायता नहीं मिल सकती । ऐसी परिस्थिति में मैं यह समझता हूं कि अनुसूचित जातियों के लिये यह बहुत गैर-इन्साफी है, उनके साथ अन्याय है ।

मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि अभी अनुसूचित जातियों में जागृति नहीं आई है या इतनी जागृति नहीं आई है कि वह किसी जनरल सीट से लड़कर जीत सकें । जहां तक देहात का मामला है, मान्यवर, आप भी जानते हैं, मैं भी अपने गांव का सभापति हूं, मुझे देहाती इलाके में रहने का बहुत अच्छा अनुभव है । थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि अनुसूचित जाति का एक आदमी मेहतर है जो कि दूसरे वर्ग के लोगों की टट्टी साफ करता है वह जनरल सीट पर लड़ने के लिये तैयार हो जाता है तो उसके लिये आज यह गुंजायश नहीं है कि दूसरे वर्ग के लोग यह सोच सकें कि उनके समान आकर वह व्यक्ति जिला परिषद् में सदस्यता करे । सरकार की ओर से जहां पर संरक्षण मिल जाता है, नियम बन जाते हैं तो वह मजबूरी की बात हो जाती है और जनता में किसी प्रकार की भावना पैदा नहीं हो पाती । जनता समझती है कि उसके लिये संरक्षण है । लेकिन उस प्रकार से अगर कोई परिगणित जाति का सही आदमी भी मान लीजिये किसी पंडित के यहां वोट मांगने जाता है तो चाहिये यह कि वह पहले जाकर चरण छुए, अब अगर वह शिष्टाचार के नाते ही वोट मांगता है तो उसको सीधा जवाब मिल जायगा । वह तो दूर खड़ा होकर जहां पर कि जूते रखे रहते हैं अपनी बात करता है

तो अभी ऐसी मनोवृत्ति नहीं हो पाई है कि बिना पालागन के उस व्यक्ति को वोट मिल जायं। इसलिये मैं समझता हूं कि संरक्षण निहायत जरूरी है नहीं तो उनकी सही नुमाइन्दगी नहीं हो सकती और न वह आ सकते हैं।

जहां तक कोआप्शन का सवाल है उसके लिये सीधी रोक रहेगी कि टिकट न दिया जाय, कोई पार्टी नहीं देगी और कहा जायगा कि कोआप्ट कर लिया जायगा लिहाजा योग्यता के आधार पर आने का प्रश्न नहीं उठता। आज तक का इतिहस साक्षी है कि अगर योग्यता के आधार पर टिकट दिये जाते तो क्या माननीय जगजीवन राम जी, माननीय गिरधारी लाल जी और डाक्टर सीताराम जी में योग्यता नहीं है, उनको जनरल सीट पर टिकट क्यों नहीं दिया जाता। इससे साफ जाहिर होता है कि टिकट दिये जाते हैं संरक्षण के आधार पर, जातिवाद के आधार पर न कि योग्यता के आधार पर। इसलिये जब यह रहेगा कि अनुमेलित किया जायगा तो उसी के आधार पर छोड़ दिया जायगा, किसी को भी कोई पार्टी टिकट नहीं देगी, और उनका जनता से सीधा सम्पर्क नहीं हो पायेगा और न कोई आदमी आ सकेगा। इसलिये यह निहायत जरूरी है। आप जानते हैं कि चुनाव बहुत खर्चीले होते हैं और उनके पास पैसा नहीं है। शर्मा जी ने कई बार कहा कि इससे कटुता पैदा हो जायगी, यह केवल धौंस है, दबाव है। मैं कहना चाहता हूं कि जब जनरल सीट पर अछूत जाति का आदमी लड़ेगा सवर्ण के मुकाबले में तो सीधी टक्कर होगी, जिससे कटुता पैदा होगी, एक संघर्ष की भावना पैदा होगी। लेकिन अगर रिजर्वेशन रहेगा तो किसी को यह सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा कि यह हमारे मुकाबले में लड़ रहा है। इसलिये कटुता पैदा करने के लिये जनरल सीट पर टकराने की बात उचित नहीं है।

सरकार कहती है कि संरक्षण से परिगणित जातियों के लोग भी हर स्थान पर पहुंच गये हैं। यह बात सही है। लेकिन जैसे लखनऊ के चिड़ियाघर में शेर, गीदड और चिड़ियें सभी रहते हैं परन्तु इतने नजदीक होने के बावजूद भी वे एक दूसरे से संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। सब अपने-अपने घरों में रहते हैं। ऐसे ही भले ही परिगणित जाति के लोग असेम्बली में, पंचायत में या अन्तरिम जिला परिषद् में पहुंच गये हैं लेकिन उनमें इतनी राजनैतिक जाग्रति नहीं है कि किसी पार्टी को संचालति कर सकें। अभी तक उनमें उतनी योग्यता नहीं हो पाई है। इस बात को बैकवर्ड क्लासेज कमीशन ने भी माना है और सरकार भी मानती है लेकिन सरकार करना कुछ नहीं चाहती है। कटुता के नाम पर धौंस देकर न्याय की हत्या की जा रही है। संविधान में भी माना है और अगर कटुता की बात होती तो केन्द्रीय सरकार क्यों १० वर्ष के लिये संरक्षण बढ़ाती? पुराना इतिहास बताता है कि यहां औचित्य का संबंध है, मुसलमान काल में राणा प्रताप ने अपने अधिकारों का नारा लगाया और अनेकों यातनायें अकबर के काल में सहीं। हमने उनको, महाराणा प्रताप को, हिन्दूकुल भूषण का पद दिया। वहां कटुता की कोई कमी नहीं रह गई थी। मैं समझता हूं कि रानी लक्ष्मी बाई को भारत अभी भूला नहीं होगा या १८५७ के सेनानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अंग्रेजों के विरुद्ध कौन-सी कटुता बाकी रह गई थी? अभी नजदीक की बात है, सन् १९४७ से पहले, जब हमें स्वतंत्रता मिली, जितने भी कार्य हुए जिनमें हमारे शर्मा जी ने भी विशेष रूप से भाग लिया था, हम सब ने जिनकी मुझसे ज्यादा उम्र है, सब ने ही भाग लिया, उन कार्यों में अंग्रेजों के खिलाफ कौन-सी कटुता बाकी रह गई थी? जहां सरकारी पक्ष के हित का सवाल होता है वहां कटुता पैदा नहीं होती है लेकिन जहां परिगणित जातियों के हित की बात होती है वहां कटुता कैसे पैदा होती है? जब तक अछूतों को केन्द्र ने कानूनी संरक्षण दे रखा है तब तक यहां भी रहना चाहिये।

मैं शर्मा जी को एक मिसाल भी देना चाहता हूं। लखनऊ की ही बात है। बड़े शर्म की बात है कि यहां महापालिका में ९ वर्ष से एक परिगणित जाति का बी० ए० पास क्लर्क का कार्य कर रहा है। उसे इंसपेक्टर नहीं बनाया गया। परन्तु एक चपरासी को जो हाई स्कूल पास था लेकिन सवर्ण जाति का था उसे इंस्पेक्टर बनाया गया। सम्भवतः उसने ८, ९

[श्री गरीबदास]

महीने या १ वर्ष चपरासी के पद पर ही काम किया था अभी की बात है, शायद ८, ७ दिन ही हुए होंगे एक हाई स्कूल पास व्यक्ति को सीधे इन्स्पेक्टर बनाया गया है। परिगणित जाति वाले को पहले कुछ समय के लिये इंस्पेक्टर यह कह कर बनाया गया था कि तुम परिगणित जाति के हो और बाद में उसे फिर क्लर्क बना दिया गया। तो जब तक यह मैंटेलिटी दूर नहीं होती और हम लोगों से परहेज किया जायगा तब तक संरक्षण मिलना ही चाहिये। सरकार हमारे अनुपात से ही हमें अधिकार देगी, उसमें किसी सवर्ण के अधिकार हनन की बात नहीं है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खन्ड १८ में निम्नलिखित उपखण्ड (१०) उपखन्ड (९) के बाद बढ़ा दिया जाय:—

"भाग (१०) जिले के समस्त सरकारी विभागों के अध्यक्षगण किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे और जिला परिषद् की बैठकों के बाद विवादों में हिस्सा ले सकेंगे परन्तु किसी भी प्रश्न पर उन्हें मत देने का अधिकार न होगा।"

मान्यवर, इस संशोधन का मुख्य आशय यह है कि जिले के विभिन्न सरकारी विभागों के अध्यक्षों को जिले के जन प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह बनाया जाय। दूसरा आशय यह है कि जिला परिषद् अपने फैसले शीघ्र, स्वस्थ और सही कर सके और साथ ही वे कार्यान्वित भी शीघ्र हो सकें। प्रश्न उत्तर की व्यवस्था की महत्ता से यह सदन भलीभांति परिचित है। अभी भी जिला परिषदों में यह व्यवस्था है और इसे हटाने का कोई कारण नजर नहीं आता है। जिन बातों पर हम जिला परिषद् में सूचना पा सकते हैं उनके बारे में यहां प्रश्न होने से बच जावेंगे। ऐतिहासिक तौर पर भी जिले में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज बहुत से विभागों के अध्यक्षों को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होती थी और उन पर अक्सर सवालात हुआ करते थे। वे जिले के जन प्रतिनिधियों को मुख्तलिफ विभागों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, प्रश्नों के उत्तर देते थे, ऐसी प्रथा वहां चली आती थी। वर्तमान अन्तरिम जिला परिषदों में भी यह व्यवस्था कायम है और जिले के लोग उसकी उपयोगिता को मानते हैं। तो मैं नहीं समझ पाता कि इस विधेयक में, जिसमें जिला स्तर पर अधिक अधिकार देने की बात कही गई है, विकेन्द्रीकरण की बात बहुत जोर से कही गई है, यह व्यवस्था क्यों छोड़ दी गई है।

श्रीमन्, दूसरी बात जो मैंने निवेदन की वह यह है कि इस व्यवस्था से जिला परिषद् के फैसले स्वस्थ, सही और शीघ्र हो पावेंगे। श्रीमन्, अवसर औकात इस सदन में रैडटेपिज्म की बुराई की गयी है। सरकार भी कोशां है कि किसी प्रकार से लालफीताशाही का प्रभाव कम हो। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव और सरकारी तथा गैर-सरकारी लोगों की मनोवृत्ति का अन्तर और पर्दा उनके बीच में अक्सर चर्चा का विषय इस सदन में रहा है। यदि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे तो जिले के अन्दर जिला परिषदों की बैठकों में जिले के सरकारी और गैर-सरकारी लोगों को विचारविनिमय करने का अवसर मिलेगा तो उनके बीच का जो पर्दा है वह किसी प्रकार से दूर होगा तथा एक दूसरे की मनोवृत्ति को समझने का अवसर भी मिलेगा तथा उनके बीच में जो गलतफहमी है उसको भी दूर करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही साथ जाहिर है कि हर प्रश्न पर जो भी विभाग की सूचना होगी, जो भी विभाग का मत होगा, उसको पूर्ण रूप से प्रकाश में आने का मौका मिलेगा। इस प्रकार से जिला परिषद् अपने फैसले अधिक स्वस्थ और शीघ्र कर पायगे।

यदि विभागीय अध्यक्ष जिला परिषद् में उपस्थित नहीं होंगे तो जाहिर है कि हर सूचना पर उनके विभाग का मत और उनके विभाग की कार्य प्रगति लाल फीते में बंधकर ही जिला परिषद् के सामने आयेगी। अगर हम चाहते हैं कि सूबे के स्तर पर आपने जो परेशानियां अनुभव की हैं, वे जिला स्तर पर न रहें, तो यह आवश्यक है कि जिला परिषदों को ये सुविधायें मिलनी चाहिये।

मान्यवर, जिला परिषद् में बहस मुबाहसा के दौरान में अफसरान की उपस्थिति से उन अफसरों को भी अपने कार्य को करने में सुविधा होगी क्योंकि जिला परिषद् के फैसले की तुरन्त सूचना उनको मीटिंग में मिल जायगी और उनको कार्यान्वित करने में विलम्ब करने का कोई मौका नहीं रहेगा। श्रीमन्, मैंने स्पष्ट रूप से अपने इस संशोधन में कहा है कि सरकारी विभाग के अध्यक्षों को मत देने का अधिकार नहीं होगा। इसलिये अगर यह शंका किसी माननीय सदस्य को हो कि उसकी उपस्थिति किसी प्रकार से जिला परिषद् के फैसलों पर प्रभाव डालेगी, तो उनकी यह शंका अवश्य ही दूर हो जानी चाहिये। अतः मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन की उपयोगिता को देखते हुए अवश्य ही इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

(श्री माता प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बलदेवसिंह—श्रीमन्, मेरा ९४ नंबर का संशोधन रह गया।

श्री अध्यक्ष—वह तो माननीय देवनारायण भारतीय ने उपस्थित कर दिया, आप उस समय होंगे नहीं।

श्री बलदेवसिंह—मैं उस समय यहां बैठा हुआ था। मैं अब उसे दूसरे रूप में पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, एक संशोधन दो रूप में पेश नहीं किया जा सकता। वह पेश हो चुका है। आपको इस पर बोलने का मौका मिलेगा।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

खन्ड १८ के उपखन्ड (२) के खन्ड (२) को निकाल कर उसके स्थान पर निम्न-लिखित रख दिया जाय—

"धारा १८ की उपधारा १ में खन्ड १ से ९ तक मिलाकर अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या यदि उस जिले की कुल जन-संख्या के अनुपात से कम हो तो उपधारा के खन्ड (१) के अधीन अनुमेलित अनुसूचित जातियों के उतने प्रतिनिधि, जिनसे उनका संरक्षण पूरा हो जाता हो।"

मान्यवर, इस संशोधन के रखने से मेरा आशय यह है कि इस प्रस्ताव के अधीन खण्ड १ से लेकर ९ तक कुल मिलाकर जिला परिषद् के सदस्यों की जितनी संख्या हो उसी हिसाब से उस जिले में परिगणित जाति के लोगों की जितनी संख्या हो उस अनुपात में परिगणित जाति के लोगों को रखा जाय।

मान्यवर, इस समय हमारी जो ये जिला परिषदें बन रही हैं वे पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के आधार पर बन रही हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में जन संख्या के आधार पर प्रत्येक जिले में परिगणित जाति के सदस्यों की संख्या निर्धारित थी जहां से वे सदस्य होते थे। जब जिला बोर्डस खतम हो गये और अन्तरिम जिला परिषद् स्थापित हुई तो उस समय माननीय मंत्री जी एक विधेयक इस सदन में ले आये। उसमें माननीय सदन के एक सदस्य की श्री राम दास आर्य ने एक संशोधन उपस्थित किया था कि इन अन्तरिम जिला परिषदों में परिगणित जाति के सदस्यों की संख्या का रिजर्वेशन होना चाहिये। उस समय उनके संशोधन का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा था कि भविष्य में जब हम जिला परिषद् विधेयक लावेंगे तो उसमें हम

[श्री सातप्रसाद]

परिगणित जाति के प्रतिनिधित्व का पूरा ख्याल रखेंगे। आज हमको दुख है कि इस समय यह जो विधेयक हमारे सामने उपस्थित है उसमें परिगणित जाति को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

मान्यवर, इसमें केवल ५ की संख्या रखी गयी है। मेरी समझ में नहीं आता कि ५ की संख्या किस आधार पर रखी गयी है। मान्यवर, पहले जिला परिषद् के करीब ६० या ६४ सदस्य होते थे, इस विधेयक के मुताबिक करीब १२५ सदस्य जिला परिषद् में होंगे लेकिन परिगणित जाति के सदस्यों की संख्या इसमें कम की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि वे कोई ऐसी व्यवस्था जरूर करें जिससे परिगणित जाति का प्रतिनिधित्व पूरा हो, क्योंकि संविधान के द्वारा उनको संरक्षण मिला है और इसी आधार पर माननीय मंत्री जी व्यवस्था करें।

माननीय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि विधान परिषद् या राज्य सभा में अनुसूचित जातियों के लिये कोई प्रतिनिधित्व नहीं है लेकिन मान्यवर, विधान परिषद् और राज्य सभा जो है उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा सभी लोग नहीं चुने जाते हैं, सभी लोग अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं लेकिन जो जिला परिषदें बन रही हैं उनमें प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा ऐसे लोग निर्वाचित होंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जरूर कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जिला परिषद् में जो हरिजनों का उचित प्रतिनिधित्व हो उसे वे मान लें। चाहे वे हमारे इस संशोधन को इस रूप में न स्वीकार करें, लेकिन जो भी संशोधन जिससे हमारी मंशा पूरी हो जाय और हरिजनों का भी संरक्षण पूरा हो जाय, उसे माननीय मंत्री जी जरूर मान लें। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह की कोई व्यवस्था इस विधेयक में नहीं हो सकी तो हो सकता है कि भविष्य में हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में कोई ऐसी चुनौती दी जाय जिससे ऐसा न हो कि हमारा यह काम रुक जाय। इसलिये माननीय मंत्री जी इसमें ऐसी व्यवस्था जरूर करें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को पेश करता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं—

खन्ड १८ के प्रथम प्रतिबन्ध की तीसरी पंक्ति में शब्द "संख्या की" के आगे शब्द "आधी" के स्थान पर शब्द "तीन चौथाई" रख दिया जाय।

श्रीमन्, मैं बहुत थोड़े शब्दों में इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि इसके रखने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि जितने और सदस्य हैं जो कोआप्ट करके या और किसी तरीके से आते हैं, उनकी संख्या अगर चुने हुए सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होती है तो अक्सर देखा जाता है कि चुने हुए सदस्य किसी किसी सभा में कम उपस्थित हुआ करते हैं और जो सरकार द्वारा नामांकित किये जाते हैं, चूंकि वे सरकारी सदस्य होते हैं वे ख्वाहमख्वाह वहां मौजूद रहते हैं। ऐसी हालत में वहां सरकार का अधिक प्रतिनिधित्व हो जाना अवश्यम्भावी है। इसलिये मैं चाहता हूं कि "आधी" की जगह "तीन चौथाई" कर दिया जाय ताकि चुने हुए सदस्य इतना अधिक रहें कि सरकार अपने सदस्यों द्वारा कुछ कराना चाहे तो न करा सके।

श्री प्रतापसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूंः—

खन्ड १८ के उपखन्ड (१) के प्रथम प्रतिबन्ध को निकाल कर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"जिला परिषद् के तिहाई सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से और दो तिहाई प्रत्यक्ष रूप से चुने जायेंगे।"

मान्यवर, यह प्रतिबन्ध एक ऐसा प्रतिबन्ध है कि जिसका इंटरप्रिटेशन कई प्रकार से लगाया जा सकता है। यह जिला परिषद् विधेयक गांव के लोगों का विधेयक है। मैं समझता हूं कि इसमें स्पष्ट होना चाहिए। मैंने बहुत सोच-समझ कर इस संशोधन को रखा है। प्रश्न हमारे सामने यह है कि जिला परिषद् की सदस्यता किस प्रकार होगी? श्रीमन्, १ से लेकर ९ तक अगर आप देखेंगे तो कहीं कोई नगरपालिका का प्रेसीडेंट आ रहा है, कहीं कोआपरेटिव फेडरेशन से कोई आ रहा है, कहीं सहकारी क्रय-विक्रय समिति से आ रहा है। इस तरह से ऐसा लगता है कि इसमें प्रत्यक्ष चुनाव का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग इसमें चुनकर आएं। मेरे इस संशोधन का बड़ा महत्व है और वह इस माने में है कि जब कि सारे अधिकार और कार्यभार आप जनता को सौंपना चाहते हैं तो उसको अधिक से अधिक सदस्य चुनने का अधिकार होना चाहिये।

कल को अगर यह कर दिया जाय कि सदस्य, विधान सभा को स्पीकर साहब नामीनेट करेंगे तो जब कि इतना विश्वास हमारा आपके ऊपर है तब भी लोग चिल्लाने लगेंगे। इस विधेयक में श्रीमन्, प्रत्यक्ष चुनाव तो कहीं है ही नहीं। तो जो जनता देहातों की है उसको कैसे अधिकार मिलेगा? किस तरह से जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण होगा? हमारा जिला परिषद् विधेयक कैसा बनेगा यह उतना माने नहीं रखता जितनी कि यह बात कि जो अधिकार उसको दिये जा रहे हैं उसको कौन कार्य रूप में परिणित करेगा। वह सदस्य लोग करेंगे। अगर वह सही सदस्य न आये तो विकेन्द्रीकरण का स्वप्न अधूरा रह जाएगा। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार करने के बाद इसे मान लेने की कृपा करेंगे।

श्री रामेश्वरप्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं —

खन्ड १८ के उपखन्ड (२) की मद (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(२) यदि उपधारा (१) में उल्लिखित और इस उपधारा के खन्ड (१) के अधीन अनुमेलित सदस्यों में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या ऐसी संख्या से कम हो जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे और जो पांच से कम या दस से अधिक न होगी तो जिले में रहने वाले अनुसूचित जातियों के उतने व्यक्ति जिनसे उनकी संख्या कुल मिलाकर निर्दिष्ट संख्या के बराबर हो जाय"।

श्री अध्यक्ष—क्षेत्र समिति में तो ८ का हुआ है। तो क्या आप इसमें ५ से १० तक का रखेंगे?

श्री रामेश्वरप्रसाद—जी हां।

अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना आगे का संशोधन भी पेश कर दूं?

श्री अध्यक्ष—जी हां।

श्री रामेश्वर प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं:—

खंड १८ के उपखंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित नये उपखंड (३) तथा (४) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(३) उपखंड (१) के भाग (७) के अधीन निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों के कुल स्थानों में से अनुसूचित जातियों के लिये उतने स्थान रक्षित होंगे जिनका अनुपात उक्त कुल स्थानों के साथ यथासंभव वही हो जो सेन्सस ऐक्ट, १९४८ के उपबंधों के अधीन पिछली जन-संख्या में अवधारित उस जिले के खंडों की अनुसूचित जातियों की जन-संख्या का उक्त खंडों की कुल जनसंख्या के साथ हो:

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

प्रतिबन्ध यह है कि इस खंड की कोई बात अनुसूचित जातियों के सदस्यों को अरक्षित स्थानों के लिये खड़े होने से न रोकेगी।

(४) अनुसूचित जातियों के लिये उपधारा (२) तथा (३) की व्यवस्था केवल उस दिनांक तक प्रभावी रहेगी जब तक कि "भारत का संविधान" के अधीन इन जातियों के लिये रक्षण विद्यमान रहे।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात उपर्युक्त दिनांक की सीमा की समाप्ति पर किसी रक्षित स्थान पर निर्वाचित सदस्य अथवा अनुमेलित सदस्य पर प्रभाव न डालेगी जब तक कि किसी ऐसे सदस्य के स्थान की पूर्ति के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या नया निर्वाचन या अनुमेलन करने का प्रश्न उत्पन्न न हो जाय।"

अध्यक्ष महोदय, मेरे इन संशोधनों को पेश करने की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। मेरी मंशा यह है कि इस सदन में पिछले ३, ४ दिनों से जो विचार सुन रहा हूं उससे मेरा ऐसा दृष्टिकोण बना है कि इस सदन के सदस्य बहुमत से ऐसे हैं जो हरिजनों के काज को बहुत अच्छा समझते हैं और हरिजनों के फेवर में उनकी राय है। उनकी इस सहिष्णुता और दया को देख करके मैंने यह हिम्मत की कि मैं इस प्रकार का इस जगह पर यह संशोधन रखूं। क्योंकि पिछले दिन जब क्षेत्र समितियों का प्रस्ताव हम लोगों के विचाराधीन था तो मैंने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें ५ सदस्यों की जगह पर ८ की संख्या को मंत्री जी ने बड़ी कृपा करके मान लिया था और मैं समझता हूं उससे काफ़ी राहत और संतोष हरिजन समुदाय को हुआ होगा। अतः उसी नम्रता के साथ मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जहां पर उन्होंने यह रखा है कि किसी जिला परिषद् में अगर ५ से कम सदस्य होंगे प्रधानों की सूरत में या और किसी सूरत में अगर ५ से कम सदस्य हरिजनों के प्रतिनिधि के रूप में होंगे जिला परिषद् में तो अभी तक जो बिल में प्रावीजन है वह यह है कि उससे अगर कम हुए तो इतने सदस्य कोआप्ट कर लिये जायंगे, जो उनकी संख्या ५ हो जाय।

मैं समझता हूं जैसा अभी कई हरिजन सदस्यों ने कहा कि यह जो ५ सदस्यों की संख्या है, वह जिला परिषद् में जिसमें काफी संख्या में सदस्य होंगे नगण्य के बराबर होगी। इस संख्या से हरिजनों का काफी प्रतिनिधित्व जिला परिषद् में नहीं हो पायेगा। तो जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह बड़े खेद की बात है, मैं खेद तो नहीं कहता क्योंकि मैं तो आशावादी हूं और ऐसा समझता हूं कि हम लोगों को अपने हितों के लिये बराबर कोशिश करते रहना चाहिय। माननीय गरीबदास ने अपना प्रस्ताव रखते हुये दो, तीन मिसालें दीं कि अंग्रेजों के जमाने में जो देशवासियों ने उनके विरुद्ध आन्दोलन किया तो उससे भी एक कटुता आयी थी। मैं कहना चाहता हूं कि वह कटुता भले ही रही हो लेकिन वह देश के हित में थी और यह जो बिल है यह केवल हरिजनों के लिये या समाज के किसी एक सेक्शन के लिये नहीं बन रहा है बल्कि प्रदेश के समस्त लोगों के हित के लिये बनाया जा रहा है। तो अगर कोई कटुता की बात कहे तो मैं उसको उचित नहीं समझता हूं।

कहा गया कि माननीय मंत्री जी ने भी उस दिन कहा था कि अगर इस तरह से रिजर्वेशन रखा जायगा तो कटुता पैदा होगी लेकिन जिस रेफरेन्स में उन्होंने यह बात कही थी उसको भी ध्यान में रखना चाहिये। उन्होंने कहा था कि जो लोग डायरेक्ट चुनाव से आयेंगे अगर श्री बोरसेन के प्रस्ताव को मान लिया जाय कि उसमें हरिजनों के लिये उनकी जन-संख्या को देखते हुये सीटें रिजर्व कर दी जायं तो इससे काम नहीं चलेगा बल्कि एक कटुता जनता में पैदा होगी क्योंकि मान लिया जाय कि १८ सीटें हैं और हरिजनों का ऐसा प्रपोर्शन आता है कि अट्ठारहों सीटें हरिजनों के लिये रिजर्व कर दी जायं तो अवश्य ही एक कटुता पैदा होगी क्योंकि वोटर यह सोचने लगेगा कि मैं क्यों किसी हरिजन ही सदस्य का निर्वाचन करूं। तो हर जगह अगर यह उदाहरण न दिया जाय तो बेहतर होगा। लिहाजा मैं उसी आशावादी नीति के अनुसार

कह रहा हूं कि हमारे प्रस्ताव का सिर्फ यह मतलब है कि क्षेत्रीय समिति में उन्होंने ८ माना उससे हमको संतोष हुआ लेकिन जब जिला परिषद् का गठन करने जा रहे हैं जिसमें सदस्यों की संख्या बहुत काफी होगी तो मैं उनसे यह प्रार्थना करता हूं कि ५ की जगह १० कर दें और उसमें हमने एक दरवाजा भी सरकार के लिये खोल दिया है कि ऐसा नहीं है कि हर जिले में १० कर दी जाय क्योंकि हर जिले में यह संख्या ठीक बैठेगी भी नहीं इसलिये कि किसी जिले में संख्या ज्यादा है और किसी में कम है। लिहाजा मैंने यह शर्त भी रख दी है कि वह सरकार के हाथ में रहे और सरकार किन्हीं बातों के आधार पर जैसा उचित समझे, जिस जिले के लिये जितनी संख्या चाहे नियत कर दे, लेकिन वह संख्या ५ और १० के बीच में हो।

श्री अध्यक्ष--आप संक्षेप में कहिये।

श्री रामेश्वर प्रसाद-- बहुत अच्छा। तो मैं समझता हूं कि मेरे प्रस्ताव का मतलब साफ है।

इसके साथ-साथ जो मेरा १०० नम्बर पर संशोधन है उसका भी मतलब काफी स्पष्ट है। जो यहां चर्चा की गयी कि जो चुनाव हो उसमें उनको संरक्षण दिया जाय तो मैं शुरू से यह कहता आ रहा हूं कि चूंकि परिषद् का गठन इनडायरेक्ट सदस्यों से भी हो रहा है और इन्डाइरेक्ट सदस्यों में कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता, यह मेरी डेफनिट राय है, तो इसके लिये कोआप्शन या नामिनेशन का तरीका अपनाना होगा।

अब जो मेरा प्रस्ताव १०० पर है उसके लिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जहां पर उन्होंने एक प्राविजन इस तरह का रखा है कि कुछ सदस्य जिला परिषदों में डाइरेक्ट चुनाव से आयेंगे उसमें हमारी जनसंख्या के आधार पर जितना कोटा उस जिले में हो उतनी सीटें हरिजनों के लिये रिजर्व कर दी जायं। उस पर हरिजन सदस्य ही आवें। इसके अलावा जो प्रतिबन्ध मैंने इसमें जोड़ा है और उससे हरिजन समुदाय में संतोष आवेगा कि जितने डाइरेक्ट चुनाव से हमारे लिये अनुपात में आयेगा उस पर तो हमारा रक्षण होगा ही लेकिन जो अरक्षित जगहें हैं उन पर भी जो हरिजन चुन कर आ सकते हैं वे लड़ सकें और उन पर इसके लिये कोई बन्दिश न लगाई जाय क्योंकि मौजूदा बिल में उसके लिये कोई प्राविजन नहीं है। इससे डाइरेक्ट एलेक्शन के क्षेत्र में भी उनके लिये दरवाजा खुल जायगा।

इसके साथ जो आखिर में मैंने एक प्रतिबन्ध लगाया है उसका मतलब सिर्फ यह है कि जो रिजर्वेशन या नामिनेशन का प्राविजन है जब तक भारतीय संविधान में रक्षण मौजूद है तब तक ही वह रहेगा। मान लीजिये कि भारतीय संविधान में रक्षण की बात खत्म हो जाय और सब एक समान हो जायं तब हो सकता है कि जो सदस्य हरिजन इन सीटों पर हों उनका टर्म खत्म हो जाय, क्योंकि वे उस शर्त पर ही सदस्य हुये होंगे कि जब तक संविधान में रक्षण है तब तक उनकी सीट सुरक्षित है वरना उनकी मेम्बरशिप खत्म हो सकती है तो इसमें है कि अगर संविधान का संरक्षण खत्म हो जाय और जब तक परिषद् का टर्म पूरा न हुआ हो तब तक उनकी मेम्बरशिप रहेगी, उनका टर्म कंटीन्यू करेगा और भारतीय संविधान के संरक्षण खत्म होने का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात सदन के सामने स्पष्ट कर चुका हूं। मेरी अत्यन्त विनम्र प्रार्थना है कि यह सदन हरिजनों पर बहुत सहानुभूति रखता है इसलिये वह उस प्रस्ताव को मानने की कृपा करें।

सोशलिस्ट सत्याग्रहियों के साथ जेल में बुरा व्यवहार किये जाने से संबंधित २५ अगस्त, १९६० के प्रश्न ५४ के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री अध्यक्ष—सोशलिस्ट सत्याग्रहियों के साथ जेलों में बुरा व्यवहार किये जाने से सम्बन्धित श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल के २५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५४ पर श्री मोतीलाल अवस्थी द्वारा उठाये गये प्रश्न के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इन जेलों की वह हालत आपके सामने रखना चाहता हूं जो पिछले तीन महीने में जेलों में घटनायें घटी हैं। श्रीमन्, आपको स्मरण होगा कि पहली मई से समाजवादी पार्टी के द्वारा सचिवालय अवज्ञा आन्दोलन पांच मांगों को लेकर चलाया गया था और उसके परिणामस्वरूप कई हजार, कम से कम चार हजार आदमियों को राज्य सरकार द्वारा बन्दी बनाया गया और उन सत्याग्रहियों के प्रति जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी एक बहुत लम्बी कहानी है किन्तु मैं विशेष घटनाओं को ही आपके सामने रख रहा हूं और आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी इन पर ध्यान देंगे।

पहली मई से आन्दोलन शुरू होता है और ३० मई के दिन फतेहगढ़ जेल में जो सत्याग्रही थे उनके ऊपर लाठी प्रहार इस तेजी से हुआ कि उसमें हताहतों की काफी संख्या है और उनमें से एक हमारे साथी हैं जो इस समय बरेली में जेल में हैं, श्रीमन्, आप देखें कि उनके आधे दर्जन खत मेरे पास आये हैं जिनमें वहां की वीभत्स घटना का वर्णन किया गया है।

अलीगढ़ में २७ दिन के बाद ऐसी ही घटना होती है। वहां यानी अलीगढ़ जेल में ३० सत्याग्रही थे। ऐसे आदमियों को लेकर जो साधारण बन्दी थे उनको काफी तादाद में जेल में रख कर ऐसा हमला किया गया जिससे अनेकों के काफी चोटें आईं और उनका सामान घड़ी वगैरह खूब लूटा गया। इतना ही काफी नहीं था बल्कि सीतापुर में २७ जुलाई को एक और कांड हुआ है। उसके बारे में माननीय देव नारायण जी भारतीय ने विवरण लिखा है। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो आश्वासन दिया गया था वह फलीभूत नहीं हुआ और उसका परिणाम हमारे सामने नहीं आया। पता नहीं उसकी जांच कैसे होगी।

श्रीमन्, मुझे फतेहपुर जेल में रहने का सौभाग्य मिला था। मैं वहां करीब ढाई महीने रहा। मुझे मालूम है कि २० अगस्त को जब हम लोग संध्या को खाना खाने बैठे थे कि अचानक पहले से जो एक पूर्व निश्चित योजना थी, एक नम्बरदार आया और वह कुछ लोगों की सहायता लेकर सत्याग्रहियों पर हमलावर हुआ और ऐसा शोरगुल मचाया कि लाठी चार्ज हो ले। लेकिन मैं वहां उपस्थित था और मैंने इसको रोका और मैंने उससे कहा कि अरे भाई इनको क्यों पीटना चाहते हो और मेरे आग्रह करने पर भी उसने कोशिश की लाठी चार्ज हो ले। लेकिन मैं अड़ा रहा और जितनी चोटें लगें मेरे लगें और हमारे साथी के न लगें। ऐसा मैंने प्रयास किया। ऐसी हालत में श्रीमन्, मैं सफल हो सका और मेरे ऊपर जो प्रहार किये गये उसी तक मामला सीमित रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों में, इस दुर्भावना को देख कर, हमारे साथियों में असन्तोष और रोष पैदा हुआ। जब हम जेलों में बन्द होते हैं श्रीमन्, तो हमारा एक ही सहारा होता है और कोई सहारा नहीं होता है। केवल नैतिक बल हमारे साथ होता है वह हमारा आत्मबल होता है। उसी को हम प्रदर्शित करते हैं। इसको हमने अपने पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से सीखा है कि जेल में रहते हुये जो हमारा आत्मबल होता है वह लोहे के सींकचों से कई गुना कड़ा होता है। अतः हमने सोचा कि हम मारेंगे नहीं मानेंगे नहीं अपने नारे के अनुसार और इस अपमान को अपने ऊपर कष्ट सह कर सहन करें।

हमने अनशन शुरू किया। चार-चार रोज तक अनशन चलता रहा। उसके परिणाम-स्वरूप हम उन अधिकारियों को चेता सके कि हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, और उसकी भली-भांति जांच करें। केवल यही नहीं बल्कि इन जेलों में ऐसा भोजन मिलता है कि वह मनुष्य के खाने लायक नहीं है। देखा गया है कि एक सामूहिक रूप से खाना पकता है। उसकी जांच कभी भी अधिकारी या मंत्री जी करते हैं, मुझे नहीं मालूम। मेरा विचार है कि माननीय मंत्री जी ने जब से विभाग को लिया है शायद ही कभी जेल के भोजन को देखा होगा। वहां के बावर्चीखाने को देखने जरूर जाते हैं। कहा जाता है और अखबारों में निकलता है कि जेलों में पंचायत सिस्टम कायम किया गया है। इसका नामोनिशान तक नहीं है। गुर्गों को खड़े करके कहा जाता है कि यह पंच हैं। जहां तक भोजन का सम्बन्ध है, भोजन में

सिट्टी मिली रहती है, कंकड़ मिले रहते हैं, वह आटा जो सबेरे गूंधा जाता है, जो खमीर हो जाता है, जिसमें शाम को बदबू आने लगती है उसकी रोटियां बनती हैं। वह बेचारे सींकचों में बंदे हुए हैं, किससे कहें।

जो दुर्व्यवहार हमारे सत्याग्रहियों के साथ हुआ, हमारे मुख्य मंत्री जी ने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा हमें. राजनैतिक कैदियों के साथ दुर्व्यवहार को सुन कर दुःख हुआ। हमने बड़ा अभिमान किया कि हमारी स्टेट का चीफ मिनिस्टर इतने शब्द कहने का साहस कर सकता है, जो उचित भी थे, क्योंकि वह भी राजनैतिक बन्दी रहे हैं, उनका यह स्वाभिमान से कहना कि राजनीतिक बन्दियों के साथ सद्व्यवहार होना चाहिए, इसको पढ़ कर हमें बड़ा हर्ष हुआ। लेकिन राजनैतिक बन्दियों के साथ जो इस प्रदेश में व्यवहार है वह साधारण कैदियों के साथ भी नहीं किया जाता है क्योंकि उनके साथ बदले की भावना लगी हुई है।

साधारण कैदियों के साथ जितना दुर्व्यवहार होता है वह इसलिए होता है कि वह बन्दी हैं। लेकिन सत्याग्रही बन्दियों के साथ इसलिए दुर्व्यवहार अधिक होता है क्योंकि वह समझते हैं कि हमारे प्रतिद्वंदी हैं। भला समझिये, प्रतिद्वंदिता किस रूप में है? क्या इसलिए है कि जेलों में सताये जायं? हम प्रतिद्वंदी हैं। अगर हमारा बहुमत हो जायगा तो हम सरकार को हटायेंगे। लेकिन जेलों में प्रतिद्वंदिता दिखाना, हमारे साथ दुर्व्यवहार करना, हम को वहां डाल कर गाली-गलौज से रखना, हमारी चिट्ठियों का सेंसर करना, क्या पीछे से वार करने के बराबर नहीं है? मेरी चिट्ठियां बराबर सेंसर होती रहीं, मैंने उनको लिखा कि सेंसर करने वालों को इतनी शर्म होनी चाहिए कि जिनमें मैंने कानूनी सलाह मांगी वह चिट्ठी भी सेंसर हो रही है, रिश्तेदारों, पिता और भाइयों को न मिलने दिया गया—इस सम्बन्ध में मेरे पास चिट्ठियों का एक तांता है और पत्र-व्यवहार की एक पूरी लिस्ट है। मैं तो श्रीमन्, कहूंगा कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं सत्याग्रहियों के प्रति जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी चर्चा में दफा ५३ के मुताबिक २।। घंटे में करूं, और उसके लिए समय मांगूं क्योंकि आध घंटे में मैं नहीं बता पाऊंगा।

मेरे पास १००–२०० पन्ने की फाइल है जिसमें एक-एक जेल का विवरण है। क्या यह वह जेलें हैं जो राजनीतिक बंदियों के साथ एक विशेष रूप से व्यवहार करने के लिए बनायी गयी हैं? मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार किया जाना चाहिए। क्या आपने इन राजनैतिक बंदियों के साथ वही व्यवहार किया है जो इसके पहले के आन्दोलनों में हुआ करता था? जिनमें मैंने देखा कि हमारे किसी रूप में इतना खराब व्यवहार नहीं हुआ था, जितना अब की दफा किया गया। अब की दफा हमारे साथियों को लम्बी सजायें हुईं, उनको जुर्माना भी हुआ, और जुर्माने के साथ-साथ कुर्की होना अनिवार्य था। कुर्कियां भी हुई हैं। लेकिन हम पूरी सजा काट चुके, जुर्माने की सजा भी काट चुके, फिर भी हमारी कुर्कियां हुईं। दोनों सजाएं साथ-साथ चल रही थीं। रिहाई के आर्डर निकलते हैं और ५, ५ दिन बाद रिहाइयां होती हैं। हमारे एक साथी की तो २३ दिन बाद रिहाई हुई। मैं तो आपसे पूछता हूं कि वह वायरलेस का तरीका आपका कहां गया? रजिस्टर्ड पोस्ट से आप रिहाई का आर्डर भेजते हैं जो आठ-आठ दिन में पहुंचता है। एक घंटा भी किसी को जेल में अधिक रखना अनियमित है और आप आठ-आठ दिन रखते हैं। अभी एक आदमी को दो साल ज्यादा रखने की गलती आपने स्वीकार की। लेकिन हमारे दर्जनों साथी एक-एक हफ्ते बाद छोड़े गए और एक साथी २३ दिन बाद छोड़ा गया। श्रीमन्, मैं थोड़ा ही समय लेकर यह आशा करूंगा कि मंत्री जी हमारी बातों का जवाब दें और उसके बाद मैं प्रश्न करूंगा।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्रीमन्, मुझे आश्चर्य है कि कुछ ऐसी चीजें आज सदन के सामने कही गईं जिनको कि यदि मेरे मित्र स्वयं सोचने की कृपा करेंगे तो शायद उनको खुद आश्चर्य होगा। मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आज आपने सदन को यह अवसर दिया कि कुछ बहुत कटु सत्यों को यह सदन सुन सके। मेरे मित्र की बात

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

सदन के सामने आई । मेरे पास भी आई है। उन्होंने कृपापूर्वक नैतिकता का और राष्ट्रपिता बापू का जिक्र कर दिया। कुछ उन्होंने जिक्र कर दिया जेल की आज की परिस्थितियों का। इसके अलावा जानबूझ कर उन्होंने सरकार की नीयत पर भी हमला किया और कहा कि बदला लेने की नीयत से यह सरकार उनसे वैमनस्य रखती है। मुख्य मंत्री जी ने यहां इस सदन के सामने जिक्र किया था कि जहां तक राजनीतिक बन्दियों का प्रश्न है हमारा दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। राजनीतिक बन्दी किसी नैतिकता के नियम का उल्लंघन करने वाले बन्दी नहीं हैं। हममें से बहुतों को, मुख्य मंत्री जी की बात तो अलग है, मेरे जैसे को भी यह अवसर मिला है कि हम लोग राजनीतिक बन्दी के रूप में रहे हैं और हम लोग सभी यह जानते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार कब होता था और किस प्रकार के व्यवहार को हम लोगों ने आज तक स्वीकार किया है।

मेरे मित्र ने जिन चीजों का जिक्र किया उन्हीं चीजों को संक्षेप में मैं सदन के सामने रख देना चाहता हूं। उन्होंने जिक्र किया फतेहगढ़ की एक घटना का। फतेहगढ़ में २८ मई को एक घटना हुई थी और यह सदन आश्चर्य करेगा कि वह घटना किस प्रकार की थी और फिर भी नैतिकता के नाम लेकर राष्ट्रपिता बापू का नाम लेकर उसमें जोड़ने की.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आधे घंटे का ही समय है और उसमें प्रश्न भी लोग करेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मुझे आप १० मिनट देंगे श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—नहीं, मैं समझता हूं कि दस मिनट देने में सारा समय खत्म हो जायगा। इसलिये आप वाकयात बयान कर दें तो वह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं जिक्र कर दूं श्रीमन्, फतेहगढ़ की घटना का। फतेहगढ़ में श्री भगवानदीन शुक्ल सत्याग्रही बन्दी थे। वह एक दिन कुछ साथियों के साथ अस्पताल चले गए। वहां पर डाक्टर को नारे लगाने लगे और उसको बुरा भला कहने लगे। डाक्टर से वह कुछ शिकायत करने लगे तो डाक्टर ने यह कहा कि आप यहां आ कैसे गए। आपको तो बैरक में रहना चाहिए। (व्यवधान) मेरा खयाल है कि मेरे मित्र मुझे क्षमा करेंगे और बीच में टोकेंगे नहीं। मैंने एक शब्द भी उनको टोका नहीं है और न मेरी ओर से किसी ने टोका है। तो इस पर वह बैरक में चले गये। दूसरे दिन जब कि डाक्टर उधर से आये तो फिर शोर किया गया। उस समय सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल भी उनके साथ थे तो तब भी नारे लगाये गये। सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब ने जाकर भगवानदीन शुक्ल से यह कहा कि आप मेरे साथ चलिये। जो घटना इस सदन में हुई थी उसी की पुनरावृत्ति वहां पर भी की गई। दूसरे बन्दी भगवानदीन को घेर कर बैठ गये जैसे यहां पर बैठ गये थे। उनके पास दूसरा चारा नहीं था, सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब के पास अलावा इसके कि उन्होंने अपने आदमियों से कहा कि यह नहीं आते हैं तो इनको वहां लाना चाहिये। इनको कोठरी में बन्द करने की उन्होंने आज्ञा दी और यह भी कहा कि किसी प्रकार उनके साथ दुर्व्यवहार न किया जाय और न कोई चोट लगे। जितनी खींचातानी वहां पर उस समय हो सकती थी उतनी की गई। फिर उनको जबरदस्ती बलपूर्वक वहां से ले जाया गया। इनके साथ पांच व्यक्तियों को ले जाया गया। पांच व्यक्तियों में कुछ के चोट आई उस खींचातानी में। उसमें कुछ चोटें ऐसी थीं जिनके सम्बन्ध में यह खयाल किया गया कि यह लाठी या बेंत की चोट हैं। उस पर तहकीकात हुई। सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब ने एक व्यक्ति को सजा दी। इसके लिये सी० टी० मजिस्ट्रेट और डी० आई० जी० ने तहकीकात की। डी० आई० जी० ने पाया कि इसके लिये जितने बल की आवश्यकता थी उतने बल का ही प्रयोग किया गया लेकिन इसके बावजूद भी एक आदमी को सजा दी गई। इसके अलावा जो कुछ बेंत की चोटें थीं उस मामले में सरकार विचार कर रही है।

दूसरी घटना अलीगढ़ की है। और वह भी रोचक घटना है। वह इस प्रकार की घटना है कि दो व्यक्ति लाल टोपी पहन कर जेल में दाखिल हुये। बिना टिकट रेल में यात्रा करते पकड़े गये थे। उनके दाखिल होने के बाद वहां के सत्याग्रही बन्दियों ने यह कहा कि ये लाल टोपी पहने हैं इसलिये सत्याग्रही हैं और इनको हमारे पास रखा जाय। जेल अधिकारियों ने कहा कि क्योंकि कलेक्टर ने हमारे पास लिख कर नहीं भेजा है कि ये सत्याग्रह से आये हैं इसलिये इनको तुम्हारे पास रख नहीं सकते। इसके बाद दूसरे दिन २६ तारीख को एक पेड़ आंधी से गिर गया था। उस पेड़ को हटाने के लिये २५ आदमी भेजे गये। जिस चहारदीवारी के अन्दर ये सत्याग्रही बन्दी थे उसी में इसकी लकड़ी काट कर रखी जाने को थी क्योंकि वहां पर गोदाम था। इन लोगों ने लकड़ी काटी और उसमें रखी। जब वे लोग वहां पर रखने गये तो उनको वहीं पर रोक लिया गया। उनको आने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब तक उन लोगों को हमारी बैरक में नहीं रखा जायगा तो नहीं छोड़ा जायगा। रात में भी उनको नहीं छोड़ा गया। सारे प्रयास उनके छुड़वाने के लिये किये गये जो भी सम्भव हो सकते थे कि उन बन्दियों को किसी तरह से निकाला जाय लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया और रात को भी वहीं रखा गया। दूसरे दिन सायंकाल तक उनको छोड़ा नहीं गया। इसके बाद जेल अधिकारियों को वहां जाना पड़ा और उनसे कहा कि इनको छोड़ दीजिये और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो उचित नहीं होगा। इनके ऊपर बड़े-बड़े कोयले और ढेले चलाये गये। इसके बाद कठिनाई से उनको निकाला जा सका। इसमें ३१ जेल अधिकारियों को चोटें आईं जिसमें साधारण बन्दी भी थे।

जहां तक इन सोशलिस्ट सत्याग्रही बन्दियों का प्रश्न है उसमें २९ सोशलिस्ट बन्दियों को चोटें आईं लेकिन इसमें केवल २५ व्यक्तियों को बैरक के अन्दर बन्द करके रखा गया। इस तरह से उनको निकालने के लिये यह सारी कार्यवाही की गई।

इसी तरह से सीतापुर का प्रश्न इस सदन के सामने आ चुका है और उस प्रश्न में इतनी बात जरूर हुई है कि वहां के एस० डी० एम० ने इसकी तहकीकात की। वह तहकीकात की रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। आज मैं सदन से इतना ही कहूंगा कि अत्यन्त गम्भीरता से उस पर विचार किया जा रहा है। यह मैं और भी कह सकता हूं कि जैसे मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, मैं उस आश्वासन को दोहराना चाहता हूं कि जहां तक जेल का प्रश्न है, जेल के अधिकारियों की ओर से जब कभी कोई बुरी बात होगी, उनको निश्चय रूप से दंड दिया जायगा। लेकिन जहां तक इस प्रकार की घटनायें होंगी, जिनका जिक्र मैंने नहीं किया, जिनके सम्बन्ध में मेरे पास एक पत्र है और जिस फतेहपुर की घटना का जिक्र अभी अवस्थी जी ने किया, दुर्भाग्य से उसके सम्बन्ध में मेरे पास अवस्थी जी ने कुछ नहीं लिखा और न वह चीज मेरे ज्ञान में है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैंने स्वयं एक पत्र आपको भेजा है और वह आपके दफ्तर में मौजूद है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—तो मैं इतना कह सकूंगा कि यदि वह पत्र आपने भेजा है तो मुझे उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन फिलहाल वह मेरे पास नहीं है और यह भी संभव हो सकता है कि वह किसी जांच के लिये गया हो। लेकिन एक पत्र मेरे मित्र ने मुझे दिया और यदि वह वही पत्र है तो समय की कमी है वरना मैं वह पूरा पत्र पढ़ कर सदन को सुनाता और सदन ही निश्चय करता कि वह क्या पत्र है। उसमें है कि अमुक तारीख को मैं सत्याग्रही बंदी के रूप में आया, अमुख तारीख को सुपीरियर क्लास का ट्रीटमेंट दिया गया और उसके बाद सुपीरियर क्लास बंदियों का कंसट्रशन किया गया फैजाबाद में। तो अवस्थी जी को भी कहा गया कि आपको फैजाबाद जाना चाहिये। आपने कहा कि सुपीरियर क्लास का ट्रीटमेंट मिले या न मिले, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा और जाने से इनकार कर दिया और फिर बाद में शिकायत यह है कि वजन घट गया, मैं अस्वस्थ हो गया। सुपीरियर क्लास का ट्रीटमेंट हम देना चाहते हैं आप

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

सेना नहीं चाहते और इसके बाद पत्र देखने से सदन को पता चलेगा कि किस प्रकार की दुरूह परिस्थितियों में हमको कार्य करना पड़ता है । आपकी आज्ञा से मैं पत्र की केवल एक पंक्ति ही पढ़ना चाहता हूं जो इस प्रकार है : "यद्यपि मैं इन श्रेणियों द्वारा उपलब्ध सहूलियतों का कायल नहीं हूं किन्तु मुझे यह देखने को मिला कि मेरा स्वास्थ्य दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है ।" श्रेणियों के कायल नहीं हैं, हम उच्चतम श्रेणी में रखना चाहते हैं तो आप उसे लेना नहीं चाहते, लेकिन शिकायत यह है कि स्वास्थ्य गिरता जा रहा है । एक बात और भी है । यह यदि मेरे मित्र का पत्र है जो उन्होंने मुझे भेजा है और मैं कह सकते हैं कि यह वही पत्र है तो जिस घटना का मेरे मित्र ने जिक्र किया है उस संबंध में एक शब्द भी इसमें नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह पहले का पत्र है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—एक और दूसरा पत्र भी मेरे पास है जिसमें शिकायत यह है कि जिसे सुन कर सदन को आश्चर्य होगा कि हमको बाध बनाने की मशक्कत दी गयी लेकिन बाध बुनवाया नहीं गया, बाध बनवाया नहीं गया इसलिये कि हम सुपीरियर क्लास में हैं और इसलिये जेल वालों को सजा दी जाय कि हमको बाध बुनने को क्यों नहीं दिया गया और झूठ ही लिख दिया गया । तो मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता ।

जहां तक भोजन का प्रश्न है, कुछ नहीं तो १२, १३ जेलों में मैं अचानक गया हूं और बहुत से जेल अधिकारियों को मैंने दंड दिया है जहां-जहां गड़बड़ी मिली है । जिस प्रकार के भोजन की उन्होंने शिकायत की है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र किसी भी समय, जिस दिन चाहें, मैं उनके साथ चलने के लिये तैयार हूं, अगर कहीं उस प्रकार की अवस्था मिले तो जो कुछ भी दंड दिया जा सकना संभव होगा वह तो दूंगा ही, बल्कि यह भी स्वीकार कर लूंगा कि उनकी शिकायतों में कुछ तथ्य होता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—जितनी शिकायतें माननीय मंत्री जी के पास जेलों में दुर्व्यवहार के बारे में आयी हैं सोशलिस्ट सत्याग्रहियों की, उनमें से किसी शिकायत को उन्होंने सच पाया ? यदि हां, तो उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—दो एक शिकायतें ऐसी आयीं कि जिनकी जांच हो रही है और आंशिक रूप से वह सही हैं और उनमें निश्चित रूप से दंड दिया जायगा ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर सीतापुर जेल की घटना के संबंध में जो मैजिस्ट्रेट की जांच हुई है उसे संक्षेप में यहां बतलायेंगे कि उसमें किसकी जुम्मेदारी है ? जेल अधिकारियों में कौन जुम्मेदार है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सार्वजनिक हित में तो यह न होगा कि मैं पूरी बात कह सकूं, लेकिन यदि आपकी आज्ञा हो तो इतना कह सकूंगा कि उस रिपोर्ट के जरिये से भी जिन तथ्यों को हम देखना चाह रहे हैं, उसमें उनका निरूपण है और बहुत शीघ्र ही सदन के सामने उस रिपोर्ट को और उस पर की गयी कार्यवाहियों को हम सदन में रखेंगे ।

श्री अध्यक्ष—फिर इस संबंध में आगे पूछने की जरूरत नहीं ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जिन २५ बंदियों को सोशलिस्टों ने २४ घंटे तक डिटेन कर रखा उन सोशलिस्ट बंदियों की संख्या क्या थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरे पास संख्या नहीं है, किन्तु वे बैरक्स में थे । जैसा मैंने बताया था, ३१ जेल अधिकारियों के चोटें आई थीं और २९ कैदियों के भी चोटें आई थीं ।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी के पास इस किस्म की सूचना है कि फतेहगढ़ जेल में जो लाठी चार्ज हुआ था उसके संबंध में एक जुडीशियल इन्क्वायरी बैठी थी और जब मैं इन्सपेक्शन के लिये पहुंचा तो मैंने अपने इन्सपेक्शन नोट में भी लिखा, उस लाठी चार्ज का हवाला देते हुये कि चूंकि जुडीशियल इन्क्वायरी हो रही है, इसलिये मैं आगे कोई राय देना नहीं चाहता हूं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, इन्क्वायरी हो रही थी । जब माननीय सदस्य गये थे तो उसके बाद उस इन्क्वायरी का परिणाम आया और उसके अनुसार कार्य हुआ ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि सोशलिस्ट पार्टी ने एक प्रस्ताव पास किया था कि वह प्रत्येक सरकारी अधिकारी का और सरकारी कानून का वि रोध करेंगे और इसी कारण उन्होंने जेलों के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कहा है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इससे उठता नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी के पास इस बात की सूचना है कि डी० आई० जी० प्रीजन्स, लाठी चार्ज के बाद सीतापुर जेल में गये थे और उन्होंने वहां के अधिकारियों से कहा कि वे ३३२/४२६ आई० पी० सी० के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखायें ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं, यह सीतापुर का सवाल है, इससे उठता नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, फतेहगढ़ में जो २०-८-६० को घटना हुई और जिसके संबंध में मैंने आधे घंटे का विवाद मांगा था, तो क्या माननीय मंत्री जी ने उसके आधार पर जेल अधीक्षक की रिपोर्ट मांगी थी ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—मैंने पहले ही निवेदन किया शुरू में कि फतेहगढ़ के संबंध में जो पत्र मैंने पढ़ा, इसके अतिरिक्त दूसरा पत्र मुझे मिला नहीं, लेकिन अगर मेरे मित्र इस संबंध में मुझे बतलायेंगे तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा ।

श्री अध्यक्ष—माननीय अवस्थी जी, अब आप अपने जो सुझाव उत्तर में देना चाहते हों वह दे दें क्योंकि समय कम रह गया है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं श्रीमन्, यही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिये हैं, वे बड़े मीठे-मीठे हैं, अगर उनका चौथाई अंश में भी पालन होता है तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा जेल अधिकारियों पर । वे फतेहपुर की जो २० अगस्त की तारीख की घटना है, उसको पढ़ लें और उसके संबंध में जांच करा लें ।

दूसरी बात यह है कि भगवानदीन के बारे में जो चर्चा हुई है वह बरेली जेल में है और करीब एक सप्ताह से अनशन कर रहा है । वह बहुत योग्य व्यक्तियों में से हैं, हमारे यहां कानपुर में हमारी समिति के मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि उनका दिमाग खराब हो गया हो और वे अनशन कर रहे हों। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि उनकी जो शिकायतें हैं उनके बारे में भी वह जांच करायें, उनका पता लगवायें । कम से कम जो आदमी पीटा गया हो, उसकी बात तो वे सुन लें ।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो यह कहा गया कि जेल में २५ आदमियों को रोक लिया गया, २९ आदमियों के चोटें आईं, ३१ जेल अधिकारियों को चोटें आईं, तो ऐसा मालूम होता है कि कोई बहुत भारी जंग हुई हो । वहां पर फाटक खुले रहते थे । अन्य कैदियों के लिए दवा-दारू आती जाती थी । कोई रोक न थी। तो जब ऐसी हालत में वहां के अधिकारी उनको

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

निकालने में सफल न हुए, तो इसके पीछे क्या बात है, इसकी जांच कराये । मैं कहना चाहता हूं कि उनको रोक कर उनसे इन लोगों ने लाठी चार्ज करवाया और पिटवाया गया । इसलिये माननीय मंत्री जी, बुलन्दशहर, इटावा, बरेली आदि की जो जेलें हैं उनके बारे में भी जो शिकायतें हैं, उनके विषय में पूरी जांच करायें । इनको भी अपनी जांच में शामिल कर लें । कम से कम मैंने एक दर्जन जेलों के नाम लिये हैं, एक की जांच कर लीजिये और देख लीजिये कि कहां तक सही शिकायत की है । आप स्वयं देख आइये, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मैं क्या कहूं । अगर आश्वासन दूंगा तो तीखा लगेगा ।

श्री अध्यक्ष--आपके सामने कागजात रखेंगे ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यदि मेरे मित्र कोई भी कागज इस संबंध में, कोई भी चीज देना चाहें तो हम लोग सब साथी हैं, इधर बैठे या उधर । कोई भी चीज जो न्यायपूर्ण होगी वह की जायगी । मैं फिर आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जहां पर दोषी व्यक्ति होगा उसको निश्चय ही सजा दी जायगी, लेकिन यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार के संयम की शिक्षा-दीक्षा का मेरे मित्र जिक्र करते हैं उसका थोड़ा पुट उनकी ओर से सदन में अवश्य मिल जाय ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
७ सितम्बर, १९६० ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०७ पर)

तालिका

क्रम सं०	बाराबंकी जिले की चीनी मिलों के नाम	बाराबंकी जिले की चीनी मिलों के साथ जो गन्ना सोसाइटियां लगी हुई हैं	१५ अगस्त, १९६० को प्रत्येक सोसाइटी का जो जिस मिल के साथ लगी है उस मिल पर जितना रुपया बकाया था उसका विवरण			
१	२	३	४	५	६	७
			गन्ने का मूल्य (लाख रुपये)	कमीशन	ब्याज	कुल धनराशि (लाख रुपयों में)
१	रामचन्द्र एन्ड सन्स शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, बाराबंकी ।	१—गन्ना विकास समिति बाराबंकी	६.१३	०.०६	०.१९	६.३८
		२—गन्ना विकास समिति, जुग्गौर	०.८८	०.०२	०.०३	०.९३
		३—गन्ना विकास समिति, ऐशबाग	०.१५	..	..	०.१५
		योग ..	७.१६	०.०८	०.२२	७.४६
२	बुढ़वल शुगरमिल्स कम्पनी लिमिटेड, बुढ़वल ।	१—गन्ना विकास समिति, बुढ़वल	कुछ नहीं	०.२६	०.०१	०.२७
		२—गन्ना विकास समिति, बड़ा गांव	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		योग ..	कुछ नहीं	०.२६	०.०१	०.२७

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१४ पर)

सूची

१—प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु १८ करोड़ की एक योजना १९५८ में बनी थी और उसमें ललितपुर सब-डिवीजन के विकास के हेतु निम्नलिखित योजनाएं थीं :—

	outlay (लाख रु०)
१—नहरों तथा बन्धों का निर्माण	३.५०
२—बन्धियों, कुओं, तालाबों तथा पम्पिंग सेटों का निर्माण ..	१७.३०
३—सहकारी बीज गोदामों की स्थापना, खेती-बाड़ी के औजारों के हेतु ऋण का वितरण	१०.००
४—पशुपालन विकास हेतु कार्यक्रम	२.६०
५—कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु सहायता	२.००
६—जन-स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम	१.२०
७—विद्यालयों के भवनों का निर्माण	३.४०
८—सड़कों का निर्माण	५०.००
योग ..	९०.००

२—१८ करोड़ की योजनाओं में से केन्द्रीय सरकार ने ४ करोड़ रुपया ऋण के रूप में सहायता १९५९–६१ के लिए स्वीकार किया जिसमें से झांसी जिले के लिये तथा ललितपुर के लिये निम्नलिखित योजनायें चालू की गई हैं :—

	अनुमानित लागत लाख रु० में
१—ललितपुर नहर का निर्माण	१०.०५
२—दुलांवा डिस्ट्रीब्यूटरी	५.०८
३—बुचेरा तालाब	१.७०
४—कन्टूर बन्धी का निर्माण	४.००
५—ललितपुर-मेहरौनी सड़क	४.४२
६—मदौरा-मवन सड़क	८.९६
७—बानपुर-महरौनी सड़क	३.५०
८—ललितपुर-देवगढ़ सड़क	९.५०
योग ..	४७.२१

३—४ करोड़ की सहायता से जो बुन्देलखंड के विकास के हेतु योजनायें चालू हैं उनमें से निम्नलिखित योजनाओं के द्वारा झांसी जिला तथा ललितपुर सब-डिवीजन भी लाभान्वित होंगे :—

	outlay (लाख रुपये में)
१—चमड़े के उद्योग को प्रोत्साहन करने के हेतु सहायता ..	०.४०
२—महुवा के तेल का उद्योग	०.३०
३—बोन मिल फैक्ट्री की स्थापना	०.८०
४—सिलिका सेन्ड वार्शिंग उद्योग	०.७५
५—कुटीर उद्योग के विकास हेतु ललितपुर तथा बुन्देलखंड के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में सहायता	७.७५
योग ..	१०.००

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१६ पर)

पद नाम	
डायरेक्टर, हार्टिकल्चरल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सहारनपुर	
सहायक रासायनिक, रिसर्च इंस्टीट्यूट,	,,
फ्रूट ब्रीडर रिसर्च इंस्टीट्यूट	,,
असिस्टेन्ट माइकोलौजिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट	,,
चकबन्दी अधिकारी, देवबन्द	
प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना, केन्द्र गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार	
बी० डी० ओ०, रामपुर	
बी० डी० ओ०, देवबन्द	
बी० डी० ओ०, गंगोह	
बी० डी० ओ०, नकुर	
बी० डी० ओ०, बहादराबाद	
रिसर्च आफिसर	रुड़की
सहायक रिसर्च आफिसर	,,
सहायक रिसर्च आफिसर	,,
सहायक रिसर्च आफिसर	,,
स्टेटिसटिकल अधिकारी	,,
असिस्टेन्ट रिसर्च आफिसर (सोयल)	,,
सहायक रिसर्च आफिसर	,,
सहायक कृषि अभियन्ता	,,
सहायक कृषि अभियन्ता	,,
सहायक अभियन्ता, वर्कशाप	,,
संचालक, सिंचाई शोध विभाग	,,
सहायक अभियन्ता, हाइडल गंगा सर्किल	,,
प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	,,
स्वास्थ्य अधिकारी, हरिद्वार	
डिस्ट्रिक्ट लाइव स्टाक आफिसर, सहारनपुर	

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१८ पर)

व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने कर्ज लिया	कर्ज की रकम	बने कुओं की संख्या
१	२	३
	रुपये	
१—पक्के कुएं—		
६९६	४,२७,६८५	२५३
२—नलकूप—		
४०	२,४०,०००	१७

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५१८ पर)

श्री रघुवीरराम द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ४२ से संलग्न सूचनाः—

कुम्रों की संख्या जिन पर तकावी दी गई	कुम्रों की संख्या जो बने	कुम्रों की संख्या जिन पर छूट दी गई	कुम्रों की संख्या जिन पर छूट नहीं दी गई	छूट न देने का कारण
१	२	३	४	५
३,९२१ ..	२,७५०	१,५७९	१,१७१	जिन कुम्रों पर छूट नहीं दी गई है वे या तो नहीं बने या निर्धारित समय के बाद बने ।

विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १६१ एस० ए०—१९६०—८४५ ।